राजस्थान विधान सभा

पंचम बैठक, शुक्रवार, दिनांक-७ दिसम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में मध्यान्हपूर्व ११-२० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष—वे सदस्य, जिन्होंने अब तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, वे अब ऐसा करेंगे।

(ऐसे कोई सदस्य उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री हिम्मतसिंह

प्रश्न संख्या २६

कोटा जू से रूस भेजे गये चीतों के साथ रखवाले को दी गई बन्दूक इत्यादि सम्बन्धी

श्री जगतसिंह झाला (राज श्री हिम्मतसिंह की ओर से)—Will the Forest Minister be pleased to state:—

1. Whether a pair of tiger cubs were sent from Kotah zoo to Russia ?

2. Who accompanied the cubs and when did the man return ?

3. Is it a fact that the Government of U. S. S. R. awarded the Keeper who went with the cubs a double barrel 12 bore Gun with Cartridges and loading implements ?

4. Has the Gun and implements been given to the Keeper ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)— 1. Yes, sir.

2. Sarvashri Azim Khan and Shankerlal, care takers, They returned to Kotah on the 7th January, 1956.

3. Yes, sir.

4. Not yet. Because the Customs Department has asked for Customs Import Duty of Rs. 400/-for the guns which the Caretakers are not capable to pay. The guns have been detained by the Assistant Collector of Central Excise and Customs, New Delhi.

5. Except the guns, cartridges and ignition apparatus and other articles have already been given to them. The question of exemption of these articles from customs import duty is being taken up with the Government of India.

श्री जगतसिंह झाला—इतने समय तक कस्टम की कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)—यह आप भारत सरकार से पूछें।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या सरकार की यह मंशा है कि यह सरकार को दे दी जावे या उन लोगों के पास ही रहेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह उन्हीं केअर टेकर्स को दे दी जावेगी।

श्री वेदपाल त्यागी—Has it been given to them in their personal capacity or representatives of the Rajasthan Government who presented the cubs to them ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ये लोग वहां गये थे तो रशिया ने उन्हीं को दिया था।

श्री वेदपाल त्यागी—जिस वक्त गन दी गई तो क्या उसके साथ कोई सर्टीफिकेट भी दिया गया था कि वह क्यों दी जा रही है, किसलिये और किस रूप में दी जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लिखा हुआ कुछ नहीं दिया। उन्हीं को प्रेज़ेन्ट की थी इसलिये उन्हीं की मानी जावेगी।

प्रश्न संख्या २७

टोंक-देवली सड़क का जीर्णोद्धार करवाने सम्बंधी शासकीय योजना

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

(क) टोंक देवली रोड का किस साल में निर्माण हुआ था और तब से किस किस साल किस कदर मरम्मत करवाई गई ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस सड़क की हालत खराब है ?

(ग) अगर हां, तो क्या खराब हिस्से की जल्दी से मरम्मत कराने का कार्य हाथ में लिया जावेगा ?

श्री रामचंद्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।)—(क) सड़क बहुत प्राचीन होने से अभी उसके निर्माण के साल का पता नहीं चलता है। मरम्मत गत कुछ वर्षों से इस प्रकार हुई है :

१६५१ में	६ मील
१६५२ में	३ मील
१६५३ में	८ मील
१९५४ में	३ मील
योग—	२० मील

(ख) बहुत सन्तोषजनक नहीं है।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क के ३६ १/४मील में से३२ मील में तारकोल डलेगा। कार्य इस साल से प्रारम्भ होने की सम्भावना है। इसके साथ साथ स्पेशल रिपेअरिंग का काम भी बदस्तूर चालू रहेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—इस साल से ही चालू करने की सम्भावना की बात कही, पर वास्तव में चालू कर दी जावेगी या नहीं, क्योंकि यह बड़ी इम्पोर्टेन्ट सड़क है ?

श्री रामचंद्र चौधरी—मैंने निवेदन किया कि इस साल यह रक्खी गई है और इसके लिए टेन्डर भी मांगे जा चुके हैं। इसलिए काम इस साल शुरू होने की पूरी पूरी सम्भावना है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी को यह मालूम है कि टोंक से देवली के बीच में जो बाराण गांव है वहां तीन साल से एक पुल का काम हो रहा है और

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

वहां पर चौमासे के दिनों में माननीय मन्त्रीजी को और हमको सबको भी जाने के लिए तीन तीन रोज तक पड़ा रहना पड़ा है ?

श्री रामचंद्र चौधरी—इसका मुझे पता नहीं।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह—तो क्या अब मन्त्रीजी इसका पता लगाकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामचंद्र चौधरी—आप कहेंगे तो जरूर की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—आप मदद नहीं करेंगे ?

(हंसी)

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय मन्त्रीजी भूल गये कि वे भी तीन दिन वहां पड़े रहे थे ?

श्री अध्यक्ष—वे दूसरे होंगे।

डा० श्री मंगलसिंह—पड़े रहने की वजह कोई दूसरी होगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८

श्री अवनिकुमार मुकर्जी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २९

पूर्व जयपुर राज्य की देलता से राजमहल तक की फेयर वेदर सड़क का जीर्णोद्धार करवाने सम्बंधी शासकीय योजना

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

(क) क्या यह सही है कि फोर्मर जयपुर स्टेट के वक्त से देलता से राजमहल जाने वाली सड़क फेयर वेदर रोड बनी हुई थी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उस रोड पर मरम्मत होने के लिए एक गेंग रहता था ?

(ग) कब से इस सड़क की मरम्मत होना बन्द हो गया है और क्यों ?

(घ) क्या इस सडक को किसी भी योजना में रक्खा गया है ?

(ङ) अगर रखा गया है, तो इसका कार्य कब शुरू हो जायगा ? अगर नहीं, तो क्या यह योजना में रखी जाकर सड़क की व्यवस्था सरकार शीघ्र करने का कष्ट करेगी ?

श्री रामचन्द्र—(क) सही है।

(ख) सही है।

(ग) आवश्यक मरम्मत होती रहती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह कार्य हमारी योजना में जिसके अन्तर्गत पांच हजार तक की आबादी वाले गांवों की सडक से जोडने हैं, नहीं आता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी इस सडक पर होकर कभी गुजरे हैं ?

श्री रामचंद्र—जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—तो फिर जब नहीं गुजरे तो फिर आपने फरमाया कि इसकी हालत ठीक है, यह क्या बात है ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—बिना गुजरे ही पता चल जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—तो मन्त्रीजी को मालूम है कि यह इम्पोर्टेंट सड़क है क्योंकि वह राजमहल तक जाती है और राजमहल में बड़े बड़े आदमी जाते हैं और सड़क की हालत बडी खराब हो गई है। (हंसी)

श्री रामचन्द्र—कभी जमाना था बड़े बड़े आदमी वहां जाते थे, आज नहीं। दर असल यह शिकार का रास्ता था, इसलिये अब वहां अधिक आमद रफ्त नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मैं निवेदन करूं कि दुर्भाग्यवश वह मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में आ गई है इसलिये इसकी जानबूझ कर मरम्मत नहीं कराई जाती।

श्री रामचन्द्र—यह बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०

ग्राम सुल्तानपुर (तहसील दीगोद) में थाने की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं उस पर व्यय इत्यादि

श्री जगतसिंह झाला (श्री हिम्मतसिंह की अनुपस्थिति में)— Will the P. W. D. Minister be pleased to state:—

(a) Whether a building was erected in the village of Sultanpur, Tehsil Digod, District Kotah for the location of a Thana ?

(b) Was there no building for the Thana in that village ?

(c) At what cost was the building erected and is the building complete now ?

(d) Has it been handed over to the Police ? If so, when ?

(e) Is the Government aware that the new Thana building has already cracked up ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) हां।

(ख) थी तो, पर वह उपयुक्त नहीं थी।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(ग) ६० हजार रुपये। बिल्डिंग पूरी हो चुकी है।

(घ) ता० ७।५।५६ को इस थाने की बिल्डिंग को पुलिस को सम्भला दिया गया है।

(ङ) कहीं कहीं बांई ओर की कम्पाउन्ड वॉल व बैरकों में कुछ हेयर क्रेक्स आ गये थे जिनको ठीक कर दिया गया है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या वहां पर जो पहले थाना स्थित था वह सरकारी बिल्डिंग में नहीं था या सरकारी बिल्डिंग में था तो उससे पूरा नही पड़ता था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—बिल्डिंग तो सरकारी थी पहले पर वह छोटी थी, पूरी नहीं पड़ती थी इसलिये दूसरी बनाई गई। पहले वाली उपयुक्त नहीं समझी गई थी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३१

कृषकों को खेती व गृह हेतु बिना मूल्य लकड़ी देना—विशेषतया टौंक जिले में

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार काश्तकारान को खेती के और मकानात के लिये मुफ्त लकड़ी देती है ?

(ख) अगर हां, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट में तहसील वाइज़ किन किन गांवों में लकड़ी दी गई है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) गांव वार सूचना प्राप्त नहीं हो सकती, जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—तो फिर जानकारी क्या अगले इलेक्शन में देंगे या मैं प्राप्त करूंगा ?

Page No 8

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिन जिन गांवों में जिन जिन जगहों पर जो सुविधाएं लकड़ी के बारे में पहले प्राप्त था वही जारी रखी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—जब नहीं दी जा रही हैं तभी तो सवाल किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फोर्मर टौंक स्टेट में जो रियायतें पुराने राजस्थान में दी गई थीं वे ही बदस्तूर चालू हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—जयपुर स्टेट में उणियारा में भी जो रियायतें दी जाती थीं वे भी आज जारी हैं कि नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उणियारा में दी जाती थीं या नहीं, इसकी अभी तहकीक नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बताएंगे कि झालावाड़, कोटा और बूंदी में जो रियायतें दी जाती थीं वे आज बदस्तूर जारी हैं या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां।

प्रश्न संख्या ३२

तहसील दीगोद में इटावा तक की सड़क को मेटल्ड बनाने की योजना

राज श्री हिम्मतसिंह (Asked by Shri Jagat Singh Jhala)—Will the P.W.D. Minister be pleased to state:-

1. In which year was the Road from Tehsil Digod to Etawah Tehsil scheduled to be metalled ?

2. How much money was sanctioned for this work ?

3. How many miles of this road have been metalled so far ?

4. Will the Government construct an all weather bridge on the Kali Sindh River on this road ?

5. When will this road be completed ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मंत्री)—1. 1960.

2. Rupees eleven lacs.

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

Completed in ten miles, metal collection in 8½ miles and consolidation work 5½ miles.

4. No.

5. 1960,

श्री बेदपाल त्यागी—क्या सरकार को यह विदित है कि यह वह रोड है जो कि राजस्थान के ग्रेनरी कहलाने वाले इलाके को कोटा से जोड़ती है और जिस पर लाखों काश्तकार अपना गल्ला कोटा में लाते हैं और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में हो ले ली गई थी तो, तो इसके अब तक पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र—मन्जूरी देर से हुई थी। ६॥ लाख रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिए रक्खा गया था पर मन्जूरी देर से होने के कारण इस प्रथम योजना काल में १,५४,००० रुपया ही खर्च किया जा सका। अब इसे दूसरी योजना में ले लिया गया है और यह १९६० तक कम्पलीट कर दी जावेगी।

श्री बेदपाल त्यागी—देरी से सेंक्शन होने का क्या कारण है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है और दोषी है ?

श्री राम चन्द्र—इसकी सेंक्शन देर से हुई।

श्री बेदपाल त्यागी—यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है, कौन इसके लिये दोषी है और देर से सेंक्शन क्यों की गई ?

श्री रामचन्द्र—एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन होने में देर हुई।

श्री बेदपाल त्यागी—किस क्वार्टर से यह देर हुई और इसके लिये कौन जिम्मेदार है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—Why the delay had occurred and who is responsible for this delay ?

श्री रामचन्द्र—इस वक्त इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

(हंसी)

Page No 10

श्री कंवरलाल जेलिया—जिनको समय में सेंक्शन दी गई, क्या उनका काम पूरा हो गया ?

श्री रामचन्द्र—काम जैसे जैसे रकम मिलती गई पूरा होता गया। यह इसी से अन्दाज लगा सकते हो कि कुल साढ़े पांच करोड की योजना थी और जिसमें से ५ करोड खर्च हो गये।

श्री कंवरलाल जेलिया—बार-बार ध्यान दिलाने पर भी काम की जो प्रगति हुई है वह ध्यान में आ ही रही है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१

चित्तौड़ जिले की कुछ तहसीलों के भाग पहाडी घोषित करके वहां के निवासियों को सुविधा प्रदान करना

श्री जगतसिंह झाला—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या चित्तौड़ जिले में कुछ तहसीलों के हिस्से पहाडी इलाके घोषित किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से व कब से ?

(ग) क्या यह सच है कि विजयपुर तहसील के गांव जो अधिकतर पहाड़ी हैं, पहाड़ी इलाकों के अन्तर्गत नहीं लिये गये हैं ?

(घ) क्या सरकार इसे भी अब पहाड़ी इलाका घोषित कर, वहां की जनता को पहाड़ी इलाकों में भी जानेवाली सुविधायें प्रदान करेंगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) जी हां।

(ख) तहसील बड़ी सादड़ी के पूर्व बानसी जागीर के समस्त ग्राम तहसील प्रतापगढ़, तहसील अचनेरा, तहसील भैंसरोडगढ़ (जिसमें कुआखेड़ा भी सम्मलित है), तहसील कनेरा। इनको पहाडी इलाका घोषित करने के लिये दिनांक २४।१२।५५ को राजपत्र में आज्ञा प्रकाशित हुई है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ग) जी हां।

(घ) यदि आवश्यक होगा तो जानकारी प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री जगतसिंह झाला—कब तक यह हो जायगा? यह सारा पहाड़ी इलाका है और इसको अब तक पहाड़ी इलाका घोषित नहीं किये जाने का क्या कारण है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पहले जिनको पहाड़ी इलाका घोषित किया था उसमें इसका नाम नहीं था। अब आपने सवाल किया है कि यह पहाड़ी इलाका है तो इसकी जांच करके अगर पहाड़ी इलाका हुआ तो इसको घोषित कर दिया जावेगा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं, यह बताने की कृपा करें?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आप विज्ञप्ति में देख लें। जो गजट में प्रकाशित हुई है, उससे आपको पता लग जावेगा। २४ नवम्बर, ५५ के गजट में यह विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है।

श्री वेदपाल त्यागी—राज्य में कौन कौनसे पहाड़ी इलाके हैं, इसके लिए क्या बाद में बताने पर ही गवर्नमेंट की आंख खुलती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—गवर्नमेंट को कौन कौन से पहाड़ी इलाके हैं, इसकी जानकारी है और अगर कोई जानकारी कराई जावे तो उसकी जांच कराने की आवश्यकता रहती है।

श्री जगतसिंह झाला—यह जयपुर का इलाका पहाड़ी है, इसको सुविधा न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मैं नहीं बता सकता। पहले से सुविधा मिलती होगी, वही दी जावेगी।

श्री जगतसिंह झाला—राजस्थान बनने के बाद नयी सुविधा नहीं दी गई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे ख्याल से नहीं दी गई। पहले फोर्मर राजस्थान में थे उन्हीं को इसमें घोषित किया गया है।

श्री जगतसिंह झाला—निश्चित तिथि बतायें कि कब तक यह हो जावेगा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—निश्चित तिथि तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह प्रश्न सरकार के सामने नहीं आया।

रावत श्री शंभूसिंह—सुविधा देने के लिये क्या क्राइटेरिया रहता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां अधिक आदिवासी रहते हों, जहा घने जंगल हों।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हिम्मतसिंह।

प्रश्न संख्या ३४

विधान सभा सदस्यों के लिए नियत बंगलों में उचित फर्नीचर देने का प्रबन्ध

श्री जगतसिंह झाला (राज श्री हिम्मतसिंह की ओर से)—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) विधान सभा के सदस्यों के लिये जो बंगले बनाये गये हैं उनके एलोट करने का क्या नियम है ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त बंगलों में रहने वाले सदस्यों को फर्नीचर आदि ठीक नहीं मिलने से बड़ा कष्ट होता है ?

(ग) क्या सरकार उक्त बंगलों में वाजिब फर्नीचर रखने का विचार जल्दी करेगी ?

(घ) उक्त बंगलों में बिजली व पानी के मीटर लग गये हैं या नहीं ? क्या यह सच है कि उक्त मीटरों के इन्स्टॉलेशन के पैसे सदस्यों से लिये जाते हैं ?

(ङ) सरकार उक्त बंगलों में चहारदीवारी कब तक लगवा देने का विचार करती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मंत्री)—(क) अलॉट करने के नियम सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(ख) जितना फर्नीचर है वह दिया जाता है। कुछ और फर्नीचर खरीदने का विषय चल रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) मीटर्स लग गये हैं। इन्स्टॉलेशन चार्जेज़ सदस्यों से नहीं लिये जाते हैं। सिक्योरिटी डिपोज़िट लेने का कायदा है और वही शायद मांगी गई होगी।

(ङ) एस्टीमेट्स बन रहे हैं, सेन्क्शन मिल जाने पर बना दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३५

ग्राम सोंयला से मालपुरा रोड (जिला टोंक) के निर्माण-कार्य की समाप्ति

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में ग्राम सोंयला से मालपुरा रोड का निर्माण हो रहा है ?

(ख) अगर हां, तो उपरोक्त कार्य कब से शुरू हुआ और अब तक कितना कार्य हुआ तथा अब कितना शेष है और इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) इस सड़क का कार्य नवम्बर सन् १९५३ में शुरू हुआ था। सड़क की लम्बाई २८ मील है। जिसमें से ११ मील का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। बाकी हिस्से का मेटीरियल इकट्ठा हो चुका है व अर्थ वर्क भी हो चुका है। अगली बरसात के पहले यह काम पूरा हो जाना चाहिए।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मंत्रीजी के इलाके में है। टोंक मालपुरा यह रोड जाती है। इलेक्शन से पहिले पहिले यह रोड क्या हो जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने निवेदन किया कि यह बरसात के पहिले पहिले हो जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—बरसात तो बहुत दूर है। राजस्व मंत्रीजी की यह खास रोड है। जल्दी ही तैयार हो जानी चाहिए, इलेक्शन से पहिले पहिले।

श्री रामचन्द्र चौधरी—वैसे आपकी कांस्टिटुएन्सी की सारी रोड्स इम्पोर्टेन्ट हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हिम्मतसिंह।

प्रश्न संख्या ३६

कैटून इत्यादि होती हुई कोटा से सांगोद तक की सड़क को मेटल्ड करने सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री जगतसिंह झाला (राज श्री हिम्मतसिंह की ओर से)—Will be Public Works Minister be pleased to state :—

[श्री जगतसिंह झाला]

1. Is there any road from Kotah to Sangod via Kethun Khajuri, Deoli, etc. ?

2. How many miles of it is metalled ?

3. When was the piece beyond Kathun metalled and what is the condition of that piece ?

4. When is the Government going to metal the whole of this road ?

5. Will the Government make an all weather bridge on this road over the River Kali Sindh near Ghanakera ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मंत्री)—इस प्रश्न का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हो सका है। एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर दौरे पर थे, जवाब आने पर ही आपको दिया जा सकता है।

श्री जगतसिंह झाला—इसका जवाब कब मिलेगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री वेदपाल त्यागी—इलैक्शन के बाद।

श्री रामचन्द्र चौधरी—पांच रोज में दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट टर्न कब आयेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—१२ को आवेगी।

श्री अध्यक्ष—रोड की एक्ज़िस्टेन्स का सवाल है। कोई दूसरा आदमी भी दे सकता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसका जवाब आया नहीं वहां से।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जवानसिंह।

प्रश्न संख्या ३७

सिरोही स्थित बिजलीघर का सुप्रबन्ध करने हेतु शासकीय योजना

श्री जवानसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

[श्री जवानसिंह]

(अ) सिरोही स्थित बिजली घर सिरोही नगर को कितने समय तक प्रतिदिन बिजली देता है ?

(आ) उपरोक्त समय में बिजली का वोल्टेज पूरा दिया जाता है या नहीं ?

(इ) क्या उपरोक्त बिजली घर को सरकार द्वारा चलाने की कार्यवाही बहुत समय पहिले से ही सरकार ने शुरू कर दी थी ? अगर हां, तो अभी तक क्या कार्य किये गये हैं ?

(ई) क्या यह सही है कि उपरोक्त बिजलीघर के मालिकों पर पूरे समय बिजली न देने के फलस्वरूप सरकार ने जुर्माना किया है ? अगर हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों ?

(उ) क्या इस बिजली घर को बन्द करने के लिए सरकार को नोटिस मिल चुका है ? अगर हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मन्त्री)—(अ) ८ घन्टे; ४ बजे शाम से रात को १२ बजे तक।

(आ) इस पॉवर हाउस को एक प्राइवेट कम्पनी रन करती है। जहां तक पता चला है पूरा वोल्टेज दिया जाता है।

(इ) सन् १९५५ के मई के महीने में कम्पनी की इस प्रार्थना पर कि वह पावर हाउस नहीं चला सकते और उनका लाइसेन्स रिवोक किया जावे, इस विषय पर विचार किया गया और एक कमेटी द्वारा इसकी वेल्युएशन कराई गई, जिसको कम्पनी ने अभी हाल ही में स्वीकार किया है। अब सरकार इस पॉवर हाउस को खरीदने के प्रश्न पर निर्णय लेगी।

(ई) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(उ) इसका उत्तर (इ) में दिया जा चुका है। कम्पनी ने अपना निश्चय अपने दिनांक २ मई, १९५५ के पत्र में सरकार को भेजा था।

श्री जवानसिंह—ऐसा अनुमान है कि सरकार को पूरा वॉल्टेज दिया गया। क्या सरकार ने जांच कराई कि कितना वॉल्टेज दिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—एक प्राइवेट कम्पनी रन करती है। जहां तक सरकार को मालूम है पूरा वॉल्टेज दिया गया।

श्री जवानसिंह—कितना वॉल्टेज दिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जितना वॉल्टेज चाहिये उतना दिया गया ।

श्री जवानसिंह—कितना वॉल्टेज दिया गया, मैं यह जानना चाहता हूँ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जितना जरूरी था उतना दिया गया । आप यह बतायें कि कितना कम था ?

(हंसी)

श्री जवानसिंह—प्रश्न यह है कि कितना वॉल्टेज दिया गया जो जरूरी था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने आपको निवेदन किया कि पूरा वॉल्टेज दिया गया, यदि कम दिया है तो आप बतायें कि कितना कम दिया गया ?

श्री वेदपाल त्यागी—गवर्नमेंट की निगाह में पूरा वॉल्टेज क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—कहीं ४०० है, कहीं ३०० है । जितना जरूरी था दिया गया ।

श्री जवानसिंह—उस पावर हाउस का पूरा वॉल्टेज कितना है ?

श्री रामचंद्र चौधरी—१० परसेन्ट फ्लक्चुएशन में उसमें अलाउड है, बाकी जितना वॉल्टेज था दिया गया ।

श्री वेदपाल त्यागी—The Hon'ble Member wants to know how much voltage is allowed in Sirohi ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—हर एक लाइन का अलग अलग वोल्टेज होता है । जिस लाइन पर जितना वोल्टेज है उस पर दस परसेन्ट फ्लक्चुएशन का निकाल कर बाकी का दिया गया ।

श्री जवानसिंह—१० परसेन्ट फ्लक्चुएशन के बाद बाकी कितना वोल्टेज रहता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने निवेदन किया कि हर एक लाइन में अलग अलग होता है ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—किलोवाट पर मेरे खयाल से बता सकते हैं, वोल्टेज पर नहीं।

श्री रामचंद्र चौधरी—किलोवाट तो शायद दूसरी चीज़ है, जिसको मैं और आप नहीं समझे हैं।

(हंसी)

श्री वेदपाल त्यागी—Accept this that you don't know abut this, rather to reply in vague.

श्री जवानसिंह—I refer to my question again. Whether any fine has been imposed or proposed to be imposed for not supplying the adequate supply of eleectricity ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—अभी मैंने बता दिया कि यह प्राइवेट कम्पनी है और उसने सरकार को लिख कर दिया कि यह पॉवर हाउस नहीं चला सकती। इस पर पीनाल्टी इम्पोज़ करने का कायदा नहीं था इसलिये कोई पीनाल्टी इम्पोज़ नहीं कर सकते हैं।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार को यह विदित है कि इस पॉवर हाउस के साथ में फोर्मर सिरोही स्टेट का एग्रीमेंट हुआ था, जो आज भी रायज़ है। उसके मातहत पावर हाउस न चलाये और बिजली न दे तो पीनाल्टी वसूल करने का अधिकार है सरकार को।

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह प्राइवेट कम्पनी है और सन् ५५ में घाटा गया, इसने सरकार को प्रार्थना पत्र दिया कि वह इस पावर हाउस को अब नहीं चला सकती और इसको बन्द करती है। जब बन्द करने की बात आई तो सरकार ने सोचा कि लोगों को तकलीफ होगी और सोचा कि लोगों को सहूलियत हो जाय तब इसको वह बन्द करें। इसलिये जब तक इसकी पूरी जांच नहीं करा ली जाय कि क्या वेल्युएशन होगी तब तक पेनेल्टी लगाने का सवाल ही नहीं आता है।

श्री जवानसिंह—गवर्नमेंट ने यह देख लिया है कि पॉवर हाउस को ले लिया जाय ?

श्री रामचंद्र चौधरी—अभी बताया था कि इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि इसको ले लिया जाय।

श्री जवानसिंह—क्या यह सरकार को याद है कि दो वर्ष पूर्व यह बात इस हाउस को बता दी गई थी कि इस पॉवर हाऊस को ले लिया जाय ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसके लिये एक कमेटी कायम की । इसका वेल्युएशन किया। कम्पनी के मालिक ज्यादा पैसा देने के लिये इसरार करते रहे और उन्होंने नहीं माना। अब वेल्युएशन को मान लिया है और सरकार ने इसको लेने का निश्चय कर लिया है।

श्री जवानसिंह—क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू साल में ही सरकार इस पॉवर हाउस को ले लेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जरूर।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या ऐसे पॉवर हाउस गवर्नमेंट की ही इजाजत से चलाये जाते हैं ?

श्री रामचंद चौधरी—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अन्तर्गत चलाये जाते हैं।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या जो बगैर इजाजत चला रहे हैं उनको बन्द कर सकते हैं ?

श्री रामचंद चौधरी—जरूर।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३८

मांगरोल (डि० कोटा) में निर्माण विभाग का दो मंजिला मकान

श्री जगतसिंह झाला (राज श्री हिम्मतसिंह की ओर से)—Will the Public Works Minister be pleased to state:-

(1) Is there any double storeyed P. W. D. building inside the town Mangrol in Kotah District ?

(2) Is it exclusively used by the P. W. D. or rented to tenants ?

(3) If the building is rented who are the tenants and how much does each tenant pay for the accommodation occupied by him ?

(4) Who is in possession of largest area of the building and since when ?

श्री रामचंद्र चौधरी (निर्माण मंत्री)— (१) जी हां।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(२) और (३) श्री माधोलालजी खानपुरिया, एम. एल. ए., १५ रुपये माहवार पर इस मकान के एक हिस्से में बहैसियत किरायेदार रहते हैं।

(४) शेष सारा मकान सार्वजनिक निर्माण विभाग के सन् १९५३ से काम आ रहा है।

श्री वेदपाल त्यागी—इसको किराये पर देने की क्यों नौबत पेश आई ?

श्री रामचंद चौधरी—कुछ हिस्सा खाली था और कुछ हिस्से में पी. डब्ल्यू. डी. का स्टोर था। जो हिस्सा खाली था उसको किराये पर दे दिया गया है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या जो किराया वे देते हैं वह वाजिब है ?

श्री रामचंद चौधरी—उनसे जो किराया लिया गया है वह वाजिब है।

श्री वेदपाल त्यागी—वह कब से खाली पड़ा हुआ था ?

श्री रामचंद्र चौधरी—यह अलग से सवाल है, इसका इस वजह से अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—इससे कनक्टेड सवाल है, आपको जानकारी रखनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी—अब खाली नहीं है। सन् ५३ से पी० डब्ल्यू० डी० का सामान इसमें पड़ा हुआ है एक हिस्से में और दूसरे को किराये पर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—किराये पर रहे तो कोई आपत्ति है ?

श्री वेदपाल त्यागी—नहीं किराये पर दिया।

प्रश्न संख्या ३९

उदयपुर डिविजन में कांकरोली, सहारडा सड़क से ७ से १८ व ३० से ४० मील के ठेके का भुगतान शीघ्र करने सम्बन्धी

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) उदयपुर डिविजन में कांकरोली, सहारडा और पुर की सड़क ७ मील से १८ मील व इस सड़क के पुल वगैरह ३० मील से ४० मील तक किस ठेकेदार द्वारा किस वर्ष में बनाए गए ?

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

(२) उपरोक्त सड़क व पुलियों पर कुल कितने रुपये खर्च हुए और क्या ठेकेदार को इसके पूरे बिल का पेमैन्ट कर दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) ठेकेदारों के कार्य पूरे हो जाने पर भी उनके आखिरी पेमैन्ट करने में इतनी देरी क्यों की जाती है ?

(४) क्या सरकार जिन ठेकेदारों के काम कई वर्षों पहिले खत्म हो गये हैं उनका पूरा पेमेन्ट जल्दी से जल्दी कराने की व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—यह कार्य आज से ६-१० वर्ष पूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा कराया गया था। यदि किसी कॉन्ट्रेक्टर का पेमेन्ट बाकी है तो वह उसके लिये कार्यवाही करे। उस वक्त के रेकॉर्ड गवर्नमेंट पेश नहीं कर सकी है। कान्ट्रेक्टर के पास रेकॉर्ड हो तो रेकार्ड पेश करे उसके मुताबिक पेमेन्ट कर दिया जायगा।

श्री वेदपाल त्यागी—रेकॉर्ड्स कहां चले गये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि ट्रेस नहीं हो पाये हैं।

प्रश्न संख्या २८

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री अवनिकुमार मुकर्जी।

(अनुपस्थित)

डॉ० श्री आम्बेडकर के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलियें

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय....

राजा श्री मानसिंह—Mr. Speaker, Sir. On a point of order, Sir, some members still stand....

श्री अध्यक्ष—Listen to the Leader of the House. What is the hurry ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सदन के माननीय सदस्यों को अब तक, मैं समझता हूं कि यह समाचार प्राप्त हो चुका है कि कल दिल्ली के अन्दर डॉ० आम्बेडकर का देहावसान हो गया डा० आम्बेडकर देश के उन कुछ व्यक्तियों में से थे कि जिनके दिल में समाज में चले आ रहे

Page No 21

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अत्याचारों के प्रति विद्रोहात्मक भावना थी। वे हरिजन वर्ग के होते हुए भी शुरू से ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल देश के शिक्षणालयों में गये, बल्कि विदेशों के अन्दर भी जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। देश में उनका स्थान अपने खुद की विचारधारा के अनुसार एक विशेष प्रकार का रहा है। आज जिस संविधान के अन्तर्गत हम लोग इस देश के अन्दर काम कर रहे हैं उस संविधान को देने के अन्दर उनका प्रमुख हाथ रहा है। उनकी योग्यता के बारे में, मैं समझता हूँ, देश में दो रायें नहीं रहीं। वे काफी योग्य थे, कानूनी पंडित थे और उसका लाभ देश को समय समय पर मिला। हिन्दू जाति के अन्दर सुधार हो, यह उनके दिल की उत्कट इच्छा थी और उसके लिए कानून बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्नशील थे। उनके जीवनकाल में इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही हुई लेकिन उन्होंने इसके लिए निरन्तर संघर्ष किया और प्रयत्न किया, यह हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। वे आज देश के अन्दर नहीं हैं। उनके विचार और उनके अन्दर जो कानूनी योग्यता थी उसका देश को आगे लाभ नहीं मिल पायेगा; उसके लिए, मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, हम सबको दुःख है। मैं हृदय से उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और आशा करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सदन भी मेरी राय से सहमत होगा।

श्री तनसिंह (प्रतिपक्ष-नेता)--माननीय अध्यक्ष, यह बड़े खेद की बात है कि हमारे बीच में से एक भारत के प्रख्यात नेता चल बसे। उनकी योग्यता और उनकी सेवाओं से कोई अनभिज्ञ नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये और इस देश के लिये जो सेवायें की हैं वे भी चिरस्मरणीय रहेंगी। हमको जो भारत का संविधान प्राप्त हुआ है उसका भी बहुत कुछ उन्हीं को श्रेय है। ऐसे दुखद अवसान पर मैं सदन के नेता की भावनाओं का समर्थन करता हूँ और विरोधी दल की ओर से आप हमारी संवेदना उनके शोकग्रस्त परिवार को भेजकर उनको आश्वस्त करें और उनकी मृतात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—जो उद्‌गार सदन के नेता ने प्रकट किये हैं उनमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हुआ सदन के माननीय सदस्यों की ओर से और अपनी ओर से उस मृतात्मा के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं। डा० अम्बेडकर देश के उन सपूतों में से थे कि जो हिन्दू समाज के अन्दर चले आ रहे सवर्ण और असवर्णों की भेद-नीति के प्रति एक प्रबल विद्रोह और एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के समर्थक थे। अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया और भारतीय संविधान के निर्माण में उन अंशों को उन्होंने रखा। उन्होंने हिन्दू समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये हिन्दू कोड बिल का भी सम्पादन किया। धीरे धीरे हिन्दू समाज में कानून से जो परिवर्तन लाया जा रहा है उन परिवर्तनों का बहुत सा श्रेय डा० अम्बेडकर को है। वे देश के उन सपूतों में से थे जो बड़े प्रतिभाशाली और समाज में क्रान्ति लाने वाले हुए हैं। उनके निधन से एक बड़े विद्वान और सरस्वती का वरद् पुत्र हमारे बीच में से उठ गया। मैं इस अवसर पर सारे सदन

[श्री अध्यक्ष]
की ओर से श्रद्धान्जलि समर्पित करते हुए माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे एक मिनट तक खड़े रह कर उनकी स्मृति में मौन रहें ।

(सदन ने एक मिनट तक मौन खड़े रह कर संवेदना प्रकट की)

श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य वादविवाद

श्री अध्यक्ष—Shri, Arjan Dass.

श्री अर्जनदास तुलसीदास—Mr. Speaker, in this first session of the real Rajasthan we had the pleasure of hearing the address of the Hon'ble the Governor and it was, in fact, the first address by him. In this address we all expected to hear something substantial from him, and, I should say, I for one at least was much disappointed when I read this address, which, for my purpose, I cannot call it a real address at all. I expected him to tell us something substantial what we expect hereafter and not a thing like this. Except few words here and a few words there, nothing substantial in matter is there in the address at all. In this state of affairs I expected that Hon'ble the Governor will tell the House what the Government proposes to do for the public hereafter. We expected of course though a good deal has been said about tbe Panchvarshiya Yojna, but the real position is the prices of the commodities which in general have gone very high up and no efforts are being made or no real efforts are being done to pull them down. Even the necessities of life are costly these days. At this juncture, though fair-price shops have been opened, I can say with certainty that very few of us are able to get it. The way in which they are being handled-most of the foodgrains supplied to these shops is being sold away in the black market and the general public is not able to get it. I, for one, at least, tried to get it, but I have failed to get it, and if I am not able to get it, I am sure the general public would not be in a position to get it. I, therefore, expect the Government to take immediate measures to see that these fair-price shops are run properly and in a methodic manner, so that the general public can at least get the foodgrains as and when they like it, not that the dealers are allowed to sell them away in the black-market.

I also expected that the Hon'ble Governor would tell us what has been done so far and what they propose to do hereafter with regard to corruption and interefrence that is highly prevalent here. As far as my experience goes, corruption is on the increase already. After independence we expected that the corruption would decrease highly, but we must be bold enough to admit that we have failed to bring down corruption, or on the contrary, we have managed to see that it increases by leaps and bounds, but no real efforts are being made to

[श्री अर्जुनदास]

pull it down. I would like to make one suggestion here that if we expect that corruption should go down, we should heve some sort of a legislation by which strict control could be made over those for whom we expect that corruption should be removed. At least I would suggest that there should be a provision of law by which the Government servants should not be allowed while on duty to have more than a fixed figure or fixed amount in their pocket; and if any clerk or other official is found to be in possession of a sum more than that figure, it should be presumed that he has received it by illegal gratification. Only by this method we can see that in the court or in the Tehsils at least, the culprit is not paid on the spot. This is one of the ways and I would suggest that Government be quick with that legislation and see that the corruption is brought down by these means at least.

So far as interference is concerned, I, for one, at least, have a very sad experience. By experience I mean that when we see that in many cases there are telephone calls calling upon a particular officer to behave in this way or that. I can refer to Ajmer District-now it is a district, of course, I have no personal knowledge about the rest of Rajasthan; I should make it very clear on this point that I have no personal experience about the rest of Rajasthan, except Ajmer District; but I am told that interference here was much more than what was found in Ajmer. If Ajmer was bad, I can only imagine what could be the position here. At least one experience I would like to relate, and that is of Major Fateh Singh who was handled by the Rajasthan Police, which was really too bad. I also say that nothing was done to the particular official who had the guts enough to arrest a personality like Major Fateh Singh and make him parade on his feet through a long distance, instead of taking him into a jeep. There was absolutely no necessity of putting the cuffs on, asking him to parade through the bazar. It was merely to create an impression of awe on the masses. At least I expect that the Government should be vigilant enough and see that things like this should not be done by Government officials and if anybody has the guts enough to do it, strict action is taken against him. So far as my information is concerned, I can say that no action was taken against the officials who had the guts enough to behave like that with a personality like Major Fateh Singh, an Hon'ble Member of this House today.

Very recently I came to learn that the Government propose to hold elections to the Ajmer Municipality. Of course I am not saying that I am for those who are nominated by the Government there. I do not support that position. But I will make one snggestion to the Government that holding elections in the

Page No 24

[श्री अर्जुनदास]

end of January would clash with the general Assembly elections or Parliamentary elections and as such I suggest to the Government to fix some other medium which may not coincide with the holding of elections in the end of January, or the Government might hold the elections soon after the general elections or find out some other medium instead of allowing the two things to clash.

Then I also understand, Sir, that so far good deal is being said about socialistic pattern of society, but from my practical experience in life we could not find that anything practical is being done to achieve that object. This socialistic pattern is more or less a slogan rather than a reality within our imagination or within our vision. We can only imagine; we cannot see I for one at least do not expect to see it during my life-time, because no step is being taken to achieve that; nothing substantial has been done, nor there is any prospect of that being done in the near future. We have no indication from the Government what they propose to do with a view to achieve that object. Until and unless the Government treats it not merely as a slogan, nothing can be expected.

In the end, I will only suggest that of course old jagirdars have been dethroned; thank God, they should have been dethroned. But instead of old jagirdars, what we find is that new jagirdars are being cropped up. There are persons here who are assuming airs of new jagirdars; they say they have got authority; they are new jagirdars; they can get anything done. I will expect the Government to see that this feeling at least is removed from the public that a particular individual is more or less a jagirdar because he happens to put the white cap on.

Without taking much time, I will expect the Government to do something on the matters which I suggested, Sir.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री कल्याणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रहे वाद-विवाद पर मैं अपने विचार अधिक नहीं रखूंगा लेकिन दो एक बातें मुझे अर्ज करनी हैं। भाषण के अन्दर अजमेर के लिये जितना भी कुछ कहा गया है वह सिर्फ ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि को लेकर फरमाया गया है लेकिन उनको सरकार की तरफ से यह ध्यान नहीं दिलाया गया कि आज अजमेर के कर्मचारी जो यहां आये हैं उनकी क्या हालत हो रही है? सरकार ने सोचा होगा कि अजमेर से एक को मंत्री-मण्डल में लेलें तो उससे जनता संतुष्ट हो जायगी लेकिन कर्मचारी किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया।

Page No 25

[श्री कल्याणसिंह]

श्रीमान्, अजमेर का इतिहास में जो भी स्थान रहा है वह ऊंचा रहा है। हमारी यह मांग थी कि राजस्थान की राजधानी अजमेर होनी चाहिए। इस मांग के लिए अजमेर विधान सभा के ३० सदस्य एक राय के थे और सबका यह विचार था कि यदि अजमेर राजस्थान की राजधानी बनेगी तो शासन की आज की हालत में अवश्य सुधार हो सकता है, परन्तु आज उस मांग के कारण, जो कि शासन को सुधारने के लिए, शासन पद्धति को अच्छा बनाने के लिए और सारे राजस्थान की जनता को आराम पहुँचाने के लिए की गई, उसका नतीजा यह देखा जाता है कि आज बदले की भावना उत्पन्न हो गई है। वह बदला इस प्रकार का है कि जो कर्मचारी वहां से बदल कर यहां आये, उनमें जो चौथी श्रेणी तक के कर्मचारी हैं, उनको भी पूरी सुविधायें नहीं मिल रही हैं, जो कि उनको मिलनी चाहिए।

श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण के अन्दर यह बताया है कि सुरक्षा के हेतु राजस्थान सरकार ने क्या क्या किया है, उसमें बताया है कि लगभग २६०० डाकुओं को खत्म किया गया है और उनमें से कुछ को मारा भी गया है, पुलिस का उनसे मुकाबला हुआ है आदि, लेकिन उसमें यह नहीं बताया है कि यह चीज बढ़ती क्यों जा रही है ? हमको यह देखना चाहिए कि ये डकैतियें जो हो रही हैं वे किस कारण से हो रही हैं। उस कारण को जब तक नहीं हटाया जायगा, मैं समझता हूं कि ये डकैतियां और भी ज्यादा होंगी। इसका कारण, मैं समझता हूं कि आम जनता की हालत गिर गई है, उनको खाने-पीने के लिए नहीं मिलता। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे कि मालूम हो कि सरकार जनता की उस हालत को सुधारने के कार्यों में दिलचस्पी ले रही है। आज कल, मैं समझता हूं कि वह जमाना नहीं है कि जब किसी ने एक अंगुली किसी की तरफ उठादी तो वह काट दी जाय। अगर आज डाकू बढ़ रहे हैं और डकैतियां ज्यादा हो रही हैं तो श्रीमान, मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि वह देखे कि इसका मुख्य कारण क्या है और जो है उसको समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर इस प्रकार का प्रयत्न नहीं होगा तो इस तरह शाबाशी की बात करना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है कि इतने डाकू पकड़ लिये, इतनों का अन्त हो गया। अगर इसी प्रकार से काम चलता रहा तो मुझे विश्वास है कि यह चीज कम न होकर और ज्यादा बढ़ेगी।

आगे कुछ थोड़ा सा जिक्र उन्होंने किया है जागीर उन्मूलन का। अजमेर में भी जागीर उन्मूलन हुआ है और राजस्थान में भी। पर मुझे दुःख इस बात का है कि सरकार की ओर से राज्यपाल को यह बात नहीं सुझाई गई कि यहां भू-स्वामियों का एक जबरदस्त आन्दोलन हो चुका है जिसमें १५-२० भू-स्वामियों का बलिदान हुआ है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात को एक मामूली चीज समझ रही है और इसको महत्व नहीं दे रही है। राज्यपाल महोदय को यह बात बतलानी चाहिये थी कि भू-स्वामियों ने जो आन्दोलन चलाया था उसके बारे में सरकार क्या कर रही है ? उन लोगों की मांगें सरकार के समक्ष पेश हो चुकी हैं और उन मांगों का जवाब मुख्य मन्त्री

[श्री कल्याणसिंह]

द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है। जो भी खत उनको लिखा जाता है वह वेस्ट पेपर बास्केट में चला जाता है, यह कहां तक ठीक है ? जो छोटे जागीरदार हैं, मध्यम श्रेणी के जागीरदार हैं, उन लोगों का उन्मूलन कर दिया गया है, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसके लिए न राज्यपालजी ने कहा है और न सरकार ने ही कुछ बताया है कि राजस्थान के अन्दर ऐसा आन्दोलन भी हो चुका है, यह बड़े दुःख की बात है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि पहले वाले जागीरदारों को तो खत्म कर दिया और नये जागीरदार पैदा हो गये हैं, मुझे इस पर तो कुछ विशेष नहीं कहना है, मुझे तो सदन के द्वारा सरकार से अर्ज करना है कि जो जागीरदारों की समस्या है उसके बारे में अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिये। अजमेर में यह चीज शुरू हो चुकी है कि छोटे छोटे जो जागीरदार हैं, उन बेचारों के घर तक नीलाम किये जा रहे हैं और उनसे उनकी जमीन व फार्म आदि छीन लिये हैं। मैं आपको बताऊं कि इस सदन के एक सदस्य हैं उनका हाल में ही फार्म छीन लिया गया है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

माननीय राज्यपालजी के भाषण में मुझे कोई भी ऐसी चीज मालूम नहीं हो रही है कि उनको उनके भाषण के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हां, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि उन्हें एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहिये जो कि उन्होंने अन्त में कहा है, वह यह है कि सहयोग एवं स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के वातावरण में आप इस विशाल राजस्थान की जनता की उन्नति व कल्याण के उपाय अपनायेंगे। मुझे यहां इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, उस समय इसी सदन की कायम की हुई परम्परा को ठुकरा दिया गया।

इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह—Mr. Speaker, Sir, today we are discussing the motion of thanks on the address delivered to us by the Hon'ble Governor instead of 'His Highness the Rajpramukh for life'. For four years I had been working for the abolition of this undemocratic office. There is no doubt, Sir, that I would have preferred an elected Rajpramukh from amongst the panel of former Princes, as agreed to in the Covenents signed by them and guaranteed by the Constitution. I am sorry that the Parliament did not bear this in mind when they were doing us the honour of raising our State to the level of other States of India.

His Highness the Maharaja of Jaipur had fulfilled a difficult and thankless task nobly. I hope Hon'ble the Governor will follow the example set by him and continue to maintain the culture and traditions of Rajasthan.

[राजा श्री मानसिंह]

I welcome the marger of Ajmer into Rajasthan. But I strongly oppose, Sir, the tendency of giving this territory, coming into Rajasthan, preferential treatment. Ajmer administratively is not bigger than Bharatpur. Bharatpur was formerly merged into the State of Matsya. No preferential treatment was given to it. Later Matsya was merged into Greater Rajasthan. Again promises of maintaining certain departmental Headquarters in Bharatpur and in the State of Matsya were not fulfilled. Then, when the question came up of Bharatpur and Dholpur going to U. P. or remaining in Rajasthan, the people of Bharatpur and Dholpur overwhelmingly voted their choice to remain in Rajasthan. Again, Sir. the promises made by the Government were not fulfilled. On the other hand we all know that the people of Ajmer have strongly opposed their merger into Rajasthan. I do not udderstand, Sir, why so many Departments and Government Offices are being transferred to Ajmer at the inconvenience of the people of Jaipur Division and specially of Bharatpur and Dholpur. I will however appeal to the members from Ajmer that they should not demand more than their share at the cost of the convenience of the people of Jaipur Division.

The Hon'ble Governor, Sir, has mentioned relief being given by the Rajsthan Government to the Flood affected areas. On hearing his words, Sir, I could help but laugh. The relief given by the Government is like throwing a straw to a drowning man. The total damage, estimated for Bharatpur alone, Sir, is more than 70 lacs. Even if the Government had given 30 lacs as gratuitous relief, I do not think that it would have been enough. We see, Sir, that the Government has given Rs. 1,33,000/- as gratuitous relief and some other loans to the people. Of this, Bharatpur, will get only a part. I would like to remind the House, Sir, that the Rajasthan Government had spent more than 4 times this amount in entertaining Foreign Communist Leaders in Jaipur for two days. I appeal to the Government, Sir, that they shuold be more liberal and generous to the flood affected areas.

I would like to mention that General Elections are here again. In 1952 I mentioned that their were many complaints of Government Officers interfering in politics and of using their authority to influence the vote. In Bharatpur, I admit the last elections were held very fairly. The credit for this goes to the officers posted there at that time, most of whom have now been transferred. Under the present circumstances I doubt if elections will be held fairly in Bharatpur this time. Most of the high officers there are communal and politically minded. I appeal to the Government to see that these officers rise above politics.

[श्री राजा मानसिंह]

Finally, Sir, a grave error was made by the Rajasthan Government in 1952. Everybody makes mistakes, Sir, but it require a great man to admit and correct them. Through the initiative of an Hon'ble member of this House, who, I feel, has no knowledge of Indian History, the peoples flag of Bharatpur was secretly removed by the Rajasthan Government on the 21st. March 1952. Do not the Freedom Fighters, some of whom are sitting in this house, realise that the only place the British were defeated in Northern India in 1804 was at Bharatpur ? Throughout British rule in India, this flag flew day and night over the Fortress of Bharatpur, symbolising the victory of the Indian People over the forces of the British empire. Even prior to this under this flag, sir, the people of Bharatpur defeated the Moghal Emperor, Shah Alam, of Delhi......

श्री अध्यक्ष— What is the occasion of these incidents ?

राजा श्री मानसिंह—To emphasise my point, Sir, the people of Bharatpur brought to Bharatpur the gates of the Red Fort of Delhi, and alsot he gates of the famous fortress of Chittor of Udaipur. These gates of Chittor were removed when that fortress was conquered by Alauddin Khilji. These gates are still to be seen at Bharatpur and are of historical importance. But I am sorry to say that the Rajsthan Government is not at all maintaining these gates for the past 8 years. I appeal to the Government that they should honour the commitments made by Shri N. V. Gadgil, then Minister of the Central Government, on behalf of the Government of India, that the flag of Bharatpur would fly day and night in perpetuity over the fortress of Bharatpur.

In this connection, Sir, I would like to mention that the Government of Rajasthan celebrates 'Partap Jayanti' in honour of Maharana Partap who was the great defender of Mewar Freedom. I fail to understand how the Rajasthan Government has failed to recognise the achievements of another great son of Rajasthan, namely Maharaja Surajmal of Bharatpur, who was the liberator of the Indian People from the foreign Mogul Rule. I am sure the House will join me in appealing to the Government that they should also celebrate officially 'Surajmal Jayanti'.

श्री अध्यक्ष— Bring a resolution on the Private member's day and all these things can be said.

श्री मानसिंह (महार)—ओनरेबल मेम्बर क्या फ्लोर क्रोस कर रहे हैं, उन्होंने खादी नहीं पहन रखी है ?

राजा श्री मानसिंह्—With these words I support the motion of thanks, as I feel that the Government under its present leadership is sincerely trying to better the lot of the people.

श्री सन्तोषसिंह् कछवाहा—माननीय अध्यक्ष.........

श्री अध्यक्ष—श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता ।

(ट्रेज़री बैंचेज़ की ओर के एक सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता—दो रोज से इस सदन में जो चर्चा चल रही थी.........

(कांग्रेस के उपरोक्त सदस्य के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष—Two honourable members cannot stand at a time.

(माननीय सदस्य फिर भी खड़े ही रहे)

Order please ! I have no objection to extending the debate provided the Treasury Benches agree. If the Hon'ble Member from the Treasury Benches or from the Congress side insists on speaking, this would somewhat create difficulty with me. I had reguested the Chief Whip of the Congress Party to submit names and practically all the members, whose names were submitted, were allowed to speak. If a member of the Congress party continues to stand and presses his right for making a speech, then, I will ask the Treasury Benches either to extend the dabate by a day more or the member should keep quiet and let the Minister give the reply.

श्री सन्तोषसिंह् कछवाहा—अभी तो क्वेश्चन अवर खत्म हुआ है, १२ बजे तक तो क्वेश्चन आवर होता है.........

श्री अध्यक्ष—Not that. This is a question of principle. Order please ! I have consulted the Chief Whips of both the sides, the Treasury Benches and the Opposition and they had submitted a list. All the members and even certain more members have spoken and now we should take some decision.

श्री जवानसिंह्—At least on this side there is no objection to extend.

श्री अध्यक्ष—I know it.

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, दो रोज से श्रीमान् राज्यपाल को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, उसमें कुछ विशेष बातें सदन के

Page No 30

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

माननीय सदस्यों ने जाहिर कीं। मुझे अफसोस है कि जब मैं उन बातों का जवाब दे रहा हूँ उस समय वे माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं जिन्होंने कि वे बातें रखी थीं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या इनके बाद में हमें बोलने दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—No. Order please ! Keep patience.

श्री सन्तोषसिंह—अभी तो क्वेश्चन अवर खत्म हुआ है, १२ बजे तक क्वेश्चन अवर होता है.........

श्री अध्यक्ष—१२ बजे तक क्वेश्चन अवर होता है, यही तो गड़बड़ी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझता हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि चन्द बातें स्वायत्त शासन विभाग के बारे में कही गई थीं और हाईकोर्ट का लम्बा फैसला पेश किया गया। मुझे खुशी होती कि वे माननीय सदस्य जिन्होंने फैसला पेश किया यहां होते और इसके जवाब में जो मुझे पेश करना था वह वे सुनते। पर खैर वे यहां नहीं हैं। कुछ फैसले पेश करने के अलावा कुछ और बातें कही गईं और एक माननीय सदस्य ने तो इस बात की मांग की कि इस विभाग के मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये। श्री लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफा दे देने के बाद में इस तरह इस्तीफे दे देने की मांग हमारे देश में बढ़ गई है और मैं समझता हूं कि इस तरह की मांगों को अगर पूरा करने की कोशिश की जाय तो हिन्दुस्तान के सब मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़ेंगे। पर देखना यह है कि इसमें तथ्य क्या है ? अध्यक्ष महोदय, सदन में इस ओर व उस ओर दोनों ओर बैठने वाले कोई भी सदस्य हों, उन्होंने किसी वक्त कोई भी जायज़ बात आकर मुझसे कही होगी तो उसके लिये मैंने इन्कार नहीं किया होगा ? और मुझे याद है कि रास्ते में, घर में, बाथ रूम में और दफ्तर से पैदल वापिस घर जाते वक्त भी मैंने ऑर्डर्स दिये हैं.........

श्री अध्यक्ष—Even in the bath room ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Even in the bath room.

मैंने बाथरूम में भी ऑर्डर लिख कर दिये हैं और यदि इसके बाद भी यह शिकायत रहे कि मैंने किसी को इन्कार कर दिया और मेरा व्यवहार इतना खराब रहा जिसके लिये इस्तीफा देना पड़े तो मुझे उन सदस्य पर दया आती है कि वे इस तरह की बात करते हैं।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

एक माननीय सदस्य ने बहुत बड़ा फैसला पेश किया था, उन्होंने हाईकोर्ट के दो फैसलों का जिक्र किया उन दोनों में मिसरिप्रेजेन्टेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से वह फैसला हुआ ? जिन फैक्ट्स पर फैसले का दारोमदार है वह गलत एफीडेविट हाईकोर्ट में दायर करके फैसला कराया है। हाईकोर्ट का एक बड़ा लम्बा फैसला सीरोंज का है। उसमें हाईकोर्ट ने लिखा है, दो तीन बातों का उसमें जिक्र है, मैं उनके बारे में जिक्र करूंगा।........

श्री वेदपाल त्यागी—आप सही बातों का एफीडेविट नहीं दे सकते थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं सारी बातें अर्ज करूंगा। सीरोंज में एक पहले मेम्बर थे उनके खिलाफ कुछ मेम्बर्स ने बिना मीटिंग कॉल किये प्रस्ताव पास किया, वह डायरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ के पास आया। तो उन्होंने कहा कि दफा १२ के क्लॉज़ ६ में जो प्रोविज़न है उसके मुताबिक स्पेशल मीटिंग बुला कर यह प्रस्ताव पास करना चाहिये था और चूंकि यह प्रस्ताव इस प्रकार पास नहीं किया गया है इसलिए यह प्रस्ताव नाजायज़ है और इस वजह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिए मुंसिफ कोर्ट में इस्तगासा दायर हुआ, इसके पहले सिविल सूट दायर किया गया। वह दावा हुआ १२ मई को और १८ तारीख को मुंसिफ ने स्टे ऑर्डर जारी किया, इसकी अपील करने पर सेशन जज ने २५ मई को स्टे कर दिया और इसकी अपील पर १६ अगस्त को स्टे ऑर्डर कैन्सिल कर दिया गया। इसके अलावा न कोई ऑर्डर अदालत से हुआ और न कोई डिक्री हुई। पर हाईकोर्ट को यह मिसरिप्रेज़ेन्ट करके कि डिक्री कर दी गई है एफीडेविट पेश किया गया। वाकया यह है। हाईकोर्ट लीगल फेक्ट्स देखता है इसलिए गवर्नमेंट एडवोकेट को जो फेक्ट्स हैं वह सब मालूम थे। जो एफेडेविट दायर करता तो कोई बात नहीं। जजमेंट सिविल कोर्ट का बताते हैं उसके लिए मैं यह कहूँगा कि सेशन जज का फैसला सिविल कोर्ट में हुआ है वह तारीख है १६ अगस्त १९५४ की :

This is signed by Mr. P. C. Gupta, Civil Judge, Baran. इसमें चेयरमेंन बोर्ड की तरफ से एप्लीकेशन हैं और the petitioner, Mr. Kesrimal पार्टी हैं, म्युनिसिपल बोर्ड की पार्टी है। उसको उन्होंने क्वेश (Quash) कर दिया है। The temporary order of the Tehsildar has been quashed.

"The appeal of the petitioner is, therefore, accepted and the order of the lower court granting temporary rejection to the plaintiff is set aside. The cost of the appeal shall be borne by the two parties."

This is signed and sealed as Chairman of the Municipal Board और उसके बाद यह दावा चलता रहा और चेयरमेन अपना काम करते रहे और इलेक्शन के एक रोज पहले की चिट्ठी मौजूद है। This is dated 9th October. तारीख ६ अक्टूबर की और उसके बाद डाइरेक्टर ओफ लोकल बोर्डीज़ ने फिर रिपोर्ट करके भेजी है कि "The Chairman was

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

absent on the 26th February, 1956, and as the Chairman was absent no special meeting as required by the Act was called. Some members forced a vote of no-confidence against the Chairman. On an appraisal of the facts, the relevant record was sent for in this office and an enquiry was also made in this behalf and it was proved that the vote of no confidence was not got according to the procedure.'

This is what the Director of Local Bodies said. और यह १९.११. का लेटर है जब इलेक्शन खत्म हो चुका and the Chairman was still continuing. उस चेयरमेन को हटा दिया। मुझे यह देख कर बड़ा अफसोस हुआ कि हाई कोर्ट को मिसगाइड करके, मिस अन्डरस्टुड किया गया है। वास्तव में फैक्ट्स यह हैं।

The Chairman regularly continued.

दुबारा इलेक्शन के बाद नया चेयरमेन हुआ तब वह हटाया गया।

श्री वेदपाल त्यागी—Was the Government party to those proceedings in the High Court ? Was it not open to the Government to place all these facts before the High Court.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आप भी वकील हैं तो मैं भी वकील हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—आप अलवर में ही रहे हैं। I am still there.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं भी हाई कोर्ट एडवोकेट रहा हूं, आप कोटा में रहे हैं। कोटा आपका फिर भी छोटा है।

श्री वेदपाल त्यागी—अब तो सिरोंज नहीं है; otherwise I was prepared to take this case to the Supreme Court.

मैं यह कहूँगा कि एक चेयरमेन को हटाने में सिविल कोर्ट में जाना पड़ा और यह किसी भी आदमी को शोभा नहीं देती और कम से कम एडवोकेट के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा हो कि वह गलत एफेडेविट पेश......

श्री वेदपाल त्यागी—I challenge that the affidavit was wrongly filed. What you are saying is wrong.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—On the basis of this affidavit the Chairman has been removed and what you are stating is not correct.

(श्री वेदपाल त्यागी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप इनको कहने दीजिये । फिर आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दें ।

Everything is coming on a personal level; advocates of Kotah and Alwar and all that !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हाई कोर्ट के बारे में मैं निवेदन करूंगा । हाई कोर्ट ने कहा है कि यह बात मानी जानी चाहिए that the Government did not take any action on the vote of no-confidence motion and allowed Shri Abdul Rahim to continue in that post which prevented him from doing so. As a matter of fact, by the decree of the Court passed in a suit brought by the petitoner the appeal was accepted. और यह कहना कि डिक्री मिली और जिससे वह प्रिसिडेन्ट होगा और dislodged कर दिया गया हो । यह कहना कि गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया is wrong, because the Director of Local Bodies passed an order that this is illegal. Now a simple affidavit, which is wrong, उस पर यह सारा जजमेंट बेस्ड है ।

श्री वेदपाल त्यागी—There are other facts also if you read the judgment

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I have read the whole judgment

श्री वेदपाल त्यागी—I do not think.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—You may not think.

श्री अध्यक्ष—The things should not come to the personal level, वह तो सारा मामला पर्सनल बेसिस पर चला रहा है । That does not enhance the dignity of the House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—फाइन्डिंग जिसके बारे में है, मैं पढ़ देता हूँ :

(अश्रव्य)

"A larger part of the control... exercised by the Director of Local Bodies and that is a fact accepted by...against the petitioner."

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

इस पर उन्होंने यह होल्ड किया है (अश्रव्य)

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

And they have based their decision on the affidavit of the accused; यह जजमेंट सब उसी पर जाता है। आपने कहा कि वे गवाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह चेयरमैन है उसको मैंने पहली दफा देखा। इसके पहले मुझे कभी उनको देखने का मौका नहीं मिला। न तो सिरोंज में और न कोटा में। मुझे इसका पता नहीं कि इसमें लोग इन्ट्रेस्टेड हैं या नहीं। मुझे यह भी मालूम नहीं कि वह किस पार्टी का है। इसका मुझे स्वप्न में भी खयाल नहीं। इसलिये यह कहना है कि गवर्नमेंट इन्ट्रेस्टेड थी, this is very wrong and unwarranted. और यह कहना कि supposing we made an error of judgment, यह कहना कि खास मामले में इन्ट्रेस्टेड थे यह उचित नहीं है। हमारे यहाँ दो हजार म्युनिसिपेल्टी के सदस्य हैं और ४० हजार पंचायतों के पंच हैं। इसलिये यदि किसी माने में गवर्नमेंट की एरर हुई तो यह कहना कि उसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाने पर हाई कोर्ट ने उसके फैसले को उलट दिया है इसलिए गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिये यह तो उचित नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं यह कहूँगा कि मुंसिफ और मजिस्ट्रेट जो फैसले देते हैं वे हाई कोर्ट में उलट जाते हैं और कई हाई कोर्ट के केसेज़ भी रिवर्ट हो जाते हैं। इसके माने यह नहीं होते कि उन सब को इस्तीफा दे देना चाहिये। उनका क्या होगा ? वकीलों का क्या होगा ? वकील लोग तो दिन रात कत्ल के मुकद्में हारते हैं और लोगों को फांसी होती है। उनका क्या हाल होगा ? यह उनको सोचना चाहिये।

अब दूसरे केस का हवाला दिया गया और हवाला डीग के केस का दिया गया। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जिन्होंने इसका जिक्र किया वे खुद भी यहां उपस्थित हैं और खुद भी इस केस के बारे में मुझ से बात कर चुके हैं और उनको इस बात पर कनविन्स कर दिया गया था कि वह जजमेंट, चाहे उनके नोटिस की बात हो अथवा किसी और दूसरी प्रकार की बात हो लेकिन मोर और लैस वह केस बिल्कुल ठीक है और मैं समझता हूं कि उनको तसल्ली हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझ पर दो एलीगेशन्स लगाये। उन्होंने एक एलीगेशन तो इस बात का लगाया कि मैंने इस पर जो कार्यवाही की वह इसलिये की कि वह आदमी दूसरे ग्रुप का है। दूसरे, यह कहा गया कि मैंने उस आदमी से मिलने के लिये इन्कार कर दिया, साथ ही उनका यह भी कहना था कि उस आदमी ने मुझ से कई बार मिलने की कोशिश की। तो श्रीमान्, जब यह कहा गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां जो नगर से आने वाले सदस्य हैं उनको भी मिलने का टाइम दिया और मैंने उनसे कहा कि वे सज्जन मुझे घर आकर मिल लें और मैं उनसे मिलूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि वह सज्जन घर पर तो नहीं आए लेकिन फिर भी मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई, यानी जो श्रीमान् हैं वह तो मुझ से कई बार मिले और मैं आपको बताऊं कि We are more or less friends, but inspite of this I passed a judgment against him. लेकिन फिर भी यह कहना कि वकील साहब को तो अपनी वकालत करना ही आता है और यह कह देना कि मैंने मिलने से इन्कार कर दिया तो इस बात पर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। I meet people even in the bath room.

श्री अध्यक्ष—This is the difficulty.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब इसके बाद दूसरी शिकायत यह की गई कि भरतपुर में दो पार्टियां हैं और वहां का जो दूसरा ग्रुप है वह हमारे साथ में नहीं है तो उस ग्रुप से लोगों को शिकायतें हैं। क्योंकि यह श्रीमान दूसरे ग्रुप के थे इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही की गई, ऐसा मेरे ऊपर एलीगेशन लगाया गया। मैं आपसे अर्ज करूं कि उस ग्रुप के जो मुखियां हैं और जिनकी तरफ से आपने पैरवी की है मेरी उनसे दिल्ली में बात हुई, उन्होंने मुझ से कहा कि चेयरमेन ने ऐसा किया मैंने उनसे कहा कि मैं आपको जजमेंट की कॉपी भेज देता हूं और आप देख लेना कि किस की गलती है। साथ ही मैंने उनसे यह भी कहा कि उस जजमेंट को पढ़ लेने के बाद में आप मुझे लिखें कि उसमें क्या गलती रह गई। उस जजमेंट की मैंने उनको कॉपी भेजी भी, लेकिन उसका आज तक जवाब नहीं आया है। वह जो दूसरा ग्रुप है वह हमारे साथ में रह जाता है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह बात याद होगी कि वह हमारे प्रदेश के प्रेसीडेन्ट थे और मेरी उनके भाई से बात चीत भी हुई थी और मैंने उनको कनविन्स कर दिया था लेकिन फिर भी यह कहना कि गवर्नमेंट अपने आदमियों की तरफदारी करती है, अपनी पार्टी वालों की तरफदारी करती है, कांग्रेसियों की तरफदारी करती है तो यह बात तो सर्वथा गलत है। अगर किसी केस में दूसरी पार्टी का आदमी निकल आता है और उसकी गलती होने पर उसके खिलाफ कोई चीज हो जाती है तो यह कहा जाता है कि दूसरी पार्टी का है इसलिए इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो इस प्रकार का लोगों को कहने का मौका मिलता है। तो यह तो मैंने न्याय की बात के लिए कहा। आखिर लोगों को शिकायतें बनी ही रहती हैं, अफसोस इस बात का है कि जो मिनिस्टर बनने के लायक थे उनको तो दूसरी जगह पर बैठा दिया गया। अगर लोगों के दिमागों में भ्रम है तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है।

तीसरी बात बारां के लिये कही गई और कहा गया कि बारां के केस में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की। तो वह बारां का केस भी मैं सदन के सामने पेश कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Do not discuss cases. Only reference by way of explanation.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बारां की म्युनिसिपेलिटी में बहुत झगड़े थे और बहुत से लोग इस बात के खिलाफ थे कि बारां की म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड कर दिया जाय। लेकिन जब उस बारां की म्युनिसिपेलिटी की मियाद खत्म हो गई तो मैंने उसकी मियाद बढ़ा दी। परन्तु ज्यों ही मैंने उसकी मियाद बढ़ा दी तो मेरे पास कोई ६ मेम्बरों के इस्तीफे आये और उन्होंने कहा कि अगर आप इस बारां की म्युनिसिपेलिटी को कन्टीन्यू करेंगे तो हम इसके सदस्य नहीं रहेंगे, वह इस चीज के खिलाफ थे कि बारां की म्युनिसिपेलिटी को कन्टीन्यू किया जाय, तो मैंने इन पर गौर किया और फिर इस नतीजे पर पहुँचा कि जब मेम्बर ही स्वयं नहीं चाहते कि इसको कन्टीन्यू किया जाय तो मैंने आर्डर किया कि इसकी मियाद नहीं बढ़ाई जाये।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या जो इस्तीफे उन मेम्बरों ने दिये वे यह बताते हैं कि इस म्युनिसिपेलिटी को कन्टीन्यू न किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां। यह सब चीजें मेरी सरकारी फाईल में मौजूद हैं, उन मेम्बरों के इस्तीफे भी मेरे पास रखे हैं।

तो अब जो सदस्यों ने एक दो बातें यहां कहीं, उनके विषय में मुझे कुछ निवेदन करना है। बघाल के बारे में मैंने आर्डर दिया था लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, १५ तारीख को मैंने आर्डर दिया कि चुनाव को रोक दिया जाय और वहां के तहसीलदार दांता रामगढ़ का तार आया—"Postpone elections, Sarpanch Banathala till further orders." यह तार १५ तारीख को ही यहां से दे दिया गया। आखिर जो यहां से इसके बारे में लिखा गया वह था कि आपका तार नं० ३८, तारीख १५, घन्टा ११ मिनट ५० का दिया हुआ तारीख १८-६-५६ को ७॥ बजे मिला तो फिर वह तार ही १८ तारीख को ७॥ बजे मिला और इस समय तक इलेकशन्स हो गये, तो इसके अन्दर यहां के विभाग की क्या गलती ? मेरे ख्याल से तो इस विभाग की कोई गलती नहीं है।

अब एक शिकायत माननीय सदस्य ने की कि चित्तौड़ में सम्मेलन हुआ था मैं भी उस सम्मेलन में गया था, वह माननीय सदस्य जिन्होंने यह शिकायत की वह भी वहां मौजूद थे और उन्होंने यह शिकायत की कि मैंने वहां सम्मेलन में यह कहा कि म्युनिसिपल के लिए उन्हीं आदमियों को खड़ा होने के लिए टिकट दिया जायगा जो कि किसी प्रकार का झगड़ा न करें। मैंने वहां यह कहा कि म्युनिसिपल सदस्यों में आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। शायद उन्होंने यह समझा कि यह सिर्फ कांग्रेस वालों को ही खड़ा होने देंगे और किसी दूसरी पार्टी वाले को खड़ा नहीं होने देंगे।

श्री जगतसिंह झाला—मैंने यह अर्ज किया था कि आपने इस तरह से फरमाया कि सिर्फ उन्हीं को लिया जायगा जो कि बिना किसी लड़ाई के आ जायें। इसलिए मैंने यह अर्ज किया था कि केवल उन्हीं को आप देंगे जो बिना किसी झगड़े के आ जायें तो इसका मतलब तो यही होता है कि कांग्रेस वालों को ही टिकट दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने यह कहा था कि चुनावों में किसी प्रकार के झगड़े नहीं होने चाहिए। मैंने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया था कि इसी पार्टी के आदमी खड़े होने चाहिए। मैंने तो यह बात इसलिए कही थी कि गांवों के अन्दर चुनाव आदि के समय में बहुत झगड़े हुआ करते हैं। साथ ही मैंने यह कहा था कि उन पंचायतों को सहायता दी जायगी जहां कि कोई झगड़े न हो। मैं आपको बताउं कि गुजरात में भी यही परिपाटी है। मेरा मतलब किसी पार्टी विशेष से नहीं था। मैंने जो कहा था उसमें कोई गलतफहमी की बात नहीं है। अध्यक्ष

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

महोदय, जो शिकायतें हुई उनके बारे में मैंने निवेदन किया। माननीय सदस्यों को वैसे मैंने आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—There is only one complaint and that is granting interview in the bathroom.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ जो कि मेरे बारे में कही गई। हालांकि श्री नाथूरामजी मिर्धा को मेरा इस समय बोलना बुरा लग रहा है और वह इसका बहुत ज्यादा अपोज़ करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप अपनी बात जल्दी से कहें, आप क्या कहना चाहते हैं, by way of explanation ?

श्री वेदपाल त्यागी—अभी जो यह कहा गया कि सिर्फ उस शख्स ने झूठा एफीडेविट दिया इसी कारण फैसला उसके खिलाफ हो गया। यह मैं मानता हूँ, साथ ही उसने यह भी लिखा कि मैं सोशिलिस्ट पार्टी का हूं। तो वित्त मन्त्री हैं उनके खिलाफ एलीगेशन्स लगाये हैं। इसके ऊपर माननीय जजेज़ ने फैसला दिया। जिन फेक्ट्स के आधार पर हाईकोर्ट ने २५ पेज का फैसला दिया है उसमें यह आरोप लगाया है कि आपने वैमनस्य के कारण, चूंकि वह दूसरी पार्टी का व्यक्ति था, वाकेयात यह है कि आप उनसे वैमनस्य रखते हैं इसलिये उनको हटाया है। हाईकोर्ट के जजेज़ ने यहां तक माना है, इसमें उन सदस्य का भी हाथ है जो आज आपकी सरकार में वित्त मंत्री हैं। उस फैसले में एक जरा सी चीज को लेकर, आप उसकी आड़ लेकर सारी बातों को छिपाना चाहते हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, क्या यह माननीय सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन की तौर पर कह रहे हैं? क्या यह उनका पर्सनल एक्सप्लेनेशन है?

श्री वेदपाल त्यागी (जारी रखते हुए)—पर्सनल एक्सप्लेनेशन की डेफिनेशन आपके मुताबिक क्या है, बता दीजिये। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष—That is not personal explanation.

श्री वेदपाल त्यागी—This is an explanation.

श्री अध्यक्ष—I call the member to order. Explaining judgement of the High Court is not in the purview of personal explanation. That is an interpretation of the High Court Judgement.

श्री वेदपाल त्यागी—I am not interpreting it on the floor of the House.

श्री अध्यक्ष—Whatever it may be, according to the member there are certain observations in the judgment of the High Court which is published on which the Hon'ble Member of the Treasury Benches draws certain conclusions just to suit him, and the Hon'ble member on the other side does not think those true. But then the judgment is there.

श्री वेदपाल त्यागी—What I wanted to prove was what he said was not true,

श्री अध्यक्ष—May be. He may draw any conclusion from the judgment, but it cannot be said that the judgment has been obtained through wrong means.

श्री वेदपाल त्यागी—So far as I can understand he was saying regarding the affidavit.

श्री अध्यक्ष—No, no. He has not said anything regarding the judgment. Any way, I will look into it in my chamber. Bettor it is produced before me.

श्री रामकिशोर व्यास—(गृहमंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, गत तीन दिनों से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सदन में बहस हो रही है, काफी सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया है। माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में जन सुरक्षा विभाग के संबन्ध में भी कुछ बातें कही थीं। गत वर्ष में डाकुओं की और डाकों की संख्या में काफी कमी हुई है। डाकुओं का डर भी कम हुआ है इस में पुलिस ने वीरता से और साहस से काम लिया है। इतना होने पर भी एक माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रगट करते हुए यह कहा, चाहे उनको यह चीज पसन्द न आयी हो इसलिये यह कह देना कि जो बयान राज्यपाल ने दिया है वह उनकी मरजी के अनुसार न होने के कारण ठीक नहीं है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा, इस संबन्ध में क्या बयान करूं आम तौर पर यह बात कही गई और विशेष तौर से विरोधी दल के नेता की तरफ से कि पुलिस बेकार है, निकम्मी है, वर्थलेस है, इन शब्दों का जो प्रयोग विरोधी दल के नेता की तरफ से हुआ उसके लिए उन्होंने यह दलील दी जिसमें मुझे कोई तथ्य दिखाई नहीं दिया। वह दलील यह थी कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी इसलिये पुलिस निकम्मी है वे दांता हाउस में मौजूद थे फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी और यह भी कहा कि वे जनानखाने में तशरीफ रखे हुए थे फिर भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी।.......

श्री तनसिंह— आप जो यह कह रहे हैं कि मैंने यह कहा था कि मैं जनानखाने में था' बिल्कुल गलत है।

श्री रामकिशोर व्यास— (जारी रखते हुए) मैं तो यह समझता था कि जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं, जो कानून बनाने वाले हैं उनके खिलाफ यदि कानून के जरिये से कोई वारन्ट होता है तो उनका फर्ज होजाता है कि वे अपने आपको पुलिस के सुपुर्द करदें। उनको तो गवर्नमेंट को अपने आप ही सुपुर्द हो जाना चाहिये था, ऐसी हम आशा करते थे। किन्तु ऐसा न करके आखिर पुलिस को मजबूर होकर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा और वे गिरफ्तार भी हुये। केवल इसलिये कि पुलिस जनानखाने में घुस कर उनको पकड़ नहीं सकी इसलिये पुलिस निकम्मी है, नाकाबिल है, कोई दलील नहीं है। पुलिस यदि दांता हॉउस के जनान खाने में नहीं घुसी तो यह पुलिस ने ठीक ही किया पुलिस ने यह कायदे माफिक ही किया अगर इसी बजह से आप पुलिस को निकम्मी कहते हैं तो यह दलील आपकी कोई वजन नहीं रखती।

दूसरी दलील यह दी गई कि एक डीवाई. एस. पी. जैसलमेर के इलाके में डाकुओं से मुठभेड़ करते हुए मारे गये जिनका नाम जगन्नाथ शर्मा था। इसलिये पुलिस निकम्मी है। यह हमारी किस्मत है कि और हमें इस बात पर नाज होना चाहिये और अभिमान होना चाहिये कि इस पुलिस कर्मचारी ने अपने कर्तव्य को अदा करते हुए अपने प्राण गवां दिये, अपनी जान कर्तव्य के लिये लड़ा दी, उसको भी एक बुरी बात कहते हैं। यह कहकर वे कहते हैं इसमें पुलिस की इनएफीशियेन्सी है। मुझे ताज्जुब होता है एक पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य पालन करते हुए उसमें जान लड़ा देता है तो उसकी इनएफीशियेन्सी बतायी जाती है। विजयसिंह नाम का एक डाकू था उसकी तलाश में यहां से दो पार्टियां रवाना हुई, उसको पकड़ने के सिलसिले में दोनों पार्टियां अलग अलग दिशा से गई। रास्ते में एक माताजी का मन्दिर पड़ता था ऊंची पहाड़ी पर, उन्होंने सोचा डाकू माताजी के दर्शन करने गये होंगे अपने को भी चलना चाहिये वे भी माताजी के दर्शन करने गये उनको जाते हुए डाकुओं ने देख लिया और डाकू ने अपना मोर्चा ठीक से संभाल लिया उनको पता चल गया कि पुलिस आगयी मन्दिर तक तो, वे वहां से हट कर एक पहाड़ी पर चढ़ गये और अपनी पोजीसन लेली। दोनों पुलिस के आदमी ऊपर गये जिसमें डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट भी शामिल थे, डकैत अच्छी पोजीशन में था, महफूज पोजीशन में होने के कारण उसने फायर करना शुरू कर दिया, पुलिस वालों ने भी मुकाबिला किया लेकिन डकैत अच्छी पोजीसन में था इसलिये उनके फायरिंग से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस घायल हो गये और उनको वहां से उठाकर ले आया गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह जिस समय का वाका था उस समय अन्धेरा हो गया था, करीब शाम के ५ से ८ का समय था। डाकू विजय सिंह भाग गया और उसमें हमारे एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस मारे गये जो घायल हो गये थे। इस तरह से जो चीज हमारे अभिमान का कारण होना चाहिये, उस आदमी ने अपने कर्तव्य को पालन करते हुए जान की बाजी लगा दी, उस पर यह कहना कि पुलिस नाकाबिल है इस पर मैं और ज्यादा क्या कह सकता हूं? यह तो सदन ही सोच सकता है, मैं इस सम्बन्ध में और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

एक बात और कही गई कि जिन माननीय सदस्यों ने पुलिस के काम की सराहना की वह इसलिये कि पुलिस से उनको रियायत मिलती है, उनके लिये पुलिस को हिदायत है कि उनके

[श्री रामकिशोर व्यास]

साथ रियायत बरती जाय। मुझे दुख है कि एक अच्छी चीज को किस प्रकार गलत तरीके से कहा जा रहा है, कहा यह गया कि जो मथुरादासजी, कुम्भारामजी और नाथूरामजी जो बोले और पुलिस के काम को अच्छा बताया उनके साथ पुलिस रियायत करती है इसलिये इन लोगों ने पुलिस के काम को सराहने योग्य कहा। अफसोस मुझे इस बात का है कि जिस समय मथुरादासजी डाकू जीवनसिंह से मिलने गये थे वह पकड़ा नहीं गया था। यह ऐसा विषय नहीं है कि जो इस सदन में पहली बार ही आया हो, इस संबन्ध में कई मर्तबा सदन में चर्चा हो चुकी है और इस सम्बन्ध में जो भी तथ्य थे वे मैं सदन के सामने रख चुका हूँ, लेकिन हमारे कुछ बन्धुओं की यह नीति रहती है, ये ऐसे विषय उनके लिये बन गये हैं जब कभी भी मौका हो या बेमौका हो चाहे राजप्रमुख के भाषण पर वाद विवाद का समय हो या बिल्स पर बोल रहे हों उनका उल्लेख कर ही देते हैं, इनके नाम का तो जिक्र कर ही देते हैं। चाहे रेज्योल्यूशन हो, चाहे कुछ हो, सूरजभान और जीवनसिंह का नाम तो आ ही जाता है। कई दफा मैं वाकेआत सदन के सामने रख चुका हूँ फिर भी जब कि यहां बात कही गई उसका रिपीटिशन करना जरूरी हो जाता है। जीवनसिंह, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उससे मिलने मथुरादासजी गये, उस वक्त अकेले नहीं गये बल्कि उनके साथ आपकी तरफ बैठने वाले एक माननीय सदस्य श्री मोहनसिंहजी भाटी भी थे। अगर मथुरादासजी माथुर की नीयत में किसी प्रकार का फर्क होता तो विरोधी सदस्य को वे साथ कैसे ले जाते? जब जीवनसिंह से बातचीत हो रही थी तो उस समय भी उसने कहा मुझे ज्यादा कोनफीडेन्स मोहनसिंहजी में है वे अगर इत्मीनान दिला देते हैं तो मैं उनकी बात मान लूंगा। ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस सम्बन्ध में पहले भी वाद-विवाद हो चुका है और सारी बातें बतायीं जा चुकी हैं। इस पर यह कहना कि पुलिस की तारीफ कर रहे हैं बड़े अफसोस की बात है।

सूरजभान के केस के बारे में यह कहा गया कि कुम्भाराम जी का इसमें हाथ था। अभी तो केस सबजुडिस है अभी उसके बारे में कहना कि उनका हाथ था यह गलत है, यह भी कहा गया कि उनके नाम का वारन्ट था फिर भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसके अलावा मैं कहूं कि राजस्थान की पुलिस के सामने कोई ऐसा वारन्ट नहीं है और न उसने उसे डिटेन किया है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—सेन्ट्रल सी० आई० डी० के पास तो है?

श्री राम किशोर व्यास—मैं तो राजस्थान पुलिस की बात कहता हूं। फिर यह मामला सबजुडिस है। इस पर अभी से कुछ विचार कायम कर लेने की जरूरत नहीं। मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान पुलिस के सामने ऐसा कोई वारन्ट नहीं है और यह वाकया बिल्कुल गलत है। ऐसी बातें इस सदन में कहना सदन के सदस्यों को शोभा नहीं देता।

[श्री रामकिशोर व्यास]

यह भी कहा गया कि पुलिस चूंकि हम लोगों के साथ रियायत कर देती है इसलिये इधर बैठने वाले उसकी तारीफ कर देते हैं। तो यह बात मैं आपके लिये भी कह सकता हूँ कि आप भी, जो विरोध कर रहे हैं, वह किसी कारण से कर रहे हैं; तो यह तो कोई वाजिब बात नहीं हुई। पुलिस को काफी अप्रिय बातें करनी पड़ती हैं, उनकी ड्यूटी ही ऐसी है, कानून का पालन करवाना पड़ता है, तोडने वालों को पकड़ना पड़ता है, जाब्ते की कार्यवाही भी करनी पड़ती है, प्रिवेन्टिव एक्ट में भी रखना पड़ता है, तो इन कारणों से क्या मैं यह समझूं कि यह विरोध किया जा रहा है ? जहां तक मेरा अपना सवाल है न मैं पहली वाली बात मानता हूं कि इधर बैठने वालों के साथ पुलिस कोई रियायत करती है, इसलिए ये तारीफ करते हैं और न दूसरी बात कि पुलिस को कानून मनवाने के लिये सख्ती करनी पड़ती है इसलिए विरोध किया जाता है। तो मैं यह बात मानकर चलता हूँ कि दोनों ही बातें सही नहीं हैं। मेरा तो यही कहना है कि कोई भी राय बनाने हम चलें तो फिगर्स और फैक्टस के आधार पर बनानी चाहिये। तो इसके लिये मैं ज्यादा आपसे क्या कहूँ ? जो आंकड़े मेरे पास हैं वे मैं आपके सामने रख सकता हूं। उस पर आप और हम निर्णय करें।

मैं अर्ज करूं कि सन् ४८ में २७७ डाके पड़े, ४६ में ३५८, ५० में ३३०, ५१ में २६६, ५२ में ३५६, ५३ में १६२, ५४ में ६७, ५५ में ६६ और ५६ में अब तक ४६। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि डाकों के जरायम में किस तरह कमी आई है।

लोग दलीलें देते हैं कि रिपोर्टें दर्ज नहीं होतीं। मैं अर्ज करूं कि आज के जमाने में यह कहना बिल्कुल खाम-खयाली है। आज तो वह जमाना है कि यहां डाका पड़ेगा तो दूसरे दिन सारे भारतवर्ष में लोग उसकी खबरें पढ़ लेंगे। छोटे से छोटे इलाके में भी अगर डाका पड़ा। तो फौरन सारे इलाके में फैल जावेगी उसकी खबर और किसी बात के बारे में कहा जावे तो कुछ समय तक समझ में भी आ सकता है, पर डाके जैसी चीज के लिए कहना समझ में आने वाली बात नहीं है। आज का जमाना, आज के जमाने की व्यवस्थाएं, आज के जमाने की पब्लिसिटी के साधन इतने ज्यादा हैं कि ये खबरें रुक ही नहीं सकतीं।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करूं कि इस पीरियड में २६३६ डाकुओं को पुलिस ने पकड़ा है, १५७ डाकुओं को मारा है, १०५ को सरेन्डर करवाया है, यह टोटल करीब २९०० के आता है। तो इस तरह से पांच सालों में २६०० डाकुओं से इस सारे प्रदेश को लिक्विडेट कराया है। यह आसानी से नहीं हुआ इसके लिए पुलिस को बड़ा साहस, धैर्य और कुर्बानी करनी पड़ी है। बहुत से एनकाउन्टर हुए हैं; जिनकी तालिका मैं बताऊं ;

सन् ४६ में २९
सन् ५० में ३२
सन् ५१ में ३३
५२ में (अश्रव्य)

[श्री रामकिशोर व्यास]

सन् ५३ में ६१
सन् ५४ में ६०
सन् ५५ में ३०
और सन् ५६ में अबतक ३० हो चुके हैं।

और इस पीरियड में पुलिस के करीब ३५ से लेकर ५४ तक पर्सनल्स भी मारे गये हैं और १७ और इसके बाद मारे गये। इससे आप अन्दाज लगावेंगे कि पुलिस ने क्या किया है, कितनी कुर्बानी की है ? अपने फरायज़ की अन्जामदेही में उन्होंने अपनी जानों से भी गुरेज़ नहीं किया। यह चीज़ आपके तारीफ की मुस्तहक तो है ही।

इसके अलावा करीब ४२६ आर्म्स रिकवर किये हैं डाकुओं से; चाहे एनकाउन्टर में, एरेस्ट में, सरेन्डर में या मुकाबले में।

तो मेरा यह अर्ज करना है कि आप इन चीज़ों को सामने रख कर अपनी रायें बनाएं और इस पर आप राज्यपाल के भाषण को जज करें कि आया उनमें जो बातें लिखी हैं वे सही हैं या गलत हैं। इनको देखते हुए तो भाषण पर आपके सपोर्ट की और सद्भावना की जरूरत है, न कि इस तरह के विरोध की।

इसके अलावा एक और फैक्ट निवेदन करूं कि हमारी जो पोज़ीशन है उसे ऑल इण्डिया पोज़ीशन से कम्पेअर करें तो अफसोस नहीं होगा। एक लाख आदमियों पर जो डेकोइटी का रेश्यो आता है वह है १.५ जब कि राजस्थान का सन् ५३ का १:१ ही है और ५४-५५ में .५५ रह गया जो कि करीब २ इसका आधा होता है।

इसी तरह से ऑल इण्डिया डेकोइटी की रिकवरी के फिगर्स हैं वे करीब करीब वे ही हैं जो राजस्थान के हैं और जो ४८ प्रतिशत माना जाता है, करीब करीब वही फिगर्स राजस्थान के हैं।

तो इस तरह से दोनों फिगर्स को आप कम्पेअर करेंगे तो राजस्थान के फिगर्स फेवरेबल दिखाई देंगे।

इसलिए निवेदन करता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो फरमाया था वह बहुत ठीक फरमाया था और सदन को उसे स्वीकार करना चाहिए।

अब एक बात मैं निवेदन करूं, धौलपुर की बात।

धौलपुर के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। हमें बहुत ही अफसोस है, दुख है, और तकलीफ है कि गये १५ रोज में वहां तीन या चार डाके पड़ गये। उसका वाकई अफसोस है, लेकिन डाके पड़ गये। इसका जो कुछ इलाज कर सकते हैं करेंगे। धौलपुर हमारे उन स्पोर्ट्स में है, डकैतों के पोइन्ट ऑफ व्यू से, जिसको निहायत खतरनाक कहा जाता है। अरावली हिल्स हैं, गड्ढे हैं, चम्बल का इलाका है। धौलपुर के पास एक तरफ यू० पी० का इलाका मिलता है, एक तरफ

[श्री रामकिशोर व्यास]

मध्यभारत का इलाका मिलता है। चम्बल के बड़े बड़े रेविन्स हैं, गड्डे हैं। रेविन्स को जिन्होंने देखा है वे इसको जान सकते हैं, मैंने स्वयम् ने देखा है, अगर पांच पांच सात सात मंजिले मकान उनमें दाखिल हो जांय तो वहां पता नहीं लगे। इतने बड़े बड़े गहरे गड्डे हैं। वहां पर किसी आदमी का पता लगाना और उन टेढ़े-मेढ़े रास्तों में, मोड़ लिये हुए रास्तों में यह बड़ी दिक्कत का सवाल है, यह दिक्कतें पैदा करते हैं। वहां की परिस्थिति ही ऐसी है। उसके अलावा वहां पहले से बहुत से डाकुओं का गैंग वर्क करता था। उधर-इधर इन आस पास की जगहों में शंकर,पृथ्वी, जगमाल डाकू डाके डालते थे, यू० पी० का मानसिंह डाका डालता था, मध्यभारत के लाखनसिंह और शैतान डाकू डाका डालते थे, रहते थे। इन गैंगों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया। धौलपुर के पृथ्वी, शंकरिया, जगमाल खत्म कर दिये गये। यू० पी. का मानसिंह खत्म हो गया। वह उनके यहां ज्यादा ओपरेट करता था, अपने यहां ज्यादा ओपरेट नहीं करता था। इस पीरियड में जैसा मैंने आपको कहा धौलपुर के काफी डाकों में कामी आई है, आप फिगर्स देखेंगे तो आपको पता चल जावेगा। काफी गैंग खत्म हो गये। लेकिन अचानक १५-२० रोज में लाखनसिंह के गैंग ने इधर ऑपरेट किया। तीन चार डाके कर डाले जिसमें सम्पत्ति और जानमाल का नुक्सान हुआ जिसका हमें अफसोस है मैं साथ ही अर्ज करूं कि पुलिस जो कर सकती थी, उसने किया। पुलिस जितनी कार्यवाही कर सकती है, जरूर करने की बात है। ये जो चार डाके १५ रोज में पडे उसके लिए मैं अर्ज करूं कि एक डाका तो २५ नवम्बर को खुरजा में पडा जिसमें ५० हजार का माल गया। उसमें दो जानें गईं, एक भगवानसिंह और दूसरी उसके पिता की गई। यह मामला अन्डर इन्वेस्टीगेशन है। दूसरा डाका २ दिसम्बर को पड़ा बाकतर में। इसमें जाने नहीं गईं, ३० हजार का माल गया पांच डाकू पकड़े गये। इस तरह से तीसरा डाका महरोली में ४ दिसम्बर को डाला गया। उसमें जान का नुक्सान नहीं हुआ, माल का नुक्सान काफी हुआ। पुलिस तुरन्त वहां पहुँची है। उनके पीछे गई। पुलिस का एन्काउन्टर हुआ। परस्यू किया, लेकिन डार्कनेस हो जाने की वजह से और जंगल होने की वजह से गैंग आगे निकल गया। एन्काउन्टर जरूर हुआ। पुलिस सतर्क तो रही है। इस तरह से पहले दो डकैतियों का जिक्र किया। एक इन्द्रावली वाली डकैती का जिक्र किया। वह डकैती हुई। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है पांच मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया और उनका अदालत में चालान कर दिया। इस तरह से एक डकैती सांवलपुरा की थी। उसमें एक राम नाम के व्यक्ति को एरेस्ट कर लिया। कहना मैं यह चाहता था कि इसका बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है कि ये डाके पडे। लेकिन कोशिश की जानी चाहिए और की जावेगी कि आयन्दा इस तरह का कोई रिपीटिशन न हो, कोई डाका न डाले, जहां जहां डाके डाले गये हैं उसके जो मुल्जिम हैं उनको और माल जो गया है उसको बरामद करने की पूरी पूरी कोशिश की जावे। जब हमें यह बात मालूम हुई तो हमने डो. आई. जी. को भेजा। जब ४ तारीख का वाका हुआ और हमको मालूम हुआ तो आई. जी. पी. को जरूर जाना चाहिए और वे गये भी। फोर्स भी तुरन्त भेजी। वहां पहुँच गयी है। मध्य भारत के पुलिस ओफीसर्स हैं उनसे बातचीत चल रही है। उनसे

[श्री रामकिशोर व्यास]

लिखा पढ़ी की गई है कि मध्यभारत और राजस्थान के पुलिस ऑफीसर्स वगैरह की एक जोइन्ट कमान्ड बना कर काम करें। धौलपुर का जो एरीया है मध्यभारत से मिलता है और यू. पी., से मिलता है और राजस्थान का तो है। वहां पहले तीनों की फोर्सेज़ रहती थीं। यू. पी. राजस्थान और मध्यभारत तीनों की जोइन्ट कमान्ड रहती थी। जब ये गैंग कम हो गये तो उनको विद्ड्रॉ कर लिया। दुबारा जब इस तरह से गैंग आते हैं तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो मध्यभारत और यू. पी. वालों से बातचीत करनी है। अपनी तरफ से जितना रोक सकते हैं, रोकेंगे, उनको परस्यू करके, जितना जल्दी हो सकेगा, रिकवरी और डाकुओं की अरेस्ट की कोशिश करेंगे। फ्युचर में ऐसे ओकरेन्स न हों उसके लिए पूरी २ कोशिश की जावेगी, यह मैं विश्वास दिला सकता हूँ। जो वाके हुए हैं उनके लिए निहायत अफसोस है। जो जाने चली गई हैं, मेरे हाथ में नहीं है, कि उनको वापिस लाया जा सके, मैं तो यही कह सकता हूं कि कमी नहीं रहेगी, किस तरह की कमी नहीं रहेगी। मुल्जिम पकड़े जांय, माल बरामद हो और आयन्दा रिपिटीशन न हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे यह मैं विश्वास दिला सकता हूं और ऐसा आश्वासन मैं सदन को दे सकता हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रति जो लांछन लगाया गया है कि एक अफसर मारा गया और उसकी स्प्रिट को एप्रिशियेट करने के बजाय मैंने उसके लिए खेद प्रगट किया। मैं इस सम्बन्ध में दो मिनिट लेना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष, यह बड़े अचम्भे की बात है कि मेरे भाषण को गलत तरीके से समझा गया। मरता कोई नहीं, अपने कर्तव्य के लिए मरता है।

श्री अध्यक्ष—आपका नाम नहीं लिया।

श्री तनसिंह—उन्होंने यह कहा कि मैंने ऐसा कहा, इसलिए मैं इसको साफ कर दूं।

श्री अध्यक्ष—सदन में जनरल क्रिटिसिज्म हुआ।

श्री तनसिंह—उन्होंने यह कहा कि विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है कि एक आदमी मारा गया, उसकी वीरता की प्रशंसा करनी चाहिये लेकिन खेद प्रकट किया।

मेरे भाषण की तीन लाइनें थीं। मैं उनको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। "लेकिन सिर्फ अकेले डाकू ने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस को मार डाला और एक दूसरे सिपाही को घायल कर दिया। बहादुरी का कहां तक जिक्र करूं वह अकेला डाकू बचकर भाग गया" मैंने यह निवेदन किया था और मेरा यह मकसद नहीं है और कभी नहीं है कि जिस अफसर ने अपना बलिदान कर प्राणोत्सर्ग

[श्री तनसिंह]

कर दिया उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ। ऐसे कर्त्तव्यपरायण अफसरके प्रति सहानुभूति होनी ही चाहिये, और प्रशंसा की भावना होनी चाहिये। मेरा मतलब वहां कहने का यह था कि डाकू अकेला था और इधर आर० ए० सी० का प्लाटून था, उसका ठीक तरह से ओर्गेनाइजेशन न करने के कारण, उस पर ठीक तरह आक्रमण न करने के कारण एक डाकू ने पुलिस ऑफिसर को मार डाला। इसका मतलब क्या यह होता है कि पुलिस अफसर के कर्त्तव्यपरायणता की प्रशंसा न की जाय।

श्री रामकिशोर व्यास—जो एक्स्प्लेनेशन दिया उसको मैं स्वीकार करता हूं और हृदय परिवर्तन के लिए बधाई देता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री)—(करतल ध्वनि) अध्यक्ष महोदय, अन्दर इस अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय इस सदन के सदस्यों ने शायद यह आशा नहीं की होगी कि श्रीमन् राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। आम तौर से अभिभाषण बजट सेशन के मौके पर हुआ करते हैं और वह इस वर्ष का अभिभाषण तो श्रीमन् राजप्रमुख दे चुके थे। लेकिन एक नये राज्य का एक मायने में निर्माण हुआ और नये राज्यपाल यहां पर नियुक्त हुए तो यह भाषण यहां पर देने का अवसर और हम सब को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि भाषण में अमुक आंकड़े नहीं थे, अमुक अमुक बातें नहीं आईं, छोटा सा भाषण दे दिया गया, इस सदन के प्रति अवज्ञा बतलाई गई। मैं समझता हूं कि अगर इस बात को लक्ष्य में रखा जाता इस वर्ष के बारे में कि श्रीमन् राजप्रमुख पहले एक भाषण दे चुके हैं और इस समय जो अभिभाषण हमारे सामने आया वह संक्षेप में लेकिन कुछ मुद्दे की बातें जो कि खास हैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में गये बिना यहां पर रखी गईं। उससे संकेत हमारी दिशा का मिलता है। इस सदन के अन्दर पता नहीं क्यों, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूं कि, विरोधियों के अन्दर मुझे भी इस बार इतनी तेजी नहीं मालूम हुई, इस पक्ष की ओर तो वह तेजी नहीं थी भाषणों में वह स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है, लेकिन विरोधियों के भाषण के अन्दर भी उतनी बातें नहीं आईं। उसमें, मैं समझता हूं, कि आने वाले चुनावों की छाया नजर आती है जिसकी वजह से वह बातें तेजी के साथ यहां पर नहीं रखी गई हैं। उस छाया से मेरा मतलब, मैं समझता हूं स्पष्ट समझा जा सकता है कि चुनाव सामने हैं और इस मौके पर एक प्रकार की कमजोरी कई लोगों के दिमाग में होना स्वाभाविक है। खैर, कुछ बातें कहीं गईं वे हमारे सामने आईं, आशा और निराशा से कही हुई बातें आईं, और उन बातों को हमने गौर से सुना। मैं कुछ खास मुद्दों की बातों पर विस्तार से जाऊं उससे पहले कुछ बातों पर जो कि छुटकर इधर उधर कहीं गई हैं उन पर कह देना ज्यादा उचित समझता हूं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर राज्य के अन्दर जो वहां के डाइरेक्टर थे उन्होंने मार्च के महीने के अन्दर सन् ५५ में काफी खर्चा किया और आखरी तारीख को काफी खर्चा किया,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और जो वित्त विभाग के कायदे होते हैं उनके विपरीत खर्चा किया। कुछ बातें उसके साथ और भी कही गई। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि जिस रिपोर्ट को वे पढ़ रहे थे उस रिपोर्ट को विस्तार के साथ में मैं पहले पढ़ चुका हूं। वह रिपोर्ट मेरे पास पहले आ चुकी है और उसके संबन्ध में पूरे तौर से जांच करने के आदेश इस सदन के अन्दर बहस हुई उसके बहुत पहले मैं दे चुका हूं। हमारे यहां पर उसकी जांच करने के संबन्ध में अगर किसी की गलती है तो छिपाने का प्रश्न नहीं आता। ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि उस साल में खर्चा अधिक से अधिक कैसे पूरा किया जा सके उस खयाल से बहुत सी चीजें की गई हैं, लेकिन उसमें नीयत क्या थी और क्या नहीं उसके बारे में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज कुछ भी कहना, मैं समझता हूं, मेरे लिए उचित नहीं होगा, और सदन से यह आशा करूंगा कि इसमें विस्तार से जांच पूरी नहीं कर लूं तब तक ज्यादा नहीं पड़े।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि लेबर के संबन्ध में, मजदूरों के बारे में, इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। मैं समझता हूं कि अभिभाषण में नहीं कहा गया हो लेकिन इस सदन को अच्छी तरह मालूम है कि पिछले कुछ अर्से के अन्दर काफी ऐसे कदम उठाए गये हैं जिनसे मजदूरों को राहत मिलने की कार्यवाही हुई है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको मालूम है कि टेक्सटाइल के लिए वेजेज़ क्या हों उनकी उसके बारे में एक एन्क्वायरी कमेटी कायम की गई। उस एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बारे में एक ट्रीपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स बुलाई जा रही है। उसी प्रकार यह भी हमारे सामने बात आई कि दूसरी जगहों पर मजदूरों के कुछ झगड़े थे उनका आपस में फैसला करवाने का प्रयत्न किया गया और उससे लाखों रुपयों का मजदूरों को लाभ हुआ है। हमने कुछ ही दिन पूर्व जयपुर के अन्दर एक इन्श्योरेन्स स्कीम मजदूरों के लिए लागू की कि जिससे मजदूरों को लाभ होगा। प्रोविडेन्ट फन्ड की स्कीम्स् अलग अलग जगहों पर सरकारी पॉवर हाउसेज़ और दूसरे थे उन पर लागू की जायगी.......

श्री संतोषसिंह कछवाहा—वह बन्द भी कर दी गई है। १० अक्टूबर से प्रोवीडेन्ड फन्ड पी. डब्ल्यू. डी. में बन्द कर दिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या कहा?

श्री अध्यक्ष—प्रोवीडेन्ट फन्ड बन्द कर दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पॉवर हाउसेज़ के संबन्ध में वह लागू है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—बन्द हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं आपको और कोई ख्याल रह गया होगा।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—पॉवर हाउ सेज़ और पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूरों का बन्द किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं पावर हाउसेज़ के मजदूरों की बात कर रहा हूं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—दोनों का बन्द कर दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि आपकी जानकारी में फर्क है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—बन्द कर दिया गया है इसलिए वे लोग यहां आये हुए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह लगाया ही अभी गया है। वह और बात होगी। विस्तार से जानकारी करने के बाद आप बात करेंगे तो मैं आपको संतुष्ट करूंगा।

खैर, मैंने आपसे जिक्र किया कि इस ओर निश्चित तौर से कदम उठाये जा रहे हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि हम लोगों की नीति यह है कि मजदूरों को राहत दी जाय। मजदूरों को जो कुछ वे काम करते हैं उसका उचित लाभ मिलना चाहिये और मैं समझता हूं कि उनकी स्थिति के अन्दर सुधार हो रहा है और आगे भी होगा।

यहां पर, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि फाइनेन्स कमीशन आ रहा है। फाइनेन्स कमीशन के सामने राजस्थान की मांग रखी जायगी, लेकिन उसके संबन्ध में यहां कोई जानकारी नहीं दी गई, इस अभिभाषण के अन्दर। मैं समझता हूं कि इस अभिभाषण में फाइनेन्स कमीशन के सामने जो कुछ बातें रखी जाने वाली हैं उसका ब्योरा देना इस स्टेज पर उचित नहीं होता। इस वजह से कि बहुत सी बातें फाइनेन्स कमीशन के सामने जो रखी जा रही हैं एक उचित समय के ऊपर ही वह सामने आनी चाहिये। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जैसी राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान के अन्दर कस्टम्स के कारण जो रेवेन्यू गेप हुआ है, राजस्थान के अन्दर अजमेर के विलय के बाद में जो रेवेन्यू गेप होगा, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स की कमी है, आवागमन के साधनों की कमी है, हमारी जितनी लम्बी चौड़ी बोर्डर की वजह से कमी है उन सब बातों को पूरे जोर के साथ उनके सामने रखना चाहते हैं। इस वजह से कि राजस्थान को अन्य राज्यों के समकक्ष आना है और उस आने के अन्दर जो फाइनेन्स कमीशन आमतौर से फैसला करता है कुछ मुद्दों की बातों पर वह फैसला करेगा इन चीजों को लेकर कि जो इन्कम टेक्स की आमदनी होती है हिन्दुस्तान के अन्दर, एस्टेटड्यूटी से आमदनी होगी और एक्साइज़ ड्यूटी से जो आमदनी होती है उसका बंटवारा किस तरह से किया जाय और जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनकी किस तरह से मदद की जाय, जिससे आगे समकक्ष आने के अन्दर तेजी के साथ बढ़ पायें। मुझे आशा है कि जो मेमोरेन्डम तैयार किया जा रहा है और जैसी कि फाइनेन्स कमीशन के सामने बातचीत की जायगी उससे राजस्थान जैसे राज्य को जिसको की कई मुश्किलों

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

का सामना करना पड़ रहा है उसकी बात को ठीक रूप से समझा जायगा और उचित मदद राजस्थान को मिलेगी।

एक माननीय सदस्य जो अजमेर से आते हैं और जिन्होंने हिंदी के बजाय या तो अंग्रेजी में या फिर सीधे डिंगल, इन दोनों भाषाओं के द्वारा अपने विचार प्रकट किये हैं, उनकी बातें कुछ मेरी समझ में आई हैं और कुछ समझ में नहीं आई ।

श्री गणपतिसिंह—क्षमा चाहता हूँ । आयन्दा हिन्दी में ही बोला करूंगा । लेकिन शायद मुझे वक्त ही नहीं मिलेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मुझे पता नहीं कि आयन्दा आपको वक्त मिलेगा या नहीं यह अलग बात है कि आप इतना भविष्य के बारे में कह सकते हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि उसमें कभी तारागढ़ का नाम आया और कभी नाहरगढ़ का और कुछ अजमेर की शोभा की बात आई । आपकी डिंगल की बात में पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता था कि अजमेर की महिमा के सम्बन्ध में कविता यहां पर कही जा रही है ।.........

श्री गणपतिसिंह—वह हिन्दी में ही थी।

(विपक्ष की ओर से हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इतना ही समझा कि अजमेर की महिमा के सम्बन्ध में कहा जा रहा था । मैं समझता हूँ कि हममें से कोई भी यहां पर अजमेर के ऐतिहासिक महत्व, अजमेर के राजनैतिक महत्व के बारे में कोई विरोध नहीं रखते हैं । हम भी विरोधी नहीं बनें । कविता का भी हम आदर करते हैं । हर्ष है इस बात का कि अजमेर राजस्थान के साथ एक हो गया । लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले में हमें भावना में नहीं बहना है । आज सब सदस्यों को मालूम है कि राजधानी के नाम पर पिछले दिनों अजमेर और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक फैसला किया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कमीशन कहिये या कमेटी कहिये, नियुक्त हो और वह जानकारी करे कि आगे क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये । मैं समझता हूं हमें धैर्यपूर्वक उसकी रिपोर्ट की इन्तजारी करनी चाहिये । जून सन् ५७ तक की बात है । यदि इन्तजारी करेंगे तो उचित निर्णय होगा । वैसे अजमेर के भाइयों को अपने विचार प्रकट करने की यहां अधिक सहूलियत होगी । खैर यह सन् ५७ की घटना है । इस समय मुझे इसके बारे में अधिक नहीं कहना है । इसका जिक्र आया था इसलिए मैंने जिक्र किया । मैं जिक्र कर रहा था कि एक बात उन्होंने अपने भाषण में कही इन्डियन आर्म्स एक्ट के बारे में और तेजी से कहा कि

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

आज दुनिया में ऐसा एक्ट कहीं नहीं है और यहां है, इससे हमारा अपमान है और जनतन्त्र के विरुद्ध है। मैं क्या जवाब दूं, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में। मैं समझता हूं कि शस्त्रों का उपयोग जिस तरह से हमारे यहां हुआ उस तरह का उपयोग दुनियां में अन्य कहीं, जिसका जिक्र आपने किया, नहीं हुआ है। अमुक तरह की परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ तो डकैती बढ़ती जायगी और कई बातें हो सकती हैं। कोई कह सकते हैं कि परिस्थिति में अन्तर नहीं होगा तो असन्तोष बढ़ता जायगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि उनकी बातें मानें नहीं तो डकैती बढ़ती जायेंगी······

श्री कल्याणसिंह—कहने का आशय यह नहीं था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं आपके भाषण का जिक्र मैंने नहीं किया है। आपके भाव यदि ये ही हों, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, तो बात दूसरी है। एक बात है कि हमको स्पष्ट समझ कर चलना है। अभी होम मिनिस्टर साहब ने आपके सामने बातें रखीं। मैं समझता हूं किसी राज्य की हमें तरक्की करनी है तो उसके लिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि वहां शांति और व्यवस्था हो और इस दृष्टि से राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं उसको सोचना होगा।

यहां भाषण देते हुए एक दो सदस्यों ने यह भी कहा कि कुछ आदमियों के खिलाफ आर्म्स लेने की कार्यवाही की जा रही है और कुछ आदमियों के खिलाफ जब चुनाव आयेगा तब प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में चारों ओर अशान्ति हो और अशान्ति फैलाने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाय यह नहीं हो सकता। आने वाले चुनावों में सरकार का यह निश्चित मत है कि शान्तिपूर्वक कार्य हो। उस समय शांति भंग करने वालों के खिलाफ जो आवश्यक कदम होगा वह उठाया जायगा (करतल-ध्वनि)। पिछले चुनाव के समय जो गड़बड़ फैलाई गई थी उसको फिर से नहीं दोहराने दिया जायगा (करतल-ध्वनि) इस बात को लेकर सदन के प्रत्येक सदस्य को सहमत होना चाहिए कि शान्ति से चुनाव हों। हम किसी के शस्त्र नहीं छीनना चाहते हैं और न किसी के खिलाफ पी. डी. ए. के अन्तर्गत कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शान्ति और व्यवस्था भंग न हो। जितने शस्त्र राजस्थान में हैं उतने दूसरी जगह नहीं होंगे। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि चुनाव जैसी चीज में उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये और उनका उपयोग अन्य समय में भी ठीक तरह से हो। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारा दृष्टिकोण एक भिन्न प्रकार का होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह जिक्र किया गया कि भू-स्वामी संघ की ओर से एक आन्दोलन किया गया लेकिन उसका असर, मालूम होता है, सरकार पर कुछ नहीं पड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक जागीरदार, राजपूत या और किसी जाति का प्रश्न है मैं उसको जाति की

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दृष्टि से नहीं देखता । मुझे अफसोस होता है इस तरह की बातें करने वालों के कारण और मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि एक दिन आयेगा राजस्थान में जिस दिन यहां खड़े होकर रोज जातीयता की बातें कहते हैं, वे उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जिनके बारे में वे यहां बातें करते हैं और वे ही लोग एक दिन उनको खुद को कहेंगे कि तुमने हमको नुकसान पहुँचाया है न कि हमने उनको नुकसान में डाला है । रोज कहते हैं जातीयता की बात । फलां जाति के लोगों के खिलाफ ज्यादती की जा रही है और जाटवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मैं नहीं समझता इन बातों को कह कर वे किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं ? लोग कहते हैं जागीरदारों के खिलाफ ज्यादती की गई है । आज नहीं आज से पूर्व कौन इन्कार करता है कि आन्दोलन किया जाय या भाषण दिये जांय । आन्दोलन किया गया, भाषण दिये गये, लेकिन सक्रिय रूप से कितने आदमियों ने उनकी मदद की और उनकी रोजी का इन्तजाम किया ? लेकिन यदि जागीरदारों को हम बसाने का प्रयत्न करते हैं या उनकी रोजी के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उनके घर में जाकर उसको बुरा कहा जाता है और इस प्रयत्न को अच्छा नहीं समझने देनेका वातावरण कायम रखा जाता है । हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि पिछले आन्दोलन को समाप्त करने के बाद राजस्थान सरकार ने कोई कार्य-वाही नहीं की । मैं कहना चाहता हूं कि आन्दोलन समाप्ति की बात भू-स्वामियों से कह रहे थे तो उनका कहना था कि उनकी बात पं० जवाहरलाल जी नेहरू से चल रही है इसलिए हम मोहनलाल सुखाड़िया से बात नहीं करना चाहते । सैंकड़ों लोगों की दरख्वास्तें आईं पर उन्होंने हमसे बात करना पसन्द नहीं किया । मैंने पं० जवाहरलाल जी से पूछा कि हजारों लोगों की दरख्वास्तें आती हैं और बात क्या है, क्या आपके सामने कोई मामला चल रहा है ? तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनको साफ कह दीजिये कि मेरे सामने उनका कोई मामला नहीं है । फिर जब यहां पर पंतजी आये तब ये लोग उनके पास गये तब पंतजी ने उनसे कहा कि आपको फैसला राजस्थान सरकार के साथ करना चाहिये । समझौता न करने के पीछे कारण हैं । कारण हैं इसके पीछे कि असन्तोष कायम रखना है तब तक, जब तक कि आम चुनाव न हो जावें । मूल बात यह है । नाम सिर्फ यह है कि बरबादी हो रही है लेकिन बर्बादी का रास्ता स्वयं निकाला जाता है और लोगों को कहा जाता है कि इन्टेरियम कंपेनसेशन न लें और उसके लिए आन्दोलन चलाया जाय । अंतरिम मुआवजा न लें । जागीरें तो ली ही जायेंगी और अंतरिम मुआवजा नहीं लेंगे तो लोगों में असन्तोष होगा ही और तब हमारे मित्र वहां जाकर भाषण करेंगे और कहेंगे कि असन्तोष फैल गया, बर्बाद हो गये । उनके लिये रास्ता साफ है । जागीरदारों को खुदकाश्त के लिए जमीन बताते हैं लेकिन उसका फायदा वे नहीं उठाना चाहते । यदि वे उसका फायदा उठाते हैं तो असन्तोष मिट जायगा और असन्तोष फैलाने का जरिया मिट जायगा, इसलिए उस असन्तोष फैलाने के जरिये को कायम रखना है । इस सब का दोष हम पर क्यों डालना चाहते हैं ?

मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ जिनसे साफ हो जायगा । हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि भू-स्वामी आन्दोलन के बाद मुआवजा २ करोड़ रुपयों का दे दिया

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मालूम होता है, इससे पहले कोई नही पूछता था। तो मैं माहवार, सालवार आंकड़े दे सकता हूँ। इन आंकड़ों पर कोई असर नहीं हुआ उस आन्दोलन का, हां, कुछ दिन देरी अवश्य लग गई, जब कि पहले तेजी के साथ काम चल रहा था। मैं आंकड़ों के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि जो जागीरें ली गईं, उनकी तादाद, जैसाकि आप तौर पर मालूम है, ५,९६८ है, यानि ५,७३८ जागीरें ली गईं और जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उनकी तादाद, रुपयों में तो जैसा बताया था दो करोड़ रुपये के करीब दिया गया और २८३३ जागीरदारों को अन्तरिम मुआवजा दिया गया। शायद अब यह जिक्र करने की कोशिश करें कि बड़े बड़े जागीरदारों को मुआवजा दिया गया होगा और दूसरे छोटे जागीरदारों को नहीं दिया गया होगा। तो जो अन्तरिम मुआवजा दिया गया, उनकी तादाद २८३३ है, जैसा कि मैंने अभी कहा। इससे अन्दाज हो सकता है कि कितने आदमियों को यह मुआवजा दिया गया। अब इनको यह मुआवजा कब दिया गया, यह भी सुना दूं। सन् १९५४-५५ में मुआवजे का कार्य शुरू हुआ। सन् १९५४-५५ में ७ करोड़ २० लाख रुपया चुका दिया गया और जिस आन्दोलन का जिक्र किया गया वह सन् १९५६ का था। सन् १९५५-५६ में ७५ करोड़ १९ लाख का मुआवजा चुका दिया गया और इस साल १ करोड़ १० लाख का मुआवजा और चुका दिया गया है। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि कुछ की दूसरी किश्त हो जाती है, कुछ में ६ महीने की देरी हो जाती है, जो बाद में मिलती है। इससे अन्दाज होता है कि जिन्होंने दरख्वास्त दी, उनको मुआवजा चुका दिया गया है, किसी महीने, किसी साल। इस पर किसी भी आन्दोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि हमारी इस सम्बन्ध में यह नीति थी कि यह काम आगे चले। इसके अलावा उनकी तरफ से जो मेन्टेनेन्स एलाउन्स के लिए दरख्वास्तें आईं, विधवा से, और और से, उन पर अवश्य गौर किया जायगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि मेन्टेनेन्स एलाउन्स के लिए कुल मिला कर हमारे पास ५१ और १३८ दरख्वास्तें आईं और ३,३९,५५० रु० दिया गया। इसके अलावा ४२ और १२०, मतलब १, १५, २४ के अलावा कुल १६२ दरख्वास्तें आईं, और ३, ३९., ५४० रुपये का मेन्टेनेन्स एलाउन्स दिया गया।

राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर आपके समक्ष यह जिक्र आया था और जिसके अन्दर यह बतलाया गया है कि खुदकाश्त के लिए जमीनें दी गई हैं। मैं यहां पर निवेदन कर दूं तो गलत नहीं होगा कि जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं उसमें आदमी खुदकाश्त नहीं कर रहे हैं, दूसरे आदमियों से काश्त करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे कि कभी ऐसा मौका आ सकता है कि जिनको जमीनें दी गई हैं और अगर वे खेती नहीं करते हैं तो उनके पास वे जमीनें नहीं रहें तो दोष न दें। जमीनों का जो प्रश्न आता है वह खुद की खेती के लिए आता है न कि दूसरों द्वारा खेती करवाने के लिए। कहा जाता है कि जमीनें वहीं पर दी जानी चाहिए, वहीं पर जमीन देने के मामले में एतराज नहीं लेकिन इस शर्त पर कि हमने जो कानून बनाया है और जिस

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कानून के अन्दर सब-टिनेन्ट्स के बारे में जो फैसला किया है उसमें हमने यह फैसला किया है कि जो आदमी पहले से एक जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, वे बेदखल नहीं किए जायेंगे एक हद तक। तो इस बात को सामने रखते हुए कायदे से उनकी जमीन है तो जमीन देने में एतराज नहीं है। लेकिन अगर यह आशा की जाती है कि हम किसानों को बेदखल करके जमीन दें तो मैं कई बार विधान सभा में निवेदन कर चुका हूँ और अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को बेदखल करके उनको जमीन दें, यह सरकार के लिए असम्भव बात होगी, क्योंकि हमारे सामने एक सिद्धान्त है, एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को लेकर हम चलना चाहते हैं। अजमेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह योजना जो सरकार चला रही है, वह योजना, यदि सरकार नहीं होती, तो सर्विसेज़ चला देतीं। मैं उनको बता दूं कि यह सर्विसेज़ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सिद्धान्त रखने वाले लोगों, और एक पार्टी का है। उसका सिद्धान्त यह है कि जमीन जोतने वाले का जमीन पर अधिकार मान कर चले; उस नीति में परिवर्तन नहीं कर सकते। आज इस अवसर पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसीको यह मुगालता हो, किसी को यह भ्रम हो कि जो जागीरों के लिए हमने कानून बनाया है और जिसके अन्दर कुछ उसूल रखें हैं कि जागीरें समाप्त की जांय, उसके अन्दर कोई परिवर्तन आने वाला हो, यह इस राजस्थान सरकार के लिए सम्भव न होगा और जागीरों को निश्चित तौर से समाप्त किया जायगा, यह इस सरकार की नीति है। मैं जानता हूँ कि इस नीति के कारण मुझसे कुछ भाई नाराज हैं, उनको मैं बता दूं कि इस उसूल के बारे में अब कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हमारी नीति के अन्दर कोई अन्तर नहीं हो सकता, यह हमारी दृढ़ नीति है, यह हमारा दृढ़ सिद्धान्त है। शायद कोई यह समझते हों कि इस बात से आम चुनावों में इस प्रकार के नारे उठाने से कोई असर पड़ने वाला है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दर असल बात यह है कि जो राजस्थान में परिवर्तन हुए हैं, जिस प्रकार राजा महाराजाओं ने अपने राज्यों को सौंप दिया है, इसलिए उनकी जनता के अन्दर प्रतिष्ठा है। अच्छा होता कि जागीरों का प्रश्न भी उसी प्रतिष्ठा के साथ समाप्त होता। लेकिन कुछ संघर्षों ने इस स्थिति में परिवर्तन कर दिया है, उन्होंने इसको इतना बढ़ाया कि डेढ़ साल तक दिल्ली और जयपुर के बीच, नेनीताल और जयपुर के बीच इस समस्या को हल करने का मौका दिया गया, इसमें कोई जल्दी नहीं की गई और यह कोशिश की गई कि अच्छी तरह से समाप्त हो, क्योंकि जो जागीरदार थे वे बहुत पहले वक्त से चले आये हैं, उन्होंने कई महत्व के कार्य किये हैं। हम चाहते थे कि यह काम हम अच्छी तरह से कर पायें और यह प्रथा मिलजुल कर समाप्त हो......

श्री कल्याणसिंह—क्या इसी तरह अजमेर में यह प्रश्न तय किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अभी अजमेर की बात नहीं कर रहा। भू-स्वामियों की बात आ गई थी, उस पर चर्चा कर रहा था।

श्री कल्याणसिंह— सबको ही भू-स्वामी बना दिया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन सारे प्रयत्नों के बावजूद जिस वक्त कानून बनाया और उस कानून को लागू करने का प्रयत्न किया तो जनतंत्र के मुताबिक इस सदन से स्वीकृति कराई गई । जनतंत्र प्रणाली में सब प्रश्नों पर यहां वाद-विवाद होता है, कुछ सदस्य विचारों का मतभेद रखते हैं फिर भी जो इस सदन के अन्दर पास करते हैं, जोरों के साथ जिस चीज को रखते हैं, और उस पर जब निर्णय हो जाता है और जो अन्तिम रूप से स्वीकार करते हैं, वह यहां नहीं हुआ और उसके नहीं होने के बाद भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अगर इस सम्बन्ध में कोई ऐसी तकलीफें हैं कि जिसके कारण लोगों को बसाने के अन्दर दिक्कत आ रही है, या कोई प्रोसिजिर्ल डिफीकल्टीज़ हैं और कई बातें हैं, हम उनके बारे में हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं, और बात कर भी रहे हैं । अगर इन सब बातों को सामने रख कर काम किये जाने के लिए तैयार हैं, तो सबका स्वागत है । तो मैंने सिद्धांत की दो बातें रखी हैं, उन दो बातों के अन्दर किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है—एक तो जागीरों को समाप्त करने का और दूसरे जो काश्तकारों को अधिकार दिया गया है कि जो जमीन पर खेती करते आये हैं, वे उस पर खेती करेंगे । इन दो सिद्धांतों पर परिवर्तन करना इस सरकार के लिए सम्भव नहीं है । इसके सिवाय जो बातें हैं, राजस्थान की परिस्थिति, देश की परिस्थिति, इन सारी बातों को सामने रख कर हमें विचार करना है । एक बात और, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम देश और संसार की परिस्थिति को सामने रखें कि जागीरें कहीं समाप्त हो चुकी हैं और कहीं पर समाप्त होने वाली है, यह वास्तविक है । दुनिया के अन्दर कहीं भी जागीरों के रहने की कल्पना करना, मैं समझता हूं, देश को पीछे खींचना है । संसार के अन्दर किसी भी देश में जागीरदार नहीं हैं और जहां जागीरें थीं वहां भी समाप्त हो गई हैं और अब लोगों ने इस ओर सोचना बन्द कर दिया है । जहां इस पर सोचते हैं, वे उस देश को पीछे ले जायेंगे । हम अब एक तरफ दिमाग लगा सकते हैं कि उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से करना चाहते हैं । उनको बसाने के लिए कर्जा देंगे और मैं आपको बताऊं कि ७ लाख का कर्जा दिया गया है, जिन्होंने की दरख्वातें दी हैं । मैं समझता हूं कि उनसे लाभ उठाना चाहिए । केवल माइंड एजीटेट करने, फार्म भरने से मना करने से और दूसरी परिस्थिति पैदा करने से लाभ नहीं हो सकता, वह हानिकारक बात होती है । उनके लिए ऐसे अवसर पर कॉन्सट्रक्टिव गाइडेन्स की आवश्यकता है । हमने इसके लिए कुछ ऑफिसर मुकर्रर किये जो जाकर उनको समझायें, उन्हें फार्म्स भरने के बारे में, नये नये नियमों के बारे में, उस पर भी एतराज उठाया जाता है और कहा जाता है कि फार्म्स न भरे जायं । यह भी कहा जाता है कि उन अफसरों को राजनैतिक दृष्टि से रखा जाता है और कहा जाता है कि उनको कांग्रेस के मेम्बर्स बनाने के लिए रखा गया । मैं समझता हूँ कि कुल फार्म्स उन्होंने ५००–७०० भरवायें भी हों, तो भी कांग्रेस में कोई इतने मेम्बर बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई अन्तर नहीं होता है । कांग्रेस में हजारों और लाखों मेम्बर अपने आप आ जाते हैं, उसके लिए हमें लाइज़न ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है । यदि किसी काम को ठीक तरह से कर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दिया जाय, तो यह कहा जाता है कि क्यों कर दिया ? जैसे कि २ करोड़ रुपया दे दिया गया तो यह कहा जाता है कि आन्दोलन के बाद में दिया गया है । अगर जमीन दे दी जाय, तो यह कहा जाता है कि जमीन फिजूल दे दी गई । जो कार्य ठीक हो, उसको गलत कहा जाता है । जो कानून हमारे सामने आते हैं, उन कानूनों को काफी वाद-विवाद के बाद काम में लाया जाता है और उनको काफी सोच विचार करके लाये जाने की जरूरत है ।

जाट और राजपूत का नारा लगाने से मैं समझता हूं हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं । हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि जाटों को, राजपूतों को और दूसरी सब कौमों को एक जगह रहना है, ये वैमनस्यता के भाषण न उन्हें आगे ले जाने वाले हैं और न दूसरों ही को आगे ले जाने वाले हैं । एक न एक दिन ये उन्हो के लिये बन्धन साबित होने वाले हैं यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं । और यह सही है अध्यक्ष महोदय, कि पिछले चुनावों के अवसर पर जिन्होंने इस तरह के भाषण दिये थे वे उन्ही के खिलाफ हो गये और अब जो इस तरह के भाषण देते हैं, मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि, अब वे उनके खिलाफ हो जाने वाले हैं । इस तरह के वैमनस्यता फैलाने वाले भाषणों से, गलत भावनाओं को भड़काने से कोई लाभ नहीं हो सकता । पाकिस्तान के लिये हम भला बुरा कहते हैं जब हम भाषण सुनते हैं पर मैं समझता हूं कि कहीं पड़ौसी होने से छाया तो नहीं पड़ रही है हम पर ? वह छाया उचित नहीं । साम्प्रदायिक भावनाओं ने, साम्प्रदायिकता ने देश का अहित किया है, इसलिये इस भावना को नहीं फैलायें यहां उतना ही अच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर भाषणों के दौरान में अजमेर के बारे में काफी जिक्र किया गया । बहुत सों ने कहा कि अजमेर की सर्विसेज़ के साथ ज्यादती हो रही है, बहुत से लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है । मैं अर्ज करूं कि अजमेर की सर्विसेज़ के सम्बन्ध में कुछ मोटे सिद्धान्त हमने तय किये हैं, एक बात तो यह तय की है कि सब्स्टेन्टिव पोस्ट्स के लिये, जिनका सब्स्टेन्टिव अपोइन्टमेंट है उनको हक होगा कि अजमेर में जो ग्रेड उन्हें मिलता था वही वे ले सकते हैं, इसके अलावा एक निर्णय और किया है कि जिनका तीन साल से ज्यादा प्रोविजनल अपोइन्टमेंट हो गया है और तीन साल से ओफिशियेट करते हैं तो वे भी इस बात के हकदार होंगे कि उनको वे ही इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे जो उन्हें अजमेर में मिलते थे, उनके इमोल्यूमेंट्स में कोई फर्क नहीं आयेगा । तीसरी बात यह तय की है कि एक साल से कम की अवधि वाले जो लोग हैं उनको राजस्थान के नियमों के अनुसार वेतन मिलेगा । अब अन्दाज लगाया जा सकता है कि आज राजस्थान में भी बहुत से टेम्परेरी हैं और अजमेर में भी बहुत से टेम्परेरी हैं, उनमें से किनको परमानेन्ट करना है, जब यह सोचने बैठते हैं तो दोनों के बारे में बराबर सोचना पड़ेगा । जब राजस्थान बना था तब तो परमानेन्ट सर्विसेज़ वालों को भी सरप्लस डिक्लेअर किया गया था पर यहां जब अजमेर मिला है तो न परमानेन्ट सर्विसेज़ वालों में से किसी को सरप्लस डिक्लेअर किया गया है, न उन लोगों को तीन साल से प्रोविजनली पोस्टेड हैं, तीन साल से आफिशियेट कर रहे हैं उनमें से किसी को सरप्लस डिक्लेअर

Page No 55

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किया गया है और न एक साल की अवधि वाले कर्मचारियों को भी स्ट्रेट अवे सरप्लस डिक्लेअर किया गया है बल्कि इन एक साल की अवधि वालों के लिये यह किया गया है कि अजमेर की सर्विस वालों को और राजस्थान की सर्विस वालों को दोनों को साथ रख कर कार्यवाही करनी होगी।

आज अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अजमेर की सर्विसेज़ के असन्तोष की बात कही जाती है वहां राजस्थान की सर्विसेज़ के बारे में भी असन्तोष की बात नजर आ रही है और हमारे लिये यह उचित है कि दोनों पलड़ों को बराबर रख कर जो उचित हो वह किया जाय।

दिल्ली में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरीज़ की मीटिंग बुलाई है इन्टिग्रेशन के बारे में और इन्टिग्रेशन ऑफ सर्विसेज़ का सवाल जो नये राज्य हिन्दुस्तान में बने हैं सब जगह है और इस बारे में हमारा आधार, दूसरी जगहों से, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि लिबरल है, आज हमने ज्यादा तर लोगों के पोस्टिंग आर्डर कर दिये हैं और उनको निश्चित जगहों पर लगाने का प्रयत्न किया है, दो तीन आदमियों के अलावा सभी अपनी अपनी जगहों पर लगे रहें इस बात की कोशिश की गई है।

अध्यक्ष महोदय, यह जिक्र किया गया कि पंचायतों के १५० से ज्यादा की तादाद के लोग आये थे उनको सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि यह सदन इस बात से परिचित है कि राजस्थान में पंचायतों के कार्य के लिये सरकारी कर्मचारी नहीं रखे जाते हैं और हमारे देश में किसी जगह इस बात को उचित नहीं समझा गया है। इस बारे में एक निश्चित नीति है जो हम राजस्थान में काम में लेते हैं तो अजमेर के लिए हम दूसरे प्रकार की नीति काम में लायें और सरकारी कर्मचारियों को पंचायतों पर थोपें तो यह कदापि उचित नहीं होगा। इसलिये हमने उन स्थानों को कम किया पर उनमें से जो काम करना चाहते हैं उनके लिये हमने कहा कि उनमें से जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको हम काम पर लगायेंगे, उनमें अगर मेट्रीक्युलेट्स हों तो मैं आज कहता हूँ २५० स्थान रिक्त हैं उनको हम तत्काल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आयेगी। काम पर लगाने का जहां तक सवाल है वहां तक काम पर लगाया जा सकता है पर अमुक काम पर ही लगाया जाय, जहां यह सवाल हो वहां सोचने की बात है।

यह बात सही है कि अजमेर से जो कर्मचारी यहाँ आये हैं उन्हें तकलीफ है, इसमें इन्कारी की बात नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो तकलीफ होती है, उनको मकानों की तकलीफ रहने की दिक्कतें आती हैं। एक रिप्रेजेन्टेशन उन्होंने पेश किया और कहा कि जिस तरह से राजस्थान के कर्मचारियों को मकान किराये की फेसिलिटीज़ हमें भी दी जांय। फिर एक महानुभाव ने हमें बताया कि फोर्थ क्लास सर्विस के लोग जो अजमेर के हैं उनको अजमेर के रूल्स से ज्यादा लाभ पहुंचता था और राजस्थान के रूल्स लागू किये जावें तो उनको नुकसान पहुंचेगा। मगर मैं यह बताना

[श्री मोहनलाल सुखडिया]

चाहता हूं कि हमने इस एक्सटेन्ट तक फैसला किया है कि अगर वे चाहें तो राजस्थान के नियमों का फायदा उठा सकते हैं और अगर वे चाहें तो अजमेर के जो भी नियम लागू थे उनका लाभ उठा सकते हैं। जो नियम उनको लाभप्रद मालूम हों उनका फायदा ये उठा सकते हैं, दोनों अवसर उनके सामने हैं। मैं समझता हूं कि चाहे वह जोधपुर के हों या उदयपुर के या कहीं के भी हों, जो जो कर्मचारी इन्टीग्रेशन के समय आये थे उनको जो अवसर दिया गया वही अजमेर वालों के सामने अवसर मौजूद है। फिर यह कैसे कहा जाता है कि हमने राजधानी की मांग की जिसका बदला लेने की भावना से काम लिया जा रहा है? हमने जहां दूसरे लोगों को एक ओप्शन दिया था वहां यहां अजमेर वालों को दोनों ओप्शन दिये हैं। अगर उनको अजमेर के रूल्स पसन्द हों तो वे अजमेर के रूल्स के अनुसार और राजस्थान के उचित समझें तो उसका लाभ उठावें। मैं यह कहूंगा कि इससे ज्यादा ओप्शन हम नहीं दे सकते।

अब यह कहा गया है कि मेडिकल रूल्स राजस्थान के इतने अच्छे नहीं है जितने की अजमेर के थे। यह ठीक है कि राजस्थान के नियम हैं वह अजमेर के नियमों के मुकाबले में नहीं हैं। अजमेर में जितनी सुविधा हैं उतनी राजस्थान में नहीं हैं। लेकिन अजमेर के कर्मचारियों के लिये दोनों स्थानों के नियमों का लाभ दिया जा रहा है और जो भी वे अच्छा समझें उसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। हमने उसमें कोई अन्तर कर दिया हो ऐसी बात नहीं है।

फिर एक बात यह कही गई की चपरासी क्लास फोर्थ के यहां आये हैं और अजमेर यहां से चले गए हैं इसमें एक दिक्कत थी। शुरू शुरू में कमिश्नर ओफिस अजमेर में जाना था और समय का आभाव था और इसके अलावा और भी कई दिक्कतें थीं। अगर हम उस मौके पर जो व्यक्ति सारे के सारे उसमें थे उनको बदल कर नये रख देते तो बहुत दिक्कत रहती और इससे डिसलोकेशन का डर था। इसलिए हमने उनको जाने दिया और यह समझा कि इस टेम्पोरेरी दिक्कत के मुकाबले में वह दिक्कत ज्यादा होगी अगर कमिश्नर का दफ्तर अच्छी तरह से नहीं जमे। लेकिन हमने एक सरक्यूलर निकाल दिया है कि अगर कोई अपनी म्यूच्यूल ट्रान्सफर चाहता है तो हो सकता है। अगर कोई यहां वाला अजमेर जाना चाहता हो और अजमेर वाला यहां आना चाहता हो तो उनकी रिपोर्ट लिखित में ओफिसर के पास जिसमें वे चाहें कर सकते हैं।

दूसरी बात एक माननीय सदस्य ने कही कि अजमेर के ओफिसरों से यह कहा जाता है कि चूंकि वे आई० ए० एस० नहीं हैं इसलिए उनको मौका नहीं मिल सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि न केवल राजस्थान में, बल्कि देश में आम तौर से कुछ स्थान आई० ए० एस० के लिए निश्चित से हैं। जैसे कलेक्टर की जगह, सेक्रेट्री की जगह, कमिश्नर आदि और इसके ऊपर के अधिकारी। अब राजस्थान में हम कोई विशेष नियम तो नही बना सकते कि आई०ए०एस० को नहीं रखा जावे और उसकी जगह दूसरों को रखा जावेगा। मैं यह कहूंगा कि आई० ए० एस० के

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अलावा रिक्रूटमेंट और डाइरेक्ट एपोइन्टमेंट के लिए अजमेर वालों के लिए एक विशाल क्षेत्र खुल गया है। आज अजमेर से कई योग्य व्यक्ति राजस्थान में आए हैं और मैं समझता हूं कि कि उनके लिए अब एक विशाल क्षेत्र होगया है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा जुडिशियरी में काफी स्कोप है। यहां तक कि सेशन जज और हाईकोर्ट के जज तक समय आने पर हो सकते हैं। इस तरह उनका दायरा बहुत बढ़ गया है। और समय होते हुए इन लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है। अजमेर के आज भी दो ऑफिसर्स हैं जिनको हमने सिलेक्टेड ग्रेड में प्रोविजनली रखे हैं जो ८०० से १२५० का है और आगे सारे इन्टीग्रेशन और सिनियोरिटी के सारे नियम बनने के बाद आवश्यक फैसले किए जावेंगे।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे दिल के अन्दर न कोई विरोधी भावना है न कोई बदला लेने की भावना है। कोई इस प्रकार की भावना न होकर अगर कोई भावना है तो यह है कि अजमेर के सर्विस वाले भी राजस्थान की सर्विसेज के अंग बन जावें और राजस्थान को (सारे के सारे को) अपना एक कुटुम्ब समझने लगें तो मैं समझता हूँ अधिक अच्छा होगा और इसके लिए माननीय सदस्य मदद करेंगे। अगर यह भावना रही कि अजमेर अलग है तो यह उचित नहीं होगा। सर्विसेज वाले अपने आप एडजस्ट कर लेंगे और मैं समझता हूं कि इस पर अपन को भाषण करने की जरूरत नहीं होगी, जब एक दूसरे के साथ हिल मिल जावेंगे। पहले तो आने में कुछ दिक्कत सबको होती ही है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले जिन लोगों का इन्टीग्रेशन हुआ था उनका सिलेक्शन और एग्ज़ामिनेशन हुआ था। मगर अभी जो स्टेनोज़ अजमेर से आये हैं उनका कोई टेस्ट नहीं लिया गया। उनको सीधा स्टेनोज़ मान लिया गया। इसलिये लोग आते हैं और कहते हैं कि आपने पहले तो सैकन्ड ग्रेड स्टेनोज के लिये १२० वर्ड्स प्रति मिनट का टेस्ट लिया था और अब इनके लिये क्यों नहीं रखते हैं? जवाब देने में बड़ी मुश्किल होती है। मगर फिर भी हमने अजमेर के स्टेनोज को कन्टीन्यू रखा है। पहले तो एल. डी. सी., यू. डी. सी., एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री आदि सब का सिलेक्शन हुआ था। मगर आज अजमेर वालों को सिलेक्शन की स्टेज के बगैर कर रहे हैं। एक बात है जो असंतोष का कारण है, उसको अगर हम इस निगाह से देखें कि हमारे किसी भी एक्शन को इस बात के लक्ष्य में रख कर आंके कि अमुक व्यक्ति अजमेर में किस सबस्टेन्टिव पोस्ट पर था? उसका सबस्टेन्टिव एपोइन्टमेंट क्या था? यदि इस बात को सामने रख कर चलेंगे तो हमारी दिक्कत कम हो जावेगी। यदि कोई व्यक्ति सबस्टेन्टिव नायब–तहसीलदार की पोस्ट पर है और मजिस्ट्रेट का काम कर रहा है तो यहां पर उसके लिये यह संभव नहीं होता कि उसको मेजिस्ट्रेट के पद पर रखा जावे। हमको हमारी सारी सर्विसेज़ को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न उलझे हुए हैं। इन सारी चीजों को लक्ष्य में रख कर हमें विचार करना है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक साहब ने कहा कि गुटबंदी के कारण अजमेर वालों को तकलीफ हो रही है। मैं नहीं समझ पाया कि गुटबंदी से अजमेर की सर्विसेज़ पर क्या दिक्कत है? सर्विसेज़ गुट बन्दी में नहीं हैं। जो झगड़ते हैं झगड़ते रहें। अपने आप झगड़ कर निपट लेंगे। वे लोग तो कानून के मुताबिक चलेंगे। और एक बात है और वह सबसे बड़ी बात है कि इन्टीग्रेशन में जो रिओरगेनाइज़ेशन बिल बन कर पास हुआ है उसमें यह बात है कि जो कुछ गवर्नमेन्ट करे यदि उससे किसी को संतोष नहीं हो तो वह अपनी शिकायत गवर्नमेन्ट की इस सम्बन्ध में बनीं हुई एक कमेटी के पास अपील में जा सकता है। इसलिये इसके लिये किसी प्रकार के भ्रम और भय का खयाल करने की जरूरत नहीं है।

अब मैं कुछ जनरल बातों पर आ जाना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा....

एक माननीय सदस्य—मैं एक जानकारी चाहता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह पसन्द नहीं करूंगा कि भाषण के बीच में किसी प्रकार की जानकारी दी जाय।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर। ऑर्डर।।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं निवेदन कर रहा था कि विकास के कार्य में इस बात का खयाल किया जाता है कि जिस जगह कार्य होनेवाला है उस जगह से कांग्रेस का सदस्य चुनकर आया है या नहीं। अगर वहां पर कोई कांग्रेस का सदस्य चुन कर आया है तो वहां पर विकास कार्य हो जाता है। यह एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से वे चुन कर आये हैं वहां पर तो एक्सटेन्शन ब्लॉक चालू है। मेरा मतलब कपासन से आने वालों से है।

फिर मैं यह निवेदन करूं कि एक माननीय सदस्य जो इस तरफ बैठे थे उनके बारे में मैंने जिक्र किया जो केलवा राजनगर से आये थे। सबसे पहले ब्लॉक वहां पर शुरू किया गया। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं अगर अलग २ स्थानों के आंकड़े होते तो मैं बताता। मगर मैं यह कहूंगा कि जोधपुर में बहुत सी कॉन्स्टीटयूएन्सीज़ सिवाय नगौर के ऐसी नहीं हैं जहां कांग्रेस का सदस्य हो मगर ब्लॉक्स वाली डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—बिजली लगनी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा— बिजली भी लग जावेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बेगूं में स्कूल के लिये २५ हजार रुपये दिये गये और बड़ी सादड़ी में सिर्फ १० हजार ही दिये गये। मगर मैं यह कहूंगा कि अगर दोनों जगह के स्कूलों की बिल्डिंग का उनको पता होता तो उनको कोई शिकायत नहीं होती। बेगूं में बिल्डिंग नहीं थी इसलिये वहां पर ज्यादा रुपया दिया गया। हमको तो धीरे धीरे सबको देना है इसको देखकर कोन्सटिट्यूएन्सी का मुकाबला करने से कोई लाभ नहीं होगा। जवाई बांध पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये वहां से कोई चुनकर थोड़े ही आया है।

एक सदस्य ने कहा कि किशनगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला नहीं हुआ। यह प्रश्न कई बार सदन में आता है और मैं यह कह सकता हूँ कि आम चुनावों के बाद रिओरगेनाइज़ेशन कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की कि अजमेर के मर्जर के बाद क्या क्या किया जाना चाहिये. यह सब चुनाव के बाद होगा और उन सब पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि अभी अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली सम्भव नहीं कि कुछ कर पावें। आपने तालाबों के बारे में कहा। इसके लिये सिंचाई विभाग ठीक कराने की पूरी पूरी कोशिश करेगा और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं रहे ऐसी कोशिश करेगा।

अभी अध्यक्ष महोदय, अभी प्लानिंग के बारे में बहुत सी बातें कही गई। इस पर जिक्र करना चाहता हूं। इसमें भी, दूसरी बातों को सिलसिले वार कहूं इसके पहले, दो तीन बातों को और साफ कर दूं तो ज्यादा उचित होगा। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज और इससे पहले जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नाज के भाव राजस्थान में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और राज्यपाल के भाषण में इसके सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ठीक बात है कि नाज के भावों में कुछ तेजी आई है और इसके कई कारण हैं। लेकिन इन दिनों के अन्दर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिक से अधिक फेयर प्राइज़ शॉप खोली जायें। ऐसी शॉप्स कुछ जगह तो खोली जा चुकी हैं और कुछ जगह खोली जा रही हैं और अगर आप चाहें तो इस सम्बन्ध में अलग २ आंकड़े भी मैं आपको दे सकता हूं जिससे यह जाहिर होगा कि राजस्थान में इस समय आम तौर पर १७ से १८ रुपया से ज्यादा मंहगा गेहूं केवल एक आद जगहों को छोड कर और दूसरी जगह नहीं है। उन स्थानों में भी जहां कि गेहूं की कीमत १७ या १८ से ज्यादा है वहां भी ज्यादा अनाज पहुंचा कर के उन भावों को कन्ट्रोल में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है और मुझे आशा है कि यह जो भावों की स्थिति आज है वह भविष्य में नहीं रहेगी। इस मामले में भारत सरकार की तरफ से विश्वास दिलाया गया है कि राजस्थान सरकार जितना भी अनाज चाहे खास तौर से गेहूं वह उसको मिलता रहेगा और गेहूं की कमी राजस्थान में नहीं आयेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

बात चीत के दौरान में यह भी कहा गया था कि फालना में फर्स्ट क्लास मैनेजर के न होने के कारण वहां के प्रोडक्शन में कमी आ रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। फालना माइन्स को डेवलप करने के लिये सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में २ करोड़ से

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अधिक की धनराशि रखी गई है। जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का प्लानिंग कमीशन है और मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ और माइनिंग है वे लोग इसके डिटेल को वर्क आऊट करके योजना तैयार कर रहे हैं और वह फालना की माइन्स उस सेक्टर में चली जायगी जिसकी देख रेख भारत सरकार करती है। मैं आपको फिर बताऊं कि इस मामले में हम स्वयं भी बहुत प्रयत्नशील हैं।

यहां भाषण के दौरान में एक परम्परा की बात भी कही गई और वह यह कही गई कि वित्त मंत्रीजी इस सदन के सदस्य न होते हुए भी इसके मंत्री बना दिये गये। तो इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आम तौर से इस राय में मत-भेद नहीं रखता कि जो मंत्री हो वह इस सदन का सदस्य भी होना चाहिये। लेकिन वह उस बात के लिये कहा जाय कि कोई चुना न गया हो और फिर सदन का मंत्री बना दिया जाये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात में भेद करेंगे कि जो पहले इस सदन के चुने हुये मेम्बर थे और वह इलाका जो रिआर्गेनाइज़ेशन ऑफ स्टेट्स की वजह से वह इलाका यहां नहीं रह सका है और दूसरे राज्य में चला गया है। राजस्थान के अन्दर वह कोन्स्टीटुएन्सी ही नहीं रही है। इस प्रकार की परिस्थिति में उनका यहां वित्त मंत्री बना रहना कोई अवैधानिक बात नहीं है।

श्री भैरुंसिंह (१६)—मध्यप्रदेश में कौन आवाज उठायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आवाज तो उठाने वाले बहुत हैं। अब आप ही कुछ कोशिश कीजिये। मेरे विचार से वहां कुछ गुंजाइश ज्यादा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जातिवाद के सम्बन्ध में बात करते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा कि नागौर के अन्दर जातिवाद फैल रहा है, मैं आपको बताऊं कि मुझे नागौर जाने का कई बार अवसर मिला है और वहां की कुछ जानकारी भी समय समय पर मुझे मिलती रहती है और मुझे अच्छी तरह से यह मालूम है कि वहां पर परबतसर और लाडनूं तहसील में जो तहसील पंचायत के चुनाव हुए वह बिना किसी जातीवाद के हुए। वहां जातीवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। हम जातिवाद के हामी नहीं हैं। वहां पर किसी प्रकार के कोई झगड़े ही नहीं होने पाये। तो वहां पर एक राय से यह सब हो जाना कुछ और चीज जाहिर करता है। हर गांव अपना अपना अलग अलग एडजस्टमेंट कर रहा है। वहां के लोग एक मत हो जाते हैं, सब आपस में मिलकर कार्य करते हैं लेकिन मुश्किल यह है कि यहां पर एक बात ही कहना मुश्किल हो जाता है वहां पर सब एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ बंटाते हैं। इन सब बातों का कहना यहां ठीक नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि गांवों में एक साथ मिल कर लोग काम करने लग गये हैं। मैं आप से निवेदन करूं कि जिस समय भूस्वामी आन्दोलन

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

चला, हालांकि यह आन्दोलन राजस्थान व्यापी था लेकिन कई जगह ऐसी थीं कि जहां लोगों ने भू-स्वामियों का साथ नहीं दिया और इस आन्दोलन में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने इसमें सम्मिलित होना ठीक नहीं समझा, वह जानते थे कि इसमें क्या क्या दोष हैं। तो ऐसे लोग भी हो गये, तो अब फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है ? मैं तो एक बात जानता हूँ कि कुछ इधर के लोग आपके साथ हों और कुछ उधर के लोग इधर वालों के साथ हों तो काम सुचारु रूप से चल सकता है और सब का इसी में लाभ है।

गौ निकासी के बारे में भी एक सदस्य ने कहा। हालांकि इस विषय पर अधिक महानुभावों ने नहीं कहा, इसके लिये मुझे खुशी है। इस विषय पर एक सदस्य ने जरूर कहा। लेकिन अब तक जो गौ निकासी के लिये बोला करते थे उनको तो गौ निकासी कमेटी के लिये मेम्बर चुन लिया गया था और इस बार उन्होंने कुछ भी इस सम्बन्ध में नहीं कहा। तो चलो एक लाभ तो हुआ कि उनको कमेटी का मेम्बर बना देने पर इस पर कुछ बोले तो नहीं। दूसरे माननीय सदस्य ने इसके बारे में जरूर बोला तो एक गलती हमने जरूर की कि उनको उस कमेटी का मेम्बर नहीं बनाया। अगर पहले से मालूम होता तो उनको भी उस कमेटी का मेम्बर बना देते तो शायद वह आज नहीं बोलते।

श्री अध्यक्ष—तो क्या वह मेम्बर उस कमेटी से रिज़ाइन कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। (हंसी) लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि पहले यह देखा जाय कि अलग अलग रियासतों में इस सम्बन्ध में क्या क्या कानून हैं उनकी ओर देखकर यह कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे और जल्दी ही इस बारे में एक कानून बनाया जाय। मैं कहता हूं कि इस बारे में अगर आवश्यकता हुई और माननीय सदस्य अगर कोई माकूल कानून बना देंगे तो उसको ऑर्डीनेन्स के जरिये भी हम कुछ कर देंगे। मगर यह ध्यान रहे कि मैंने माकूल बिल के लिए कहा है और वह माकूल बिल ही होना चाहिए।

आखिर इस सब का जिक्र करने के बाद अब जो विकास के सम्बन्ध में कहा गया उसके लिए कुछ कहा। तो इस पर जिक्र करने के पहले एक बात का जिक्र कर देना आवश्यक है और वह यह है कि हमारे इधर बैठे हुए बुजुर्ग माननीय सदस्यों ने और उधर बैठे हुए हमारे एक माननीय सदस्य ने धौलपुर में जो डाका पड़ा उसके सम्बन्ध में यह कहा कि क्या इस सदन में कोई लालबहादुर शास्त्री नहीं रहा, तो जब यह बात कही गई तो मेरे दिल में भी एक बात उठी और वह यह कि आप यह सोचें कि राजस्थान में कितने डाके पड़े ? अगर इसके आंकड़े निकाले जायें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान में ११०० डाके पड़े। अब इस साल धौलपुर में ७ डाके पड़े और आगे को तो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो इस प्रकार से ११०० डाके पड़ चुके हैं लेकिन इस बार जो माननीय सदस्य ने लालबहादुर शास्त्री बनने के लिए कहा तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर एक एक डाके पर एक एक गृह मंत्री छुट्टी लेगा तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में तो कई गृह मंत्री बनाने पड़ेंगे और फिर शायद है इतने तो यहां सदस्य भी न हों।

श्री भैरूंसिंह (१६)—सबका नम्बर आ जायगा।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आखिर गृह मंत्री इन्तजाम का प्रबन्ध करते हैं वह देखते हैं कि किस जगह हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको सारी स्थिति का ज्ञान हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इस स्थिति से आपको परिचित करा देने के बाद आपके दिल पर भी प्रभाव होना स्वाभाविक ही है। मैं मानता हूं कि लाखन का गैंग बहुत ही खतरनाक है इसमें कोई शक नहीं है। वहां पर जब यह वारदात हुई तो पुलिस को वहां पर जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयत्न किया गया। हम इस मामले में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जनता में किसी बात का भय न रहे और मैं माननीय सदस्यों को और साथ ही दूसरों का भी यकीन दिलाता हूं कि सरकार पूरी तरह से इस बात का प्रयत्न करेगी कि शान्ति कायम रहे और गृह मंत्री स्वयं इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं।

लॉ एण्ड आॅर्डर और पुलिस विभाग के सम्बन्ध में इतना अवश्य जिक्र करना चाहता हूं कि न केवल डाके ही कम पड़ने लगे हैं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि पिछले दिनों में पुलिस विभाग के अन्दर आम तौर से मुस्तैदी आई है और उन्होंने अपना काम काफी अच्छे ढंग से किया है। इसके लिए हर एक सदस्य को खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने ठीक ढंग से कार्य किया। चुनाव के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने कहा उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य इस बात का विश्वास रखें कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनको किसी भी रूप में किसी भी जगह चुनावों के समय उपयोग नहीं किया जायगा और निष्पक्षता और शान्ति का वातावरण राजस्थान में आने वाले समय में रहे इसलिये मैं यह आशा करके चलता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य राजस्थान में निष्पक्षता और शान्ति का वातावरण बनाने के अन्दर सरकार को मदद देंगे। ताकि आगे का कार्य अच्छे ढग से चल सके और शान्ति का वातावरण रह सके।

कल जब कि यहां पर पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में यह कहा गया कि जो रुपया इसमें खर्च किया गया वह एक तरह से फैंका है और राजस्थान के अन्दर जो तरक्की हुई उस पर कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि केवल खर्च कर देना इस बात की कसौटी नहीं है कि तरक्की हुई है। पहले देखने की बात यह है कि आम तौर पर हिन्दुस्तान के अन्दर यह एक बड़ी कसौटी समझी जाती है। एक सरकार को जो रुपया दिया जाता है उस रुपये में से वह कितना खर्च

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कर सकती है। साथ में यह भी है कि वह रुपया सरकार चाहे जैसा खर्च भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर चेक्स काउन्टर चेक्स बहुत हैं। हरेक विभाग के लिये आर्थिक नियम बने हुए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार वह विभाग रुपया खर्च कर सकता है उसके बाहर खर्च नहीं कर सकता। दूसरा, इसके अतिरिक्त हमारे खर्चे की निगरानी रखने के लिये एकाउन्टेन्ट जनरल का दफ्तर है और उससे भी बढ़कर हमारे सदन द्वारा निर्मित पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है जो इन खर्चों पर बैठकर विचार करती है, सोचती है और अपनी राय जाहिर करती है। जब हम रुपया खर्च करना चाहते हैं तब इन सारी बातों का ध्यान हमारे सामने आता है और मुख्य रूप से आता है। किन्तु मैं संक्षेप में प्रथम पंचवर्षीय योजना का नक्शा रखना आवश्यक समझता हूँ, हमने क्या क्या कार्य किये ? मैं समझता हूं हम लोगों में से बहुतों को मालूम है कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कुछ रुपया हमें मिला है उसके अन्दर कुछ स्टेट सेक्टर भी हैं। उसके अनुसार हम सन् ५५ के आखिर तक हम उसमें से २५ करोड ४६ लाख रुपया खर्च कर सके और साल के अन्त में हमने १२ करोड़ ७१ लाख रुपया खर्च किया। ५५-५६ में ७ करोड २४ लाख ६५ हजार खर्च हुआ। इसके अलावा सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड जो स्कीम्स थीं उनके लिये ३५ करोड २ लाख रुपया था, उसमें से सन् ५५ के आखिर तक ६ करोड ७ लाख खर्च हुआ। ५५-५६ में ५ करोड ९९ लाख खर्च हुआ। इसके अलावा जो जोइन्ट वर्क्स हैं, पंजाब और मध्यभारत के साथ चल रहे हैं, उनमें करीब १६ करोड़ रुपया खर्च हुआ। यह जो खर्च किया गया उसका मतलब यह होता है कुल रुपया जितना हमें एलोट हुआ उसमें राजस्थान ८४ प्रतिशत रुपया खर्च कर सका है। इसके मुकाबले अगर सारे देश के एक्सपेन्डीचर को देखें तो हमें पता चलता है कि सब जगह ८३ परसेन्ट रुपया प्रथम पंच वर्षीय योजना में खर्च हो पाया है। जब कि राजस्थान का एवरेज एक्सपन्डीचर दूसरे प्रान्तों के मुकाबले करीब एक परसेन्ट ज्यादा रहा है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूं ८४ प्रतिशत जो रुपया खर्च हुआ उसके लिये सब जानते हैं और इस बात को मानना होगा कि पूरा रुपया जो अलोटेड था उसको हम नहीं खर्च कर पाये उसमें केवल एक डिपार्टमेंट का रुपया था। उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा है वह है महकमा पॉवर का। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लिये कुल ८ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपया था जिसमें से केवल हम १ करोड २३ लाख खर्च कर पाये। उसमें से करीब ७ करोड़ ४४ लाख के आसपास बचा रह गया। टोटल प्लान जैसा कि मैंने निवेदन किया ६० करोड़ रुपये का था जिसमें से करीब ५१ करोड रुपया खर्च हो पाया और करीब ६ करोड ५ लाख रुपया खर्च नहीं हो पाया। और उस नहीं खर्च होने वाले रुपये में ७ करोड ४० लाख केवल बिजली के महकमे का है। बाकी करीब डेढ़ करोड और बचा रह गया। यह जो पॉवर के लिये रुपया हमें मिला उसको हम खर्च कर सकते थे। लेकिन वह खर्च तभी हो सकता था जब कि हमें स्टीम टर्बाइन प्राप्त होते। यह सामान मिले बिना हम इस रुपये का कैसे उपयोग कर सकते थे। सामान के अभाव में हम इस ओर आगे नहीं बढ़ सके। इस सामान के लिये हमने ऑर्डर कभी के दे रखे थे किन्तु सामान

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

आया नहीं और जबतक सामान न आजाय और उसका पेमेन्ट न हो जाय तब तक हम उस रुपये का लाभ कैसे ले सकते। यह जो १६ प्रतिशत रुपया हम खर्च नहीं कर पाये उसका मुख्य कारण यह था जो मैंने अभी निवेदन किया।

इसके अलावा जो सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं उनमें जो खर्च हम कर पाये हैं उसको भी मैं निवेदन कर दूं। उसके आंकडे भी मैं सदन की जानकारी के लिये प्रस्तुत कर दूं। एज्युकेशन डिपार्टमेंट के लिये हम करीब ५१ लाख ६६ हजार रुपया खर्च कर सके हैं मार्च, १९५५ तक, ५५-५६ में ६३ लाख ३८ हजार, कम्युनिटि प्रोजेक्ट में १३ लाख २ हजार और ५५-५६ में १ करोड ७ लाख।

इसी प्रकार लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट के वर्क्स के अन्दर, ५५ के मार्च तक २५ लाख १० हजार, ५५-५६ में २६ लाख, ६८ हजार। जिन चीजों के आंकड़े दिये गये हैं उन चीजों को रात दिन लोग-बाग देखते हैं और उन्हीं चीजों पर लोग अपनी राय जाहिर करते हैं। मैं आपके सामने जो पहले कम्युनिटी प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर थे और आजकल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हमारे राजस्थान में चल रहे कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में राय जाहिर की है वह मैं सदन के सामने रख देना उचित समझता हूं ताकि उन लोगों को पता चल जाय जो यह कहते हैं कि रुपया जो दिया गया वह योंही खर्च कर दिया गया। उन्होंने कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा:

" I have had the opportunity of visiting about seven or eight blocks in the course of my visit in the company of Shri B. S. Mehta, Development Commissioner. I found really heartening and perceptible change in the outlook of the people and the tempo of activity during the past one year in particular. There has been a very distinct change in the working of these projects for the better. I wish to offer my heartfull congratulations to the Rajasthan Government for this."

यह मैं समझता हूँ उस व्यक्ति का लिखा हुआ है जिसके बारे में किसी की भी दो रायें नहीं हो सकतीं। उन्होंने इस प्रकार लिखकर भेजा। आगे उन्होंने लिखा श्रमदान वर्क के बारे में:

"Shram Dan work which was still on during the period of my visit it was seen, has been taken up in right earnest by the vital rural people of Rajasthan. I know it is only a beginning and the people will give an account of themselves far exceeding our own expectations of today."

कहा जाता है कि जनता का सहयोग आवश्यक है, सर्विसेज़ के जरिये ही सब कुछ हो रहा है। यह सही है कि सर्विसेज़ अपना काम ठीक ढ़ंग से कर रही हैं, उसके लिये उनको क्रेडिट

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

देने में हमें किसी प्रकार की झिझक नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया, इसके लिये मैं उन्हें बधाई दूं, इसमें कोई बेजा बात नहीं। उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जहां के गांव के लोगों ने यह कहा है कि वे एक्सटेन्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं। राजस्थान के गांव के रहने वाले दो किसानों को एक्सटेन्शन ऑफिसर बनाया भी गया है। यहां हमारे राजस्थान में एक बस्सी का ब्लॉक है वह सारा का सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत आ गया है। वहां के रहने वाले करीब ६०, ७० प्रतिशत लोग उस सोसाइटी के मेम्बर हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखलाती हैं कि लोगों का उत्साह किस ओर है और वे किस दिशा की ओर जा रहे हैं।

इसके अलावा फूड प्रोडक्शन के बारे में भी जिक्र किया गया, इस सिलसिले में बोलते हुए एक महानुभाव ने यह कहा कि एक तरफ तो नाज महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ हमें यह कहा जाता है कि राजस्थान के अन्दर अन्न का उत्पादन बढ़ गया है, यह कैसे ठीक माना जा सकता है ? मैं और किसी का नहीं गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की, सेन्ट्रल मिनिस्ट्री के स्टेटिस्टिकल एडवाइज़र जो हैं उनका जो ब्योरा है, उनके द्वारा जो आंकड़े निकाले गये हैं उनके आधार पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के फीगर्स दिये हैं उन फीगर्स के मुताबिक—

५०—५१ के अन्दर राजस्थान में इम्पोर्ट	४८ हजार ३७० टन
५१—५२ ,,	१ ला० ८२ ह० ६७ टन
५२—५३ में ,,	१ लाख १५ हजार टन
और	
५३—५४ में एक्सपोर्ट हुआ	१ लाख टन।

यह जो एक्सपोर्ट के फीगर हैं, एक लाख टन हैं। वैसे भी सन् ५३-५४ का वर्ष वार्षिक दृष्टि से भी अच्छा साल था। इसके साथ साथ कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमारे सामने हैं, उन तथ्यों पर विचार करके हमें इस परिणाम पर पहुँचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिये।

पिछले पांच वर्षों के प्लान के बाद जो हमारे यहां पर इर्रिगेशन की फेसीलिटी बढ़ गई हैं उनको वर्क आउट करने पर मालूम होता है कि हमारा एवरेज प्रोडक्शन बढ़ा है।

५३—५४ के प्रोडक्शन फिगर्स ३५ लाख टन मानते हैं, पर एवरेज प्रोडक्शन हमारा यह ख्याल है कि वेराइ करता है २७ से ३२ लाख टन के बीच में। अब जो २७ से ३२ लाख टन के बीच में वेराई करता है उसमें ३-३ लाख टन पोइन्ट इर्रिगेशन का बढ़ना, एक्स्ट्रा जमीन का कल्टीवेशन के नीचे आना, सब चीजें हमारे सामने हैं। एक वक्ता ने यह भी कहा कि अन्न के भाव आज तेज नजर आ रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि पिछली बार इस सदन में चर्चा हुई थी कि ज्वार के,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मक्का के भाव गिर रहे हैं इसलिये इन पर कन्ट्रोल करने के बारे में विचार किया जावे, तो इसका कारण क्या था? प्रोडक्शन हमारा ज्यादा था। इस साल हम और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में किस तरह फसल का और खास तौर से खरीफ की फसल में काफी नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष भी नुकसान हुआ। इसका इफेक्ट है जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं।

अब मैं खर्चे के आंकड़े राजस्थान में किस तरह से बढ़े हैं, यह भी बतलाना चाहता हूं। सारे हिन्दुस्तान के फीगर्स को आप देखेंगे तो आपको यह भी साफ मालूम हो जायेगा।

हिन्दुस्तान भर में फर्स्ट ईयर में टोटल प्लान का १५ प्रतिशत खर्च

राजस्थान में	७ प्रतिशत
हिन्दुस्तान में सेकन्ड ईयर में	१३ प्रतिशत
राजस्थान में	६ प्रतिशत
हिन्दुस्तान में थर्ड ईयर में	१७ प्रतिशत
राजस्थान में	१७ प्रतिशत
हिन्दुस्तान में ५४।५५ में	२४ प्रतिशत
राजस्थान में	२६ प्रतिशत
हिन्दुस्तान में ५५।५६ में	३३ प्रतिशत
राजस्थान में	४१ प्रतिशत

इन फिगर्स को देखने से मालूम होता है कि हमारे डेवलपमेन्ट के फिगर्स कितने बढ़े हैं।

करीब १३ करोड़ का खर्चा एक वर्ष में करने का परिणाम हम अपने सामने देखते हैं। परिणाम की बात को आंक कर हम खर्चे को देखते हैं। पर दूसरा पक्ष भी है जो यह कहता है कि इतना खर्च कैसे कर दिया गया, इसका क्या परिणाम निकला? तो इसके लिए मैं निवेदन कर दूं कि यह जो सारा खर्चा हुआ है इसकी डिटेल में प्लानिंग कमीशन भी गया है। उसने कहा है कि इतना अलॉटमेंट आप चाहते हैं तो इतना खर्च करने की आपकी केपेसिटी भी है या नहीं; इस पर प्लानिंग कमीशन डिस्कशन करना चाहता है। तो हमने उनको हर मौका इसकी जांच करने का दिया और हमारी वह कैपेसिटी ही थी कि जिसकी बिना पर हमें ८७ करोड़ रुपया अलॉट हुआ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

६–७ करोड़ के फिगर्स थे। अगर यह खर्चा सात करोड़ होता तो पचास करोड़ से ऊपर हम नहीं जाते। पर लास्ट ईयर ज्यादा एक्सपेन्डीचर हुआ जिसका बेनीफिट भी राजस्थान को पर्मानेन्टली आगे मिला है। तो केवल यह समझ कर खर्च कर दिया कि खर्च करना था उससे कोई लाभ नहीं हुआ, यह बात सही नहीं है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि सेन्टर का रुपया है जिसको खर्च कर दिया गया, इसमें राजस्थान सरकार ने क्या किया, उसको इसके लिए क्या बधाई दी जावे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने प्लान की पुस्तिका पढ़ी होगी वे परिचित होंगे कि स्टेटस की रेस्पोन्सिबिलिटी, और सेन्टर की सब्सिडी और लोन की तीन डिफरेन्ट केटेगरीज़ हैं। यह ठीक है कि बहुत सा लोन सेन्टर की तरफ से राजस्थान को मिलता है इस काम में, पर हम पर जिम्मेदारी है। आज भी हम यह ज्यादा देखें कि रेवेन्यू डेफीसिट बजट न हो, अगर है तो अगर हमने इसको आने वाले वर्ष में पूरा नहीं किया तो हमारी प्लान अपसेट हो जावेगी। इसको बेलेन्स करके आगे चलने के लिए इसकी आवश्यकता होगी कि आप सारी की सारी चीज़ को ठीक करके चलें।

इस सम्बन्ध में तीन करोड़ का जो लोन फ्लोट किया गया उसके बारे में कहा गया कि यह तीन घंटे में कैसे हो गया? हमारा यह पहला अवसर था। कई अन्य राज्यों ने हमारे से पहले कई बार ऋण लिये हैं और इसी तरह से उनका भी पूरा हुआ है और इसको सभी मानते हैं। पर हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को, और खास कर विरोधी पक्ष के नेता की बात सुन कर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं कहूँ कि वे तीन घंटे भी इसमें नहीं लगे। सही बात तो यह है कि जयपुर–जोधपुर आदि के कई बैंकों से समाचार पहुँचने में देरी हुई, नहीं तो वह तो खुलने के साथ ही पूरा हो गया था, तीन घंटे का भी प्रश्न नहीं था। पर अफसोस था कि रिजर्व बैंक के पास बिना सूचना पहुँचाये प्रोपर वे में, वे मानते नहीं और इस सूचना पहुँचने में तीन घंटे का समय लगा, तब उन्होंने डिक्लेअर किया। तो यह तो इस बात से सभी अखबार पढ़ने वाले परिचित हैं। हो सकता है कि माननीय विरोधी दल के नेता ने इस पीरियड में अखबार न पढ़े हों जिसकी वजह से उनको आश्चर्य हुआ हो।

श्री तनसिंह—कलकत्ता, बम्बई कितनी बार जाना पड़ा इसके लिए और इसमें कितना समय लगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बात अगर आप फरमाते तो समझ में भी आ सकती थी, पर आपने तो यह फरमाया कि चौपड़ पर इकट्ठा हो गया होगा। आप यह कह देते पहले। खैर।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि लोन जैसे दूसरी स्टेटों में इकट्ठे होते हैं वही प्रोसीजर यहां भी काम में लाया गया। पर और ज्यादा हम इसको जन-व्यापी बनावें, इसका प्रयत्न करना

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

चाहते हैं और वह प्रयत्न नेशनल स्माल सेविंग्स स्कीम के जरिये बराबर बढ़ाया जा रहा है, बल्कि यह प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगों के दिलों में एक श्रद्धा और आस्था और पैदा की जाय इसके लिए । लोगों के दिलों में श्रद्धा और आस्था से ही लोन सब्स्क्राइब हुआ करते हैं और इतने कम समय में वहीं सब्स्क्राइब हुआ करते हैं जहां लोगों के दिलों में एक आस्था पैदा होती है ।

मैं निवेदन करूं और टेस्ट इसका कि राजस्थान में जो श्रमदान का पखवाड़ा मनाया गया उसमें १२५ लाख का श्रमदान केवल ४६ ब्लॉक्स और सो. डी. ब्लॉक्स में हुआ । जिसमें आबादी ४५ लाख से ज्यादा नहीं होती है । ये गलत आंकडे अगर कहें, तो यह भी नहीं हो सकता । गलत आंकड़ों के लिये हम स्वयं काफी सतर्क हैं । हमने अपनी तरफ से इसके लिये एक ईवेल्युएशन कमेटी कायम कर रक्खी है और इसमें भारत सरकार के भी प्लानिंग कमीशन के रिप्रेजेन्टिटिव होते हैं । इसी प्रकार जिला बोर्डों के कामों के सम्बन्ध में भी हमने ईवेल्युएशन कमेटी बिठाई है जो जाकर उनके हिसाब की और काम की जांच करती है । ऑडिट पार्टी भी बिठाई है ।

मैं आपसे निवेदन करूं जल बोर्ड के सम्बन्ध में भी । हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले साल डेढ़ साल में इसने जो हजारों की तादाद में हमारे यहां पर कुए खुदवाये और जिससे लोगों में उत्साह आया इसके बारे में ज्यादातर काम ठीक किया गया । यह भी कहा गया कि इनके बारे में कई शिकायतें आई, उनकी जांच नहीं करने देते । मैं कहता हूं, कौन उनको इन्कार करता है ? गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की ईवेल्युएशन पार्टी मुकर्रर की गई उसने भी जांच की, जांच की कभी खिलाफत नहीं की गई । तरीके के बारे में बहस थी । तो जांच के लिये कोई इन्कारी नहीं है और मुझे तो इससे बढ़कर और सन्तोष इसके कामों के बारे में नहीं हो सकता कि इस बार सदन में जल बोर्ड की चर्चा धीरे धीरे कम होती जा रही है, जब कि पिछले सदन में इसके बारे में एक तूफान खड़ा हो गया था । इस बार एक दो सदस्यों के अलावा औरों ने उसके सही कार्यों से प्रभावित होकर विरोध में कहना कम कर दिया है ।

श्री वेदपाल त्यागी—इसका कारण दूसरा ही है, यह नहीं है ।

श्री तनसिंह—बार बार कह कर व्यर्थ समय बरबाद करना होता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वरना बातें तो और भी बहुत सी दोहराई गई ।

श्री वेदपाल त्यागी—कारण तो पहले ही बता दिया आपने शुरू में ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि रुपयों के अलावा भी दूसरा टेस्ट होता है फिज़िकल अचीवमेन्ट। तो यह देखना है कि फिज़िकली हमने क्या अचीव किया है।

कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जो ६ हजार कोऑपरेटिव सोसायटियां खोलनी थीं तो वह ६ हजार के बजाय फर्स्ट प्लान में ६५५४ समितियां खोलीं।

इरिगेशन के अन्दर ५,८०,००० एकड़ नई जमीन को लाया गया।

सड़कों के अन्दर १३०४ मील नई सड़कें बनाई गईं, १०९५ मील पुरानी सड़कों को ठीक किया गया, ५२४ मील सड़कें जो पहले टार थीं उनको बढ़ाकर १४१४ मील लम्बी सड़क को कोलतार किया गया। ये तो दीखती हुई चीजें हैं। कोई ऐसी नहीं है कि रुपया कहां गया, कहां नहीं गया। तालाब बने हैं, नहरें निकली हैं, उनसे सिंचाई हुई है, सड़कें बनी हैं, लोगबागों को मालूम हुआ है कि सीकर में पहले के मुकाबले में कितनी सड़कें बनी हैं........

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—बनने के पहले ही फूट गये।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप भी ट्रक लेकर चले गये होंगे जब सड़कें नयी नयी बन रही थीं।

(हंसी)

तो हम देखते हैं कि कई तरह के काम किये जा रहे हैं। एक महानुभाव ने, मुझे क्षमा करें, माननीय सदस्या ने कहा कि ये तो चुनावों के लिए खर्च किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उससे मुझे यह अनुभव हुआ कि रुपया खर्च होकर लोगों को दीखने लगा, तरक्की होने लगी तो उन्हें यह डर है कि लोग डांवांडोल होकर कहीं कांग्रेस के साथ आने लगे, वैसी स्थिति तो नहीं है। सब जगह यह दिखाई देने लगा कि आम तौर से स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। जब तेजी से विकास कार्य होने लगते हैं तो दीखने लगते हैं।

स्कूलों के मामले में सबको मालूम है। मैं केवल प्राइमरी स्कूल्स के बारे में ही बताना चाहूंगा कि ३,३५६ के करीब प्राइमरी स्कूल्स खुले हैं और इसी तरह से सारी चीजों के आंकड़े मैं बता सकता हूं, लेकिन वह बहुत हो जायगा। रूरल वाटर सप्लाई को ही ले लीजिये, ३,६४७ कुए खुदे हैं जिनका कि जिक्र कर रहे थे।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो इन खर्चों के आंकड़े मैंने आपके सामने, कुछ फिजिकल टार्गेट्स को सामने रखते हुए इसलिए कहा कि उससे हमारे सामने यह दृष्टिकोण आ जाय कि जो खर्चा किया गया, पिछले समय में जो काम किये गये हैं उससे परिचय हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में दरअसल इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर अगर कमी रही है तो दो चीजों के माने में राजस्थान खास तौर पर पिछड़ा हुआ रहता है; एक बिजली के माने में और दूसरा उद्योग की दृष्टि से। दोनों के लिए हम अगली पंचवर्षीय योजना के वक्त प्रयत्नशील हैं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान में जो संभावनायें बढ़ती जा रही हैं उनको लक्ष्य में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।

कल यह जिक्र किया गया कि सवाई माधोपुर के सीमेन्ट कारखाने को लोन दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आम तौर पर राजस्थान सरकार प्राइवेट पार्टी को लोन दिया जाय, उसको नहीं मानती है लेकिन विशेष परिस्थितियों में राजस्थान के विकास में ये बातें आती हैं तो उनकी ओर हमको सोचना होगा। सवाई माधोपुर की एक विशेष परिस्थिति है और उसका मैं जिक्र कर दूं। वह विशेष परिस्थिति यह है कि जब चम्बल योजना बनी, जिससे ३५ हजार किलोवाट बिजली राजस्थान को मिलेगी सन ५९ या ६० में, तो उसके बाद निरन्तर परिस्थितियों में अन्तर आता जा रहा है। पिछले दो चार दिनों में अखबारों में सुना होगा कि कोटा में रेयन्स फैक्टरी लगाने जा रहे हैं और रेयल फैक्टरी लगाने जा रहे हैं। इन फैक्टरियों की वजह से करीब पांच छः हजार किलोवाट बिजली की आवश्यकता कोटा में ही होगी। इसके बाद रेलवे का बड़ा कारखाना लगने वाला है। दो-तीन इन्डस्ट्रीज़ होंगी और जब इन्डस्ट्रियल स्कोप उस एरिया का बढ़ जाता है तो वहां अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जावर माइन्स के लैड जिन्क के स्मेल्टर के सम्बन्ध में बहुत अर्से से बहस मुबाहसा चला आ रहा था। इसके लिये पिछले दो महीनों में भारत सरकार से बात-चीत करके यह तय किया गया कि लैड जिन्क का स्मेल्टर राजस्थान में ही लगे। यह एक बहुत बड़ा सवाल था। पहले यह था कि लैड एन्ड जिन्क का स्मेल्टर राजस्थान से बाहर ही कहीं लगना था। जहां इसका २५०टन प्रोडक्शन है वहां एक हजार टन प्रोडक्शन करने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था की गई कि सन् ५६ तक हजार टन प्रोडक्शन हो जब हजार का प्रोडक्शन हो तो यह स्वाभाविक ही है कि स्मेल्टिंग प्लान्ट राजस्थान में होना चाहिये और उसके लिये चार पांच करोड की आवश्यकता होगी। लैड जिन्क से केडमियम होता है, सल्फरिक(अस्पष्ट) ये बाई प्रोडक्टस हैं,उनके लिये भी स्कोप है। लैड जिन्क जापान जा रहा है, रॉमेटीरियल बाहर जावे और हमने यह सुना कि कुछ पोर्ट्स पर लैड जिन्क का रॉमेटीरियल लौट कर स्मेल्ट करने के लिये यहां आता है तो हमने व्यवस्था की कि स्मेल्टर राजस्थान में ही क्यों नही लगाया जाय? लेकिन कमी यहां बिजली की रहती है और इन्डस्ट्रीज नही रहती हैं जब कि लैड एन्ड जिन्क की स्मेल्टर प्लान्ट यहां न लगे। अगर १० हजार किलोवाट पॉवर ५६-६० तक दे सकते

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हैं तो यह इन्डस्ट्री यहां लग सकती है नहीं, तो नहीं लग सकती है। जब दस हजार किलोवाट पॉवर का सवाल आया तो हमने उसको डाइवर्ट किया और यह तय किया कि सीमेन्ट के कारखाने लाखेरी और सवाई माधोपुर को राजस्थान के फर्स्ट फेज़ में चम्बल से पावर नहीं देंगे। उसको डाइवर्ट करेंगे जावर के अन्दर, स्मेल्टिंग प्लान्ट लैंड जिन्क के लिये। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बात चीत हुई और समझौता हो गया और इसको फर्स्ट फेज़ पर बिजली देने का निर्णय हुआ। जब उसको कहते हैं तो हमारे सामने यह सवाल पैदा हुआ कि सीमेन्ट का टार्गेट लगाया गया उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जब बातचीत और यह फैसला किया गया कि हम लोन देवें और लोन देने के साथ यह तय किया कि राजस्थान में सवाई माधोपुर रीजन (region) का प्रोडक्शन अब से २६०० टन सीमेन्ट का होगा। जो सारे एशिया में बिगेस्ट सीमेन्ट प्रोडक्शन होगा। उसको ध्यान में रख कर ६-७ लाख टन साल भर का सीमेन्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार फाइनेन्स कार्पोरेशन इन्ट्रेस्ट देता है ६ परसेन्ट ब्याज से, जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ३ परसेन्ट पर लोन दिया, नहीं छः परसेन्ट से लोन दिया है ताकि इसके प्रोडक्शन को बढ़ायें।

दो बातें साथ हुईं। एक तो पावर को डाइवर्ट करके बड़ी इन्डस्ट्री को एश्योर किया कि वह शुरू हो जाय और दूसरी तरफ लोन देकर यह तय किया कि हिन्दुस्तान में ही नहीं एशिया के अन्दर राजस्थान में सीमेंट का प्रोडेक्शन बढ़े और इस तरह से इसको तरजीह देना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि खास परिस्थितियों से पिछले पांच-छः वर्षों में, जहां एक स्टेज आई थी कि कई उद्योग विकास की ओर हम बढ़ नहीं रहे थे, वहां यह फैसला हुआ, जैसा मैंने कहा कि सीमेंट प्रोडक्शन, जावर का स्मेल्टर, उसके अलावा चित्तौड़ के अन्दर और नीम के थाने में दो और सीमेंट के कारखाने खुलने वाले हैं और उसके लिए लाइसेन्स भी इश्यू हो चुके हैं, बहस मुबाहसा की बात नहीं रही है। दो और होंगे और उसके साथ साथ एक गंगानगर में और एक भीलवाड़ा जिले के अन्दर कोऑपरेटिव के आधार पर दो और शुगर फेक्ट्रीज़ चालू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि इसका श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र है, विकास के सम्बन्ध में जिक्र है। माननीय सदस्यों ने उस पर जिक्र करना पसन्द नहीं किया। यह बहुत साफ है। इस प्रकार सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़, नीम का थाना, आबू; मेरा आबू रोड से मतलब है, ये सीमेंट के कारखाने होंगे और राजस्थान एक सीमेंट का केन्द्र बन जाने वाला है जहां तक सीमेंट प्रोड्यूस का सवाल है।

आपने इस सम्बन्ध में हमसे सुना कि हम प्रयत्नशील हैं और यह निवेदन कर देना उचित होगा कि आज हम इस परिस्थिति में आ गये हैं कि प्रतापसागर डेम से, जिस वक्त हमने प्लान मंजूर करवाया तो हम यह कह पाये थे कि इसके कन्स्ट्रक्शन में लग जांय, आज राजस्थान सरकार

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इस स्थिति में है कि वह यह कह पाये कि जितना पॉवर हमको फर्स्ट फेज़ में चम्बल से मिलेगा, सेकिण्ड फेज़ सन् ६० में होगा, २० हजार किलोवाट अकेले सवाई माधोपुर को चला जायगा, लाखेरी में पांच हजार, चित्तौड़ में फर्स्ट फेज़ से नहीं दे पायेंगे, उसी प्रकार भीलवाड़ा में माइनिंग इन्डस्ट्रीज़ को नहीं दे पायेंगे, फर्स्ट फेज़ में तो पावर दे पायेंगे कोटा को, फर्स्ट फेज़ में पावर दे पायेंगे जयपुर को, फर्स्ट फेज़ में पावर दे पायेंगे अजमेर को और जावर माइन्स के स्मेलटर प्लान्ट को। इन्हीं में फर्स्ट फेज़ का पॉवर समाप्त हो जाता है। हमारी तात्कालिक आवश्यकता हो गई कि जल्दी से जल्दी प्रतापसागर डेम शुरू हो जाय।

हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है और वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन के पास भेज दी गई है। उसमें हमने कहा है और मैं आशा करके चलता हूँ कि हमारे यहां प्रतापसागर के काम को जल्दी से जल्दी शुरुआत करने की स्वीकृति भारत सरकार की तरफ से दी जायगी। उस पर निर्भर करता है राजस्थान का भविष्य में औद्योगीकरण। राजस्थान के अन्दर भरतपुर में जैसे वेगन्स का एक कारखाना शुरू किया गया है। यहां पर भी वेगन्स का कारखाना शुरू किया गया है. और अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर जो बॉल बियरिंग का कारखाना है उसके बारे में भी फैसला किया गया है कि उसकी जो आज केपैसिटी है उससे बढ़ाकर उसकी दुगनी, तिगुनी केपेसिटी कर दी जायगी। हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है, दुर्भाग्य से बिजली का प्रश्न बार बार आकर खड़ा होता है, हम उसके लिए सतत् प्रयत्नशील हैं। आज नहीं कर पायेंगे तो साल में, दो साल में अगर नहीं कर पायेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मुश्किल राजस्थान के सामने रहेगी लेकिन १९५८ के आखिर में कुछ जगह और कुछ जगह १९५९ तक स्टीम टर्बाइन आयेंगे और इन्स्टाल हो जायेंगे। ऑर्डर्स प्लेस किये गये हैं उनमें डेढ़, दो साल से कम नहीं लग सकता है। वह आयेंगे तब राजस्थान के अन्दर दरअसल में इन्डस्ट्रियेलाइज़ेशन के लिये ज्यादा सुविधायें पैदा होने वाली हैं। लेकिन इस बीच में जितना भी किया जा सकता है और तरीकों से उसको करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं।

यहां पर पंचायतों के सम्बन्ध में जिक्र आया कि पंचायतों को ताकतवर बनाया जाय। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल उचित बात है। विकेन्द्रीकरण की बात कही गई। विकेन्द्रीकरण जितना सम्भव हो उतना करना चाहिये, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष कई जगहों पर सेमीनार्स हुए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उन सेमीनार्स के अन्दर आम तौर से यह फैसला किया गया और हिदायतें जारी की जा रही हैं कि जो डेवलपमेंट के बहुत से काम पंचायतों के क्षेत्र में होने लायक हैं इस प्रकार के कामों के अन्दर पंचायतों को एजेन्सी बनाया जाय, उनके द्वारा उन कामों को किया जाय। (करतलध्वनि) आज ६ परसेन्ट तक आने वाला है। ६ परसेन्ट के अलावा कोआपरेटिव सोसाइटी, विलेज इन्डस्ट्रीज़ का युनिट और वहां के स्कूल्स; इन सबको मिलाकर एक युनिट बनाकर ज्यादा डिराइव करें और साथ में मिलकर काम करें। पंचायतों के

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हाथ में बहुत से साधन हैं, वे धीरे धीरे चले जायं उस व्यवस्था को कायम करना होगा। पटवारियों के सम्बन्ध में जिक्र किया गया कि उनके साथ उनको रखा जाय। इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं कि कैसे उस व्यवस्था को बिठाया जाय और बिठाकर कैसे आगे बढ़ा जाय और इसको सिद्धान्त और कार्य रूप में आगे बढ़ाने के अन्दर कोई दिक्कत न हो और पंचायतों को ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाय और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस सम्बन्ध में किया जाय।

लेन्ड रिफॉर्म्स के संबन्ध में यहां पर कुछ चर्चाएं हुई हैं। लेन्ड कमीशन कायम किया गया है। उस लेन्ड कमीशन को कायम करने में हमारा स्पष्ट हेतु यह है कि जो कुछ अभी तक किया गया है उस पर विचार किया जाय और आगे जो कुछ करना है उसके बारे में स्पष्ट दिशा निश्चित हो।

सीलिंग्स के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूं कि इस तरफ बैठने वाले गंगानगर के सदस्य और दूसरे सदस्यों को, किसी को, कोई एतराज नहीं है। इस भ्रम में कोई न रहे। कहीं इस प्रकार की बात नहीं है। आज इसका जिक्र कर रहे हैं कि सीलिंग लाई जाय लेकिन इसको पूरा जांचने का सवाल है। आपने देखा होगा कि प्लानिंग कमीशन ने सीलिंग के सम्बन्ध में कई बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि इकॉनामिक फार्म हो, उस इकॉनामिक फार्म को एक्जेम्प्ट करना चाहिये; उन्होंने लिखा है कि मेकेनिकल फार्म हो उसको एक्जेम्प्ट करना चाहिये। उन्होंने कुछ और बातें लिखी हैं। वह एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना होगा। अगर ये सारे क्राइटेरिया रखने है कि इतना एग्ज़ेम्प्शन उसके साथ रखना है तो नेट रिजल्ट क्या हो? नेट रिजल्ट पर विचार करने की बात आती है, इसके साथ साथ दूसरी जगह क्या किया गया है और हमारे यहां की भी जानकारी हासिल करना है उनको कर रहे हैं। डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने कहा है कि उसकी मीटिंग बहुत जल्दी हो रही है और जल्दी होकर फैसला किया जायगा और सदन की यह जो प्रबल इच्छा है कि सीलिंग जल्दी से जल्दी लागू किया जाय तो उस इच्छा का पूरा आदर किया जायगा, यह विश्वास रख कर चलें।

(करतल-ध्वनि)

पर्सनल कल्टीवेशन के संबन्ध में जिक्र आया यहां पर। इस बात को, मैं समझता हूं सदन के सामने दोहराने की जरूरत नहीं कि जिस वक्त टिनेन्सी बिल पास हो रहा था काफी वाद-विवाद इस पर हुआ था, और कुछ जागीरदार भाई नये तौर पर खेती के अन्दर आये हैं। कुछ मौका उनको मिले कि जिसके अन्दर वे एडजस्ट हो सकें और नये तरीकों को अपना सकें। इस ख्याल से डेफिनीशन के अन्दर परिवर्तन किया गया था। परिवर्तन क्या? जो डेफिनीशन आज है वह रखी गई था। मैं समझता हूं कि जो प्लानिंग कमीशन ने डेफिनीशन रखी है उस डेफिनीशन को सभी लोग, मेरे ख्याल से, रखेंगे और जल्दी से जल्दी डेफिनीशन को हमें

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

परिवर्तित करना पड़े, वैसी परिस्थितियां राजस्थान में पैदा हो जायेंगी यही जिक्र कर देना आज काफी है ।

फर्टीलाइजर फैक्ट्री के सम्बन्ध में कहा गया कि फर्टीलाइजर फेक्ट्री का कुछ जिक्र नहीं हुआ । फर्टीलाइजर फेक्ट्री के लिये जो हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार के हैं उनके साथ बात-चीत चल रही है और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि अगर भारत सरकार के सेन्ट्रल सेक्टर में शुरू नहीं की जा सकती तो हमें इस बात की इजाजत दें कि हम प्राईवेट सैक्टर में कुछ आदमियों को तैयार करके शुरु करें और वह चालू हो जल्दी से जल्दी । उसके मामले में हम प्रयत्नशील हैं । मैं समझता हूं कि फाइनली क्या तय होगा, आज कुछ कह सकूं यह मेरे लिये मुश्किल है ।

मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय ले लिया और एक माननीय सदस्य ने कहा था, वे यहां मौजूद नहीं हैं; उनका जवाब देकर और माननीय सदस्यों को अधिक देर क्यों रोकूं ।............

श्री चंदनमल वैद—और सदस्यों को तो फायदा होगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—और माननीय सदस्यों को फायदा तो बाद में भी दे सकूंगा ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह अभिभाषण इस सदन के समक्ष आया । इस अभिभाषण में खास खास मुद्दे की बातें जो हैं उनकी और लक्ष्य किया गया है, वे बातें रखी गई हैं और राजस्थान के लिए जो कुछ किया गया है और आगे किया जा रहा है उसका संक्षेप में मैंने इस सदन के समक्ष, संक्षेप में नहीं विस्तार से भी कहा जा सकता है, लेकिन इस बात पर ज्यादा बहुत कुछ कहना बाकी है; इसलिए संक्षेप में कहता हूं, जिक्र किया । मैं आशा करता हूं कि सदन एक राय से जो धन्यवाद का प्रस्ताव मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको स्वीकार करेंगे और राजस्थान के अन्दर आगे जब, मैं समझता हूं कि यह हो सकता है कि इस चुनाव के बाद हम लोगों को अवसर प्राप्त हो, उन चुनावों के वक्त भी हम अच्छे वातावरण के अन्दर इन सारी परिस्थितियों में, जैसे कि यहां पर आपस में मिल कर काम किया है, आपस में फर्क आया है, लेकिन फिर भी ठीक तौर से काम चलता रहा, उसी प्रकार से आगे चल कर सारे कार्यों को संपन्न करेंगे । मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार करेंगे । जयहिन्द ।

(करतल-ध्वनि)

डॉ० श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में कुछ कहा गया इसलिए मैं अपनी सफाई के तौर पर कुछ कहना चाहता हूँ ।

[डॉ० श्री मंगलसिंह]

धौलपुर के बारे में डाकुओं के सिलसिले में कहते हुए मैंने यह कह दिया था कि क्या इन डाकों के अन्दर मारे गये लोगों के ऊपर, दर्द महसूस कर, ऐसा कोई नहीं है जैसा कि लालबहादुर शास्त्री ने ट्रेन लड़ने पर उसमें मरने वाले लोगों के ऊपर देखा और उसके अन्दर इस्तिफा देने की बात आई, तो डाकों के अन्दर जो लोग मारे गये हैं क्या हमारे यहां कोई ऐसा नहीं जो इन आदमियों के मरने के दर्द को महसूस करता हो। यह बात मैंने कही थी। इस बारे में हमारे गृह मन्त्रीजी ने भी बात कही थी।

श्री अध्यक्ष—आप पर्सनल एक्सप्लेशन हो तो दे दें।

डा० श्री मंगलसिंह—यह कहा गया कि जब तक ११०० डकैतियां हुई, तब तक तो कुछ कहा नहीं और जब धौलपुर में ५-७ डकैतियां हुई तो अब लालबहादुर शास्त्री की बात क्यों आ रही है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने यह नहीं कहा।

डा० श्री मंगलसिंह—लालबहादुर शास्त्री का उदाहरण पहले सामने नहीं आया था। अब जब उदाहरण सामने आया इसलिये उदाहरण की बात कही गई और यह कि ११०० डकैतियां पड़ गई तब तक कुछ नहीं कहा गया लेकिन "Last straw breaks the Camel's back" (लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक्स दी केमल्स बेक) वाली कहावत के अनुसार सवाल है कि ११०० डकैतियां तो पड़ गई, आखिर कितनी और पड़ेंगी और कितने मनुष्य मरेंगे तब इसकी हद होगी और ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका कब होगा और राजस्थान गवर्नमेंट कब नोटिस लेगी और त्यागपत्र देगी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, यह तो भाषण है।

श्री अध्यक्ष—अब तो मैं समझता हूँ आपका एक्सप्लेनेशन हो चुका।

डा० श्री मंगलसिंह—एक बात और कह दूं।

श्री अध्यक्ष—पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बारे में एक रूल है। क्या ऐसी बात कही गई जिससे आपको मुगालता हुआ हो और मुगालते को दूर करने के लिये आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दें।

डा० श्री मंगलसिंह—यह कहा गया कि अब तक क्यों नहीं कहा गया? इसलिये कहा गया, फिर सुनता कौन है। इनकी हालत तो यह है, "किसी की जान जाती है इनकी अदा ठहरी"।

श्री अध्यक्ष—मैं आपके सामने वह रूल पढ़ दूं तब आपको स्पष्ट हो जायगा।

[श्री अध्यक्ष]

"A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise."

मैं समझता हूँ, कोई बात आपके खिलाफ ऐसी नहीं कही गई। जनरल डिस्कशन हुआ। आपने कहा, कोई लालबहादुर शास्त्री आना चाहिये। उनका फेक्ट्स और फिगर्स से जवाब दे दिया।

डा० श्री मंगलसिंह—इस बात को इतना लाइट ले लिया गया कि इसको मजाक में उड़ा दिया गया। इस बात पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात ऐसी नहीं है कि इसे मजाक में उड़ा दिया जाय। आज तक रेलवे में इतने एक्सीडेन्ट्स हुए और इतने आदमी मरे...

श्री अध्यक्ष—आप रेलवे की बात क्यों करते हैं? आप अपनी बात कहिये।

डा० श्री मंगलसिंह—लालबहादुर शास्त्री की बात कही गई, उस पर ऐतराज हुआ। इसका मतलब तो यह हुआ कि किसी की जान जाती है और उनकी अदा ठहरी। मुझे इजाजत हो तो उनकी बात कहूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें देरी का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं, यह बात उसूलन गलत है कि मैं जवाब दे दूं उसके बाद भी भाषण दिया जाय।

डा० श्री मंगलसिंह—भाषण का सवाल नहीं है। एक्सप्लेनेशन में ज्यादा बातें कहनी हों तो क्या करें?

श्री मथुरादास माथुर—कोई दूसरा लालबहादुर शास्त्री नहीं बनता है तो अपनी तरफ से ही शुरू करिये।

श्री अध्यक्ष—Now, I put it to vote. I quite realise the feelings of the Hon'ble Member just to make a reply because he feels that it has been brushed away in a light mood. But this is no occasion for making a speech.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—This is wrong, Sir.

श्री अध्यक्ष—At least what the Hon'ble Member feels is that his question has been brushed away in a very light mood. He wants to make a reply, but that is no occasion for personal explanation. One member who has already spoken has no right to speak again.

डा० श्री मंगलसिंह—पर्सनल एक्सप्लेशन दिया........

श्री अध्यक्ष—This is in the guise of personal explanation.

प्रश्न यह है कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्रीमान् राज्यपाल को देने के लिए श्री नाथूराम मिर्धा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्थान गजट (राजपत्र) विधेयक, १९५६
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गजट (राजपत्र) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष—आपको सैद्धान्तिक विरोध है क्या ?

श्री भैरूंसिंह—विरोध नहीं है, लेकिन कल इस संबन्ध में माननीय मन्त्रीजी से बातचीत हुई थी और शायद मैं समझता हूं मैंने जो दलील पेश की थी उसको उस समय उन्होंने स्वीकार किया था......

श्री अध्यक्ष—आप कहिये, बात क्या है ? आउट साइड दी हाउस जो बात हुई है उसको क्यों लाते हैं ?

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस बिल का सैद्धान्तिक रूप से विरोध किया जाय, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिस रूप में यह बिल पास किया जा रहा है वह रूप इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि सिद्धान्त के सहारे इस बिल का विरोध किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, "राजस्थान गजट" और उसके आगे ब्रेकेट में "राजपत्र" शब्द लगा रखा है। होना यह चाहिये था कि हम जिस मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए सदन में कानून बनाकर और उसका अमल कराकर काफी परिश्रम कर रहे हैं उसका

Page No 78

[श्री भैंरोसिंह]

श्रीगणेश यदि हम स्वयं जिस जगह क़ानून बनाते हैं या जहां से कानून बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है उसी स्थान से इस प्रकार की प्रेरणा देने की चेष्टा करें। मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि 'गजट' और 'राजपत्र' दोनों शब्द रखने हैं तो 'राजपत्र' शब्द को ब्रेकेट से निकालकर 'गजट' को ब्रेकेट में रखा जाय तो उनका मतलब यह होगा कि राजस्थान राजपत्र (गजट) विधेयक, १९५६ और यह शुद्ध हिन्दी होगा और लोग शुद्ध शब्द का प्रयोग कर सकेंगे और अंग्रेजी का जो मिश्रण है वह निकल जायगा। मैं समझता हूं कल मन्त्रीजी ने इसे स्वीकार किया था यदि वे आज भी स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूँ यह बिल जल्दी ही पास हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—The language Hindi must be such as may absorb the words of a foreign language,

एक माननीय सदस्य—There is no question of foreign language.

श्री वेदपाल त्यागी—लेकिन जब हिन्दी के शब्द यहां हैं तो दूसरे शब्द क्यों लें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझता हूं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। 'राजपत्र' हिन्दी का शब्द है और 'गजट' अंग्रेजी का शब्द है; इसमें 'गजट' लिखा है। इस शब्द को यदि हम हिन्दी में अपना लें तो इसमें कौनसी दर्द की बात है।

श्री भैरूंसिंह—'गजट' के स्थान पर 'राजपत्र' शब्द को ले लें तो उसमें क्या आपत्ति की बात है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह शुरू से चला आ रहा है; इसमें क्या बुराई है ? मुझे इसको हटा देने में भी आपत्ति नहीं है लेकिन जैसा है वैसा ही चलने दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री जगतसिंह झाला—हेडिंग में राजपत्र चल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा—हेडिंग की बात छोड़िये। गांवों में राजपत्र के बजाय गजट शब्द को ज्यादा लोग समझते हैं।

श्री अध्यक्ष—ये गांवों के प्रतिनिधि हैं।

श्री मथुरादास माथुर—यह कोई तांबा पत्र तो है नहीं। इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो प्रश्न रखूं क्या ?

श्री भैरूंसिंह—वे यदि मन्जूर करते हैं तो प्रश्न रखने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान गजट (राजपत्र) विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—क्या आप सारे का ही विरोध करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह—अब मैं विरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष—सारे के सारे का या सिर्फ यह पेश न किया जाय।

श्री भैरोंसिंह—पेश न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—सिद्धान्त के तौर पर यह मान लिया तो विरोध किस बात का कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ इस प्रकार की गुंजाइश है कि अगर हिन्दी भाषा में किसी शब्द का प्रयोग करने में सरकार को कठिनाई पैदा हो तो वहां अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रयोग किया जाय।

श्री अध्यक्ष—वह बिल दूसरा है, वह लेंग्वेज बिल है।

श्री मथुरादास माथुर—जान पड़ता है कि माननीय सदस्य पढ़ कर नहीं आये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"दी राजस्थान गजट (राजपत्र) बिल, १९५६ को पारित किया जाय"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

[श्री अध्यक्ष]

"दी राजस्थान गजट (राजपत्र) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

(करतल-ध्वनि)

दी युनीवर्सिटी ऑफ राजपूताना (चेंज ऑफ नेम) बिल, १९५६
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, "दी युनीवर्सिटी ऑफ राजपूताना (चेंज ऑफ नेम) बिल, १९५६" को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमान्, यह विधेयक फोर्मल करेक्टर का है। इसमें जो "युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान" शब्द हैं, वह राजपूताना शब्द की जगह रखा गया है। यानि 'दी युनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना' की जगह अब 'दी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान' कहा जायगा; यह एक संशोधन किया गया है। इसके साथ में जो फेकल्टीज़ हैं, उनमें कुछ कम आदमी लिये जाते थे। अब लॉ, मेडीसिन, एजुकेशन, इन्जीनियरिंग आदि की जो फेकल्टीज़ हैं उनके सदस्य भी सिन्डीकेट में लाने के लिए यह संशोधन रखा गया है।

मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार करने की स्वीकृत दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"दी युनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना (चेंज ऑफ नेम) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा—श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"दी युनीवर्सिटी ऑफ राजपूताना (चेंज ऑफ नेम) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"दी यूनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना (चेंज ऑफ नेम) बिल, १६५६ को पारित किया जाय।"

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेंट (अमेंडिंग एण्ड वेलीडेटिंग) बिल, १६५६
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेंट (अमेंडिंग एण्ड वेलीडेटिंग) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।"

श्री भैंरूसिंह—इसमें बताया क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई खास बात नहीं है। सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेंट बिल है, और वह चालू है। इसके अन्दर कुछ रूल्स बनाये गये थे, वे पास भी हो गये थे लेकिन गजट में शाया नहीं हुए, इसलिये उनको वेलिड करने के लिए यह बिल लाया गया है।

श्री अध्यक्ष—इम्प्रूव करने के लिए कोटा शहर को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां। इसके रूल्स मंजूर हो चुके हैं लेकिन गजट में शाया नहीं हो पाये हैं, उनको वेलिड करने के लिए यह बिल लाया गया है।

श्री मानसिंह महार—रूल्स कब मंजूर हुए थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले स्टेट में ही हो गये थे। फोर्मर राजस्थान में पास हो गये थे।

श्री जगतसिंह झाला—जो राजस्थान अर्बन बिल था उसका क्या हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो सारे राजस्थान के लिए है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेंट (अमेंडिंग एण्ड वेलीडेटिंग) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।"

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष ....

श्री अध्यक्ष—अभी बोलने के लिये तो कई हैं, आप इस पर भी बोलेंगे ?

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, क्लाजेज़ ३ व ४ के लिये तो मैंने लिख कर दे दिया है।

माननीय अध्यक्ष, मैं मंत्रीजी से पूछ रहा था कि रूल्स कब मंजूर हुए ? उसका यह अर्थ था कि मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं ताज्जुब में रह गया कि सन् १९४८ और १९४६ की जो बात है वह आज ८, १० वर्ष के बाद सरकार हमारे समक्ष लाती है और हमको कहती है कि इस बिल को पारित करें।

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार थोड़ा लेकुना रहेगा। जब तक आप कोई और मोशन नहीं करें तब तक नहीं बोल सकते क्योंकि यह विचारार्थ लिये जाने के लिए स्वीकृत हो गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—विचारार्थ लेने के लिये स्वीकृत हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—तो जब विचारार्थ लिये जाने की स्वीकृति मिल चुकी है तो या तो इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लें तो माननीय सदस्य बोल सकते हैं, या फिर जब यह पारित होने का प्रश्न उपस्थित हो तो उस पर बोल लें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"सिटी आफ कोटा इम्प्रूवमेंट (अमेंडिग एन्ड वेलिडेटिंग बिल) १९५६ को पारित किया जाय।"

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि यह बड़े ताज्जुब की बात है कि कोटा रियासत....

श्री मथुरादास माथुर—फोर्मर राजस्थान कहिये, कोटा रियासत नहीं।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, वह राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था जिसके अन्दर जिस प्रकार चाहा गया उस प्रकार काम कर दिया गया आंखें मीचकर। उस राजस्थान के जमाने के रूल्स आज हमारे सामने लाये जाते हैं और कहा जाता है कि आंख मीचकर इनको पारित कर दो। यह गलत परम्परा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन में कई बार निवेदन कर चुका हूँ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, रूल्स बन चुके हैं, पर वे पब्लिश नहीं हो पाये इसलिए इसको लाया जा रहा है। कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है।

श्री भैरूसिंह—श्रीमान्, गलत कार्यवाहियां बहुत सी हुई हैं।

श्री मानसिंह महार—मैं समझता हूँ, शायद मंत्रीजी को कुछ गलत फहमी है। मुझे पहले वे सुन लेते तो अधिक अच्छा होता। मुझे सुन कर अगर वे अपने जवाब में इनका जवाब दे दें तो मैं अधिक मौजूं मानूंगा। जब उनसे पूछा गया था तब वे अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देते।

मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेंट (अमेंडिंग एन्ड वेलीडेटिंग) बिल, १६५६ लाया गया है, उसकी जगह अगर अमेंडिंग बिल ही ले आते तो इसके ऊपर शायद एतराज कम होता। लेकिन वेलिडेटिंग बिल जो लाया जा रहा है, इसका मतलब, अध्यक्ष महोदय, यह होता है कि आज से पिछले १० वर्ष के अन्दर जो कुछ गैर कानूनी कार्यवाहियां की गई हैं, जो ऐसी कार्यवाहियां की गई हैं, जो कार्यवाहियां कानून के तहत नहीं हैं। (हिअर, हिअर) उस समय कोई रूल्स नहीं थे, कोई रूल्स न होते हुए कुछ भी बात कर दी और उसके बाद वह हाईकोर्ट में गई होगी या हमारी सरकार की नीति और किसी तरह खुली होगी। जैसा कोटा सिटी के बारे में हमें मालूम है कि एक जमीन का एक बहुत बड़ा प्लॉट किसी जागीरदार महाशय का लिया गया और उस पर दो आना के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। पिछली बार चर्चा में मैंने कहा था कि जब मुआवजा दो आना गज देने की बात हुई थी, वह दो रुपया गज देने के ऊपर तय हुआ। आज इस प्रकार हम उसे वेलीडेट करते हैं। मैं समझता हूं कि उस प्रकार के जितने भी वहां पर नाजायज ट्रांजेक्शन हुए होंगे कोटा शहर में, उन सब को अब कानून की रूह में लाकर वेलीडेट करना चाहती है। माननीय मंत्रीजी को शायद कुछ एतराज हो रहा होगा लेकिन आज हम इस चीज को स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में देखेंगे तो शायद पोजीशन और भी क्लेरीफाइड हो जायगी। जिस मुद्दे को लेकर मैं सदन को यह बात बताना चाहता हूं उसको मेरे मित्र सोचें...............

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

[श्री मानसिंह महार]

तो मैं आशा करता हूं कि वे मेरी बात से सहमत होने के लिए प्रस्तुत हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से ये चन्द लाइनें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स की पढ़ कर माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं क्योंकि अधिकतर मित्र इसे बगैर पढ़े ही आये हैं क्योंकि उन्हें मुगालते में डाला गया है कि इसमें कुछ नहीं है, यह तो पास होने वाली चीज है। जैसे कि हम लोगों को भी अभी मुगालते में डालने की कोशिश की गई थी।

"Ths City of Kotah Improvement Act, 1946, makes reference to the provisions of the Kotah City Municipal Act, 1946, which was never enacted. Again, the draft of the bye-laws made under the City of Kotah Improvement Act, 1946, was published in the State Gazette, and the draft also received approval of the Government of former Rajasthan on 19th April, 1949, but the approval was never published in the Gazette."

ताज्जुब की बात है सन् १९४९ से वह अब तक एप्रूवल के लिए गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है।

"The bye-laws, therefore, could not come into force, while the Kotah City Improvement Trust acted upon these bye-laws."

यह राजपत्र में कोई बात शाया नहीं हुई और ९ वर्ष तक या ७ वर्ष तक कह दीजिये सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कानून घर में बैठ कर फॉर्मर राजस्थान के मन्त्रियों ने या उनके सलाहकारों ने घर में बैठ कर बना लिया था। किसी को पता नहीं था। उन रूल्स के तहत में ७ वर्ष तक कार्यवाहियां होती रहीं अनाप शनाप। अब उन मन्त्री जी को क्या कहें ? बे-मुल्की मन्त्री कहें। वे मनमाने, मनचाहे ढंग से कार्यवाहियां करें और आज यह कहा जाता है।

"In view of the legal position, stated above, difficulties have arisen in the proper administration of the aforesaid Act and it has become necessary to remove these difficulties and validate the bye-laws with retrospective effect.

Hence this Bill. It also contains other consequential amendments."

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज १९५६ में, ५६ में ही नहीं मैं तो कहूँगा कि अब हमारा सन् ५७ आ गया है इसमें, उस सन् ५७ में आज कोई सरकार इस प्रकार की बात लेकर आती है कि सन् १९४८ और १९४९ के अन्दर कोई रूल्स कोई सेक्रेटरी

[श्री मानसिंह महार]

कमरे में बैठ कर बना देते हैं, उन्हें गजट में पब्लिक की जानकारी के लिये शाया नहीं किया जाता और उनको अमल में ७ वर्ष तक मुतवातिर लाया जाता है, ७ वर्ष तक जो कानूनी रूल्स नहीं हैं उनसे जनता का दमन किया जाता है और ७ वर्ष बाद इस प्रकार के दमन से दुखी होकर कोई हाई कोर्ट में जाता है तो उससे डर कर उनको कानूनी रूप देने के लिये हमारे सामने लाया जाता है।...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हाईकोर्ट में कोई नहीं गया है।

श्री मानसिंह (महार)—आज नहीं गया है तो कल जायगा और अगर हाईकोर्ट में कोई नहीं गया है तो आप डर कर इसे यहां क्यों लाये हैं। आप डरते हैं इसीलिये तो इसे यहां लाये हैं, नहीं डरते तो यहां क्यों लाये हैं, What was the reason ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बिलकुल सही बात निवेदन कर रहा हूं। बड़े दुख की बात है कि आज राजस्थान पार्ट ए० स्टेट बनने के बाद पार्ट ए०-स्टेट में इस प्रकार की बात लाई जाती है कि ७ वर्ष पहले के एक दकियानूसी कानून को हमसे पास कराया जाता है। हमारी सरकार को अगर इस प्रकार का कानून बनाना ही है तो कोई नये रूल्स बनायें। हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी जैसे तजुर्बेकार मंत्रीजी आज हमारी सरकार में हैं, उन्हें पंचायतों का तजुर्बा है (हंसी) तो कोई अच्छे तजुर्बे की बात लाइये। यह तो बे मुल्की मंत्रीजी की कार्यवाही है......

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—कोरम नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय !

(गणपूरक घण्टी)

श्री मानसिंह महार—(जारी) परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं इस सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेंट (अमेंडिंग एन्ड वेलिडेटिंग) बिल, १९५९ के बारे में सदन को निवेदन कर रहा था कि इसके बारे में मेरी यह राय है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज पहले जो इस ७ साल के कार्यकाल में गलत कार्यवाहियां हुई हैं; मैं तो कहता हूं कि आंखें बन्द करके कार्यवाहियां की गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कल्पना कौन कर सकता है कि ७ वर्ष तक बिना रूल्स के गजट में शाया हुए कार्यवाही चलती रही, धांधली चलती रही है, जो हमें जंचा वह कर दिया और आज हमारी नींद खुली और सरकार कहे कि इस चीज पर आप मोहर लगा दें, इस चीज पर यह सदन अपनी मोहर-छाप लगा दें। जब कि सदन का भी यह आखिरी अधिवेशन है तो मैं निवेदन करूंगा,

[श्री मानसिंह महार]

उपाध्यक्ष महोदय, कि यह तो इस सदन के लिये भी कलंक की बात होगी कि इस सात साल पुरानी बात को आज वेलिडेट करें। मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोटा शहर में ७ वर्ष तक गलत कार्यवाहियां हुई हैं, उन कार्यवाहियों को, मौजूदा सरकार की गलतियों को नहीं हमारी पिछली सरकार की गलतियां हैं उनको भुगतने दिया जाय, और इसके बाद हम नये सिरे से कोटा शहर के इम्प्रूवमेंट के लिये नया कानून बनायें। जब ये रूल्स बने थे तो फोर्मर राजस्थान पार्ट सी० स्टेट के मुकाबिले का भी राज्य नहीं था तो राजस्थान के पार्ट ए० स्टेट बन जाने के बाद उस कानून को यहां पास करें, यह उचित बात नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन की आखिरी बैठक हो रही है, उस समय ७ वर्ष पहले के कानून को पास करके इस सदन का ५ वर्ष का इतिहास है उस पर कलंक का टीका न लगायें। यह निवेदन करके मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कानून पास करना ही है तो रूल्स लाकर पास कर दीजिये जो आज ही से लागू हो जाय, पर आज पहले की कार्यवाहियों को वेलिडेट न करें। यही मंत्रीजी से और सदन से निवेदन करते हुए मैं आशा करूंगा कि वोटिंग का समय आयेगा तब इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस कानून को ठुकरा देंगे।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री मथुरादास माथुर—यह जान बूझ कर समय ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह—यह बात आप खड़े होकर कहें।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आखिर १० साल बाद राजस्थान सरकार की नींद खुल गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में वह बात याद आती है। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं नहीं तो वे ताईद करते कि बाहर गांवों में राजस्थान सरकार के लिये एक अलमिसाल चर्चा मशहूर है कि अगर किसी ग्रामीण के घर में आग लग रही है और सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है तो ६ महीनों बाद आदेश मिलते हैं कि उस आग को बुझा दिया जाय। वही कहावत माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल को देखने से राजस्थान सरकार पर चरितार्थ होती है। सन् १९४६ में कानून बना, उस समय की रियासत के राज्यपत्र में उसे प्रकाशित नहीं करवाया गया और उस समय की सरकार की स्वीकृति नहीं हुई और कानून के अनुसार जो स्वीकृति राजपत्र में होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। कानून, न्याय यह कहता है कि जिस कानून पर हम अमल कर रहे हैं, यदि उसके अमल करने में किसी प्रकार की त्रुटि रही है तो उस त्रुटि का फायदा कोई व्यक्ति उठा सकता है, जिस पर उस कानून का प्रभाव हुआ हो।

Page No 87

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष, सन् १९४६ में जो गल्ती हुई और उस गल्ती को लेकर १९५६ तक लगातार जो गल्तियें होती आई, आज हम एक दम मामूली से कानून के नाते १० वर्षों की गल्तियों को एक साथ कोई गल्ती नहीं हुई इस प्रकार की मोहर लगा कर सही करें ? मैं कहता हूं, यह किसी भी ईमानदार, प्रजातन्त्र व सच्चाई के नाते किसी भी प्रकार से सही नहीं है। सरकार इसको अवश्य पास करेगी और यह कहेगी कि यह बहुमत से पास किया गया है। मगर मैं कहूंगा कि वह निस्संदेह ईमानदारी से नहीं पास हुआ है, अल्पमत की वाजिब भावनाओं को कुचलने की भावना से हुआ है,

माननीय उपाध्यक्ष, यह भी अभी चर्चा सुनी कि इसको हाईकोर्ट में नहीं ले जाया गया और न किसी ने इसको चेलेंज किया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि यदि यह चीज़ हाईकोर्ट में नहीं जाती या चैलेंज नहीं की जाती या कोई इसको चैलेंज नहीं करता तो राजस्थान सरकार की बुद्धि में तो यह चीज नहीं आ सकती थी। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री चाहे कितने ही काम करने वाले हों, मकान पर काम करते हों, चाहे सड़कों पर काम करते हों, चाहे स्नानागार में काम करते हों, ऐसी बात उनके ध्यान में नहीं आती। इसलिये उन लोगों को तो उनको धन्यवाद देना चाहिये कि इस प्रकार की गलती करने से बचने का प्रयत्न करना चाहिये लेकिन सरकार को शर्म आनी चाहिये। अब जो लोग गैर वाजिब कानून को बहुमत के आधार पर यह कह कर कि जनता की विधान सभा से यह पास हुआ है, इस पर १० वर्ष तक गल्तियें की हैं, उस पर अब सही होने की मोहर लगाती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा प्रजातन्त्र की मखौल क्या हो सकती है। मगर फिर भी आप जो चाहें करते हैं, करें, आप गलती करते हैं, कानून गलत बनाते हैं और पब्लिक की भावना के खिलाफ करते हैं करें। इस पर भी यदि कोई हाईकोर्ट में जाकर उसका विरोध करे तो आप उसको सही बनाने के लिये वेलिडेटिंग एक्ट की छाप लगाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि आपने ७ या ८ कानून बनाये और हाईकोर्ट में चैलेंज होने पर इसी तरह से सही किये। आपने पंचायत कानून भी बनाया, उसकी गल्तियों को भी आपने सही किया है। इसके माने यह हुए कि 'गल्ती' शब्द को या 'अन्याय' शब्द को आपके शब्दकोष से निकाल दें। आपके मुख्य मंत्रीजी अभी दहाड़ दहाड़ कर कह रहे थे कि सर्विसेज़ ने कोई भी कानून बनाये, उसमें भी संशोधन ठीक हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि किसी भी राजा के राज्य में ऐसी बात नहीं हुई। किसी ने दो वर्ष बाद गल्ती बताई तो वह सही की गई। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको एक मिसाल इसी कोटा की सरकार में हुई घटना की देता हूं। कोटा में एक ओंकारलाल नाम का हरिजन है।

श्री बद्रीप्रसाद—यह इम्प्रूवमेंट की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो पासिंग स्टेज है।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं।

Page No 88

श्री बद्रीप्रसाद—बिल्डिंग के बारे में कहें तो ठीक है।

श्री भैरूंसिंह—मैं इसके बारे में छोटी सी बात कहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद—इसका सम्बन्ध कोटा के इम्प्रूवमेंट से है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो पास कर दी गई है।

श्री भैरूंसिंह—मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जबर्दस्ती कर दी गई है, जबर्ददस्ती कानून पास न करें।

श्री उपाध्यक्ष—आप इस पर ही कन्फाइन्ड रहें।

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने इसके उद्देश्य पढ़कर सुनाये थे, उनसे भी यह लगता है कि हमारी सरकार के सामने कोई विशेष प्रकार की बाधा उपस्थित हुई है और उससे बचने के लिये यह कानून हमारे समक्ष आया है। मुझे जहां तक इत्तला मिली है वह यह है कि इसका कारण भी कोटा का विरोधी दल है। आज तक सत्तारूढ दल का बहुमत था और मैं यह भी मानता हूं कि आज भी उसका बहुमत है, लेकिन विरोधी दल की नीति......

श्री बद्रीप्रसाद—इससे इसका सम्बन्ध नहीं है, इम्प्रूवमेंट बोर्ड का सम्बन्ध है।

श्री भैरूंसिंह—मैं यह बता रहा हूं कि इसकी जानकारी आपको कैसे हुई। यह उनकी खुद की समझ नहीं है। अपनी समझ पर विश्वास नहीं करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको यह किसने बताया, उसको पहले आपको धन्यवाद देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप दे दीजिये।

श्री भैरूंसिंह—मैं उसको भी धन्यवाद दे रहा हूं कि १० वर्ष के बाद इस कानून को हमारे सामने रखा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कह रहा था कि जितनी बिल्डिंग्ज़ बनीं, इम्प्रूवमेंट की नीति, कोटा लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट के माफिक और लैन्ड एक्वीजिशन राजस्थान के कारण कुछ ऐसी कम्पलीटेड सिचुएशन पैदा हो गई थी जिससे कोटा के नगरपालिका का इम्प्रूवमेंट बोर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट के नाम से जो कमेटी बनी हुई थी और जिसमें सत्तारूढ दल के सदस्य हैं और कुछ विरोधी दल के सदस्य भी हैं, उन्होंने जब यह देखा कि इस इम्प्रूवमेंट बोर्ड का एग्जिस्टेन्स कैसे है, इसको अधिकार भी है या नहीं और जब लोगों ने सारी बातों की छानबीन की तो मालूम हुआ कि १० वर्षों से इसका काम होता रहा था, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेन्स नहीं है। विरोधी दल के लोगों ने लोगों को उकसाया। माननीय मंत्री महोदय अपनी सूझ पर अभिमान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है और

[श्री भैंरूंसिंह]

वह उसी का फल है । इसलिये हमें उनको धन्यवाद देना चाहियें और उन्हीं की वजह से यह कानून सदन में आया है इसलिये निश्चित रूप से उनको मैं धन्यवाद दूंगा । मेरा विरोध इस बात पर है कि सरकार अपनी पिछली गल्तियों को रेक्टीफाई कराने की इस तरह से कोशिश नहीं करे । अगर की तो गल्ती नाम की चीज़ शब्दकोष से हटा दी जानी चाहिये क्योंकि जैसा कि उनका बहुमत है, जिस दल का राज है गल्ती, अन्याय, आदि बहुमत के दुरुपयोग की परिभाषा न्याय के शब्दकोष से निकल सकती है । मैं यह कहूंगा कि आज हमें इस प्रकार की परम्पराएं निकालनी चाहिये जिन पर प्रजातन्त्र फलता फूलता रहे और सुख सुविधा लोगों को मिलती रहे । अगर ये सारी चीजें साफ हुईं तो मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार के कानून का कोई उपयोग नहीं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुमत के आधार पर इस प्रकार के कानून जो प्रजा के हित में नहीं हों, भविष्य में न रहें । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा और यह कहूँगा कि कोरम इस समय भी नहीं है इसलिये हाउस को एडजोर्न कर दिया जावे ताकि इस प्रकार का महत्वपूर्ण लेजिस्लेचर लोगों की अदम मौजूदगी में पास हो ।

(श्री शम्भूसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—यह तो कोई महत्व की बात नहीं है ।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डिग एण्ड वैलीडेटिंग) बिल, १९५६ सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस पर मैं अपना विरोध प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने पेरेन्ट एक्ट नहीं है जो कि सिटी एक्ट का इम्प्रूवमेंट बिल, १९४६ कहलाता है । उससे आज हमारी जानकारी नहीं है । लेकिन इसके स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के देखने से प्रतीत होता है कि सन् १९४६ में इस प्रकार का एक्ट सिटी इम्प्रूवमेंट का बना था और उसमें म्युनिसिपेलिटी एक्ट का रेफरेन्स हुआ था । मगर इस तरह का कोई म्युनिसिपल एक्ट नहीं था । मगर इस प्रकार का कोई एक्ट होगा उसमें इसका रेफरेन्स कर दिया गया था और इसके बाद उस एक्ट के द्वारा कुछ बाईलॉज़ बनाये जाकर गजट में प्रकाशित कराये गये और उन बाईलॉज़ को सेंक्शन करने के लिए गवर्नमेन्ट के सामने पेपर्स प्रस्तुत हुए तो गवर्नमेन्ट ने उस पर एप्रूवल किया या नहीं किया, यह गजट के द्वारा प्रतीत नहीं हुआ । हालांकि इससे प्रतीत होता है कि गवर्नमेन्ट ने उसको मंजूर कर लिया था तो इससे यह स्पष्ट है कि उस समय उस प्रकार के जो बाईलॉज़ बने थे वे अनएप्रूव्ड थे और इनवेलिड थे । इस वास्ते उसमें यदि कुछ ऐसे कार्य किए गये हों वे बिलकुल अनधिकार चेष्टा के माने जाने चाहिये और उन कार्यों को जो कि अनधिकृत कार्य थे अब उनको रेक्टीफाई करने के लिए इस सदन में जो कानून पेश हुआ है, मैं उसका विरोध करता हूँ । क्योंकि जो पहले गलतियां हुई हैं वे तो गलतियां ही रहेंगी और अब इस बिल को लाकर आप फिर एक और गलती कर रहे हैं, तो दो गलत काम करके एक सही काम नहीं हो सकता है । इसलिए मैं तो यह कहूँगा कि यह कोई अच्छी बात नहीं है । वे बाईलॉज़ क्या

[रावत श्री शम्भूसिंह]

बनाये थे। उस प्रकार के बाईलॉज़ कोई स्टेट दूसरी बनाई गई हो, राजस्थान तो अब नया बना है, इसलिए राजस्थान राजपत्र में वे बाईलॉज़ प्रकाशित होने चाहिये और कोटा की पब्लिक की उसमें राय मांगी जानी चाहिये और उसके बारे में गवर्नमेंट की बाकायदा एप्रूवल होनी चाहिये। इसमें एक अड़चन और आ जाती है। वहां म्युनिसिपैलिटी भी है तो अब मैं यह नहीं जानता कि म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार और इस सिटी इंप्रूवमेंट का जो महकमा है इसके अधिकारों में तो कहीं क्लेश नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो बाईलॉज़ सरकार बनाना चाहती है वह कोटा निवासियों की जानकारी के लिए गजट में प्रकाशित हो जाना चाहिये और इसके बाद जो कुछ सरकार कदम उठाना चाहती है वह उठाये जाने चाहिये। इस वास्ते इस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने वाले कानून का हम सदन में विरोध करते हैं। साथ ही मैं इतना भी कहूँगा कि इसकी अभी कोई खास जल्दी भी नहीं है और इसमें वहां के निवासियों की सम्पत्ति भी जान लेना आवश्यक है। इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए यह कहूँगा कि यह बिल पारित नहीं होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—उपाध्यक्ष जी, यह बिल बहुत ही सीधा सादा है और बहुत ही स्पष्ट है और मुझे ख्याल भी नहीं था कि कोई इसका विरोध भी करेगा और इस पर किसी तरह की आपत्ति भी होगी। आज कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम है, उसका कानून बना हुआ है, उसमें बाईलॉज़ बनाये गये थे। वे बाईलॉज़ थे; जैसे किसी मकान की नालियां बनाना, खिड़कियां खोलना आदि के अधिकार देने सम्बन्धी, वह भी गवर्नमेंट से मन्जूर हो गया, मगर गजट में प्रकाशित नहीं हो सका, उसके लिये कार्यवाही हो रही हैं। इसके लिये कोई हाईकोर्ट में भी मामला नहीं है केवल वह गजट में प्रकाशित नहीं हुआ और अब तक जो इसके तहत कार्यवाही हुई है उसके लिये यह वेलिड कर देने वाला कानून बनाया जा रहा है। अब तक जो कार्यवाही हुई, उसमें किसी प्रकार की किसी के साथ ज्यादती हुई हो, ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती। वह जो पहले का एक्ट था वह फॉर्मर स्टेट ऑफ राजस्थान में बनाया गया था और फिर वह राजस्थान बन गया इसलिए वह प्रकाशित नहीं हो सका। अब उसके ऊपर यह कहकर कि यह १०साल पुराना हो गया और जनता पर बहुत जुल्म हो रहा है, तो इस बात में मैं कोई तथ्य नहीं पाता। मैं समझता हूं कि इसके लिये किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये और इसको पारित कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सिटी ऑफ कोटा इम्प्रूवमेंट (अमेंडिंग एण्ड वैलीडेटिंग) बिल, १९५९ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान जागीरदार्स डैट रिडक्शन विधेयक, १९५६
(विचार-विमर्श आस्थगित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे विचार से "दी राजस्थान जागीरदार्स डैट रिडक्शन बिल, १९५६" को सोमवार तक के लिये स्थगित कर दिया जाय। कुछ लोग ऐसा चाहते भी हैं।

श्री भैंरूसिंह—फिर तो सभी मन्डे को ले लिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं सभी तो सोमवार को नहीं लिये जा सकते।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६
(विचार-विमर्श आस्थगित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे ख्याल से "दी राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५६" को भी मन्डे को ही लिया जाय।

कुछ माननीय सदस्य—हां, इसको भी मन्डे को ही लिया जाय।

(दोनों ही विधेयक सोमवार तक के लिए आस्थगित हुए)

श्री उपाध्यक्ष—यह दोनों बिल मन्डे तक के लिये मुल्तवी किये जाते हैं।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९५६
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, "दी राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, १९५६ विचारार्थ लिया जाय"।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि, "दी राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (अमेन्डमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय"।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जाय।

Page No 92

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कुछ बोलना है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस आसानी से इस कानून को पास कराने की व्यवस्था करवाई जा रही है मैं समझता हूं कि उतनी ही कठिनाई से इस कानून को अमल करने की बात होगी । दिखने में यह चार लाइनों का कानून है लेकिन जिस समय यह अमल में आयेगा उस समय राजस्थान की जनता को पता लगेगा कि वह छोटा सा संशोधन राज्य सरकार के हाथ में एक किस प्रकार के हथियार के रूप में कार्य कर रहा है । राजस्थान लैंण्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत हमने यह व्यवस्था की है कि राजस्थान की जमीन का सैटलमेन्ट किस प्रकार से हो, सैटलमेन्ट में रेन्टरेट्स किस प्रकार से डिटरमिन किये जायें, ऑब्जेक्शन्स पर सुनवाई किस प्रकार से हो क्रोप्स एक्सपेरीमेंट्स किस प्रकार किये जायें और कौनसे ऐसे तथ्य हैं जिन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजस्थान में अमुक हिस्से में भूमि के ऊपर इतने कर लगाये जा सकते हैं ? हमारे राजस्थान लैंण्ड रेवेन्यू के मातहत एक व्यवस्था दी है, लेकिन उस व्यवस्था के बावजूद भी हम कभी कभी यह बात सोचने के लिए मजबूर हुए हैं कि जहां सैटलमेंट हो चुका कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिन पर हमें री-सैटलमेंट करने की भी आवश्यकता पड़ी और वह आवश्यकता इस कारण से पड़ी कि जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल बार बार कहता है कि वह आवश्यकता चाहे जिस कारण से पड़ जाय पर जिस समय सैटलमेंट हुआ उस समय राजस्थान में जागीरदारी प्रथा थी, जागीरदारों के प्रभाव में राज्य के अधिकारी काम करते थे और बहुत मुमकिन है कि उनके प्रभाव के कारण वह सारे अधिकारी जिस समय लैण्ड का सर्वे कर रहे थे उस समय उनके सामने काश्तकारों का हित का ध्यान न रखकर राजस्थान राज्य के हित के कारण कोई कार्यवाही की हो, मैं आज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं । पर जिन जागीरदारों की जागीरदारी समाप्त हो गई है उनके प्रभाव में आ कर कांग्रेस के राज्य में सरकारी अधिकारी उन लोगों का पक्ष करेंगे जिनके विपक्ष में आज हमारी सरकार पूरे हथियार उठाये है, यह कदापि नहीं हो सकता । लेकिन इल्जाम जरूर लगाये जाते हैं और उसी इलजाम के आधारपर रिसैटलमेंट की व्यवस्था की । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये कभी इन्कार करने के लिये तैयार नहीं कि भूमि पर जिस प्रकार करों की व्यवस्था कर रहे हैं, वे कर बहुत ज्यादा हैं, जो आदमी काश्त करता है उसके ऊपर करों का भार अधिक न पड़े, काश्तकारों की करों से जितनी मुक्ति हो वैसी व्यवस्था हम करें, काश्तकार करों के बोझ से हल्के हों ऐसी व्यवस्था करें । हमारी तो यहां तक मांग है कि राजस्थान के जितने भी काश्तकार हैं उन पर लगान बिल्कुल नहीं लगे । हम यह व्यवस्था इस लिये चाहते हैं कि जिस काश्तकार की आमदनी, चाहे वह किसी जरिये से पैदा करता है, ५०० रुपये माहवार से जब तक अधिक न हो उससे किसी प्रकार का भी टैक्स न लिया जाय । अगर हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि जिस काश्तकार की आमदनी ५०० रुपये माहवार से कम है उसको हम लगान से मुक्ति दें, तो हम उस व्यवस्था का स्वागत करेंगे । जिस व्यक्ति के पास इतनी ही भूमि नहीं जिससे वह अपना भरण पोषण कर सके, उससे किसी भी प्रकार कर नहीं लिया जाय । मैं यह चाहता हूँ कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले । भारतवर्ष कृषि प्रदान देश है. कृषकों की उन्नति के लिये हमें सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको संरक्षण किस प्रकार दे सकते हैं जिससे वे तरक्की कर सकें, ऐसी

[श्री भैंरू सिंह]

व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। इसके लिये हमें नियम बनाने पड़ेंगे जो समान रूप से सब पर लागू हों। इस कानून में सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है "on its own discretion" इस आधार पर अगर चाहेगी तो रिसैटलमेंट की आज्ञा जारी हो सकेगी। और जिस समय तक रिसैटलमेंट नहीं होगा तब तक चाहे जिस प्रकार काश्तकारों को रिलीफ देने का अधिकार है, मैं इस प्रकार की बात से असहमत हूँ। यह बात नहीं किन्तु आज हम इस सरकार के कारनामों को कई वर्षों से देखते आरहे हैं। हमारी सरकार इस प्रकार की चीजें इसलिये रखना चाहती हैं कि वे इसे चुनाव स्टंट बनाकर काश्तकारों के मत हांसिल कर सके। जिस जगह काश्तकारों के वोट हमारे सरकार के कर्णधारों को लेने होंगे उस जगह जाकर स्टेज पर खड़े होकर यह कहेंगे कि इस क्षेत्र के काश्तकारों के ऊपर लगान ज्यादा है हम लगान को माफ करना चाहते हैं इसलिये यहां रिसैटलमेंट की आवश्यकता है अगर रिसैटलमेंट का समय और इलेक्शन का समय दो चीजें एक जगह कोन्फ्लिक्ट करती हैं तो हम यह निस्सन्देह मानने के लिये तैयार हैं। राजस्थान सरकार के कर्णधार अन्तरिम रिलीफ के नाम पर लगान माफ करवाने की चेष्टा करेंगे।

मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि काश्तकारों को अन्तरिम रिलीफ न दिया जाय। मैं यह कहता हूँ कि काश्तकारों को सब लगान माफ कर दिये जांय और एग्रीकलचर इनकम टेक्स की तौर पर नये लगान उन पर लागू किये जाय। जिस प्रकार इनकम टेक्स लगता है उसी प्रकार की पोलिसी इन काश्तकारों के लिये भी निर्धारित की जाय। लेकिन हमारी सरकार जहां कमी करने की बात आती है वहां लगान बिल्कुल कम करने की चेष्टा नहीं करेगी। दृष्टिकोण केवल सरकार का यह है कि किस क्षेत्र के काश्तकार ऐसे हैं जिनसे उनको मत हांसिल होने वाला नहीं, उस क्षेत्र के कृषकों को जाकर यह कहा जा सकता है कि अगर आप हमें मत देंगे तो हम आपका रिसैटलमेंट करवाने की आज्ञा देंगे। रिसैटलमेंट करवाना और अन्तरिम रिलीफ की आज्ञा देना और अन्तरिम रिलीफ की आज्ञा देकर बाद में जब अपना मतलब हांसिल हो गया तो पुनः लगान लागू कर दिया, यह तो उनके अधिकार क्षेत्र की चीज है, लगान को वापिस भी वसूल करा सकते हैं। राजस्थान में एक दो ऐसी मिसालें हैं जहां हमारी सरकार का मतलब निकालने का मौका आया तो लगान कम कर दिया और जब उनका मतलब निकल गया तो लगान के ऑर्डर्स फिर से जारी करवा दिये। और उसके लिये यह कहा गया कि हम क्या करें रेवेन्यू बोर्ड के ही ऐसे आदेश हैं, रेवेन्यू बोर्ड से एप्रूवल हो गया, हम क्या करें? सरकार का सैटलमेंट डिपार्टमेंट चाहे कितना ही हो लेकिन वह लगान में कमी करने की व्यवस्था नहीं कर सकता। इस बिल में खास तौर से तीन शब्द हैं। इसमें लिखा है कि सरकार अपने डिस्क्रिशन पर इन्टरीम रिलीफ दे सकती है. इसमें सरकार की मन्शा स्पष्ट रूप से मालूम होती है। सरकार की मन्शा इस बात से मालूम होती है कि जिन लोगों पर सरकार प्रेशर डालना चाहेगी जिनको अपने पक्ष में करना चाहेगी उनको इन्टेरिम रिलीफ के नाम पर एक दफा तो रिलीफ दिलवा दिया कि आपके यहां दस आना लगान है, हम ६ आना करते हैं, चार आने का रिलीफ दिया जायगा। यही करने वाले हैं हमारे मेड़ता से आने वाले जो सदस्य हैं वे गांवों में

[श्री भैरूंसिंह]

जाकर इसी प्रकार की घोषणा करने वाले हैं कि एक तरफ वोट दो और तीन आना रिलीफ लो और जब उनका मतलब हासिल हो गया, वे जीत कर आ गये। काश्तकारों को जो रिलीफ दिया गया वह वापिस ले लिया जायगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगान लिया ही क्यों जाय ? जहां रिसैटलमेंट हो गया है उसके बावजूद भी लगान नहीं लिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि अगर रिसैटलमेंट करने के लिये आप इन्टेरिम रिलीफ देते हैं तो बदकिस्मती तो हमारी यहां यह भी है हमारे यहां सैटलमेंट मेन्युवल नहीं, राजस्थान में किस किस प्रकार की जमीन है, उसके बताने के लिये भी गाइड नहीं। जमीन की पैदावार के हिसाब से उसकी शक्ति को बतावें, ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहां नहीं, कोई ऐसे ब्लोक्स नहीं। जहां एक तरफ तो कम्युनिस्ट ब्लोक्स के नाम पर हजारों रुपया खर्च होता है, जगह जगह पार्टियां होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, नाच गाने किये जाते हैं, पांच पांच हजार रुपया खर्च होता है, फिर ऑडिट ओब्जेक्शन्स होते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती।

(घंटी)

लेकिन हमारे यहां जो हम यह कानून पास करने जा रहे हैं और जिस प्रकार के अधिकार सरकार को दे रहे हैं जहां तक इन्टेरिम रिलीफ देने का सवाल है, विरोधी दल के सदस्य कभी भी यह नहीं चाहते कि आप इन्टेरिम रिलीफ न दें, लेकिन जिस रूप में यह बिल पास कर रहे हैं इस प्रकार बिल पास न करें। यह तो आपको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। आप यदि वास्तव में किसान को राहत देना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि जिस काश्तकार की आमदनी १२०० रुपये साल की है उस पर लगान नहीं लगेगा। यह आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि हम यह कैसे कर सकते हैं, हमारे सामने पंचवर्षीय योजना है उसको भी तो करना है, हमें सड़कें बनानी हैं, स्कूल भवन बनाने हैं। उन सब के लिये पैसे की आवश्यकता है। अगर आपके सामने पैसे की आवश्यकता का ही प्रश्न है तो टाटा, बिड़ला आदि जो सेठ हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति है जिनके इशारों पर आज हमारी सरकार चल रही है उनसे कह दीजिये कि उनके पास जितना भी पैसा है वह सरकार को सौंप दें ताकि पंचवर्षीय योजना का काम ठीक प्रकार से चल सके। इस तरह से आप काश्तकारों से लगान न लेकर लाखों करोड़ों की राहत किसानों को दे सकते हैं।

वैसे तो यह कानून बड़ा अहमियत का है और आज जैसे समय में रखा गया है उससे तो और भी अहमियत का बन गया है। चुनाव हमारे सामने हैं, रिसैटलमेन्ट के नाम पर काश्तकारों को बहकाया जायगा, काश्तकारों को मुगालते में डाला जायगा और मुगालते में डालकर उनसे वोट लेने का प्रयत्न किया जायगा। जहां हमने इसमें रिसैलमेन्ट की व्यवस्था की है, अन्तरिम रिलीफ का प्रोवीजन रखा है वह ठीक है लेकिन उसके लिये हमें पहले से नियम बना लेने चाहिए। हमें यह देखना चाहिये कि सैटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर की रिपोर्ट इस बारे में मांगनी

[श्री भैंरू'सिंह]

चाहिये या लैन्ड रेकड्‌स के आधार पर रिपोर्ट आने परहमें कलेक्टर या कमिश्नर के सुझाव के अनुसार रिलीफ देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए केवल सरकार के हाथ में डिस्क्रीशन रख देना, मैं समझता हूँ यह एक प्रकार से राजनैतिक षडयंत्र है, काश्तकारों के हित के नाम पर काश्तकारों को मुगालते में डालने का षडयन्त्र किया जा रहा है। यह आपको छोटा सा कानून जरूर मालूम होता है और इसे जिस रूप में माननीय मंत्रीजी ने रखा उससे पता चला कि यह बहुत ही मामूली सा कानून है किन्तु जितना यह छोटा है उतना ही ज्यादा यह घातक है। काश्तकारों के लिये घातक है, सरकार के लिये घातक है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन इससे जरूर यह प्रगट होता है कि सरकार काश्तकारों को कहेगी कि हम तो आपको रिलीफ देना चाहते थे किन्तु विरोधी सदस्यों ने एतराज किया इस प्रकार विरोधी दल वालों को बदनाम करने का एक तरीका भी है। हम इन्टरिम रिलीफ के विरोधी नहीं हैं, हम तो यह चाहते हैं कि इसमें जो अधिकार सरकार को दिये गये वे नहीं होने चाहिए। हम तो यहां तक चाहते हैं, लगान जो काश्तकारों से वसूल किया जाता है वह न किया जाकर एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स के तौर पर वसूल किया जाय।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—यह तो पारित करने की स्टेज पर है। इस पर ज्यादा नहीं कहा जाय।

श्री भैंरू'सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई बातें हैं जिनकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। इसके क्लॉज़ २ में है :—

"(2) when any district or other local area is ordered to be brought under re-settlement under sub-section (2) of section 176 the State Government may, in its discretion, also order that it shall not be necessary for the Settlement Officer to carry out the economic survey required by section 148."

उपाध्यक्ष महोदय, यहां आकर तो कानून बनाने की ओर व्यवस्था की चरम सीमा हो गई है।

श्री मथुरादास माथुर—चरम सीमा ?

श्री भैंरू'सिंह—बिलकुल, और इस सीमा तक पहुंच गये हैं कि सैटलमेन्ट ऑफीसर के लिए बिलकुल आवश्यक नहीं कि वह कम से कम इकोनोमिक सर्वे भी करें। इकोनोमिक सर्वे करे या नहीं, यह बिलकुल आवश्यक नहीं और अगर इकोनोमिक सर्वे नहीं करे तो सरकार को कोई सपना नहीं आवेगा कि रेट्स कम करनी हैं दरख्वास्तें भी आ सकती हैं सरकार के पास, डेपुटेशन भी आ सकते हैं, हजारों और सैंकडों लोगों के दस्तखत भी कराए जा सकते हैं। और मीटींगों में प्रस्ताव भी पास कराये जा सकते हैं, पर यह

[श्री भैरूंसिंह]

सब कुछ होता है वहां पर सरकारी मशीनरी जिस प्रकार से काम करती है वह ढंग एक हो है। इसकी जाकर जांच करें और रिपोर्ट सबमिट करें कि जिस विभाग के सम्बन्ध में हम कोई प्रस्ताव पास करें या रिप्रेज़ेन्टेशन सबमिट करें तो उस विभाग के अधिकारियों को सलाह देने को लिखा जाता है। पर इसमें तो यह भी व्यवस्था कर दी कि १४८ वीं धारा के मातहत इकोनोमिक सर्वे कराने की जो आवश्यकता है वह भी सैटलमेन्ट के अफसर द्वारा मंगाने की न तो आवश्यक है, न उसको रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि जहां सर्वे की आज्ञा हो उसको तामील करें और काश्तकारों में घोषणा कर दे कि आज से इतना लगान कर दिया गया।

मैं समझता हूँ कि पहले कानून बना था उसमें दस साल बाद में सूचना मिली थी। मैं समझता हूँ कि इसमें तो दस साल की देरी नहीं, जहां कानून बना, लोग तैयार बैठे हैं दरख्वास्तें और रिप्रेज़ेन्टेशन लिए हुए और सभाओं में भाषण करने के लिए, इलेक्शन की स्पीचें होंगी, काश्तकारों को इकट्ठा करेंगे और उनके बीच में खड़े होकर घोषणा करेंगे कि आज से यहां रिसैटलमेन्ट की आज्ञा जारी की जाती है। हालांकि इन्टेरिम रिलिफ मिलेगा, सैटलमेन्ट अफसर चुप रहकर देखता रहे, अगर इकोनोमिक रिपोर्ट पेश की जावे तो जरूरत नहीं, पर घोषणा हो गई इसलिए उसे सैटलमेन्ट के पेपर भी उसी ढंग से बनाने पड़ेंगे कि किसी तरह उनको रिलीफ मिले। यह इस प्रकार की कार्यवाही है कि जिससे सबोर्डिनेट अफसरों के ऊपर दबाव प्रत्यक्ष रूप में नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप में उनकी सही राय में इन्टरफियर करने की चेष्टा करती है। मैं तो निवेदन करूंगा कि अगर आप इन्टेरिम रिलीफ देना चाहते हैं तो वह किस तरह से मिले, इसके लिए आप नियम बनावें, भूमि का निर्धारण करें, किस प्रकार की आमदनी वाले को मिले इसकी व्यवस्था करें और किन किन जगहों पर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में आज भी कहने की स्थिति में हों कि उस क्षेत्र में तो देना ही है, यह तय करें। आज आप अगर ऐसा करेंगे तो समझूंगा कि सरकार ने चेष्टा की थी, राजस्थान के सैटलमेन्ट के अधिकारियों मे जानकारी भी की थी, जनता ने भी ऐसी मांग की थी कि रिसैटलमेन्ट होकर रिलीफ जिनको चाहिए उनको मिलना चाहिए पर आज सरकार इस बात की तैयारी में नहीं है। इन्टेरिम रिलीफ की व्यवस्था हो, हम भी चाहते है पर कुछ नियम निर्धारित होकर हो। इतने विस्तृत अधिकार सरकार अपने पास रख कर करना चाहे तो यह अनुचित है, इस कानून के द्वारा जो सरकार करना चाह रही है वह अनुचित है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन से कि जब तक इस बात को इसमें स्पष्ट नहीं कर दिया जावे, छूट देने की और रिसैटलमेन्ट करने की सारी व्यवस्था का पूरा चित्र प्रस्तुत न कर दिया जावे, उस समय तक इस प्रकार के कानून को जो काश्तकार को भुलावे में डाल कर, उनसे वोट लेने की जो एक प्रकार की क्रिया है, उससे काश्तकारों को बचाने के लिए यह सदन सतर्क होकर, इस कानून को पास न होने देने में मेरा जो सुझाव है, उसमें सहयोग दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री शम्भुसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को राहत पहुंचाने में यह कानून असमर्थ है, इस बात को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सैटलमेन्ट हुए अर्सा हो गया और कई स्थान तो ऐसे हैं कि जहां रिसैटलमेन्ट एक अर्से पहले हो जाना चाहिए था पर अभी तक वहां रिसैटलमेन्ट नहीं हो पाया और इस अर्से में सरकार ने प्रोड्यूस का १।६ लगान लेने का भी नियम बना दिया। तो जो पुराना सैटलमेन्ट हुआ था वह १।३ और १।४ के आधार पर हुआ था पर उनसे भी अभी तक १।६ का नियम लागू होने के बाद भी उसी पुरानी रेट में लगान लिया जाता है। तो यह तो आवश्यक है कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिये रिसैटलमेन्ट को जल्दी कर दिया जावे परन्तु रिसैटलमेन्ट में समय लगेगा इस वास्ते यह भी जरूरी है कि उनको इन्टेरिम रिलीफ पहुंचाया जावे। पर यह जो कानून का ड्राफ्ट हमारे सामने है उसमे रिलीफ के स्थान पर एक मुगालता किसानों को दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि इन्टेरिम रिलीफ देने का ढोल तो पीट दिया जावे पर वास्तव में वह पहुंचे नहीं, यह सरकार की मंशा है। आज खेती के कामों में भी जितना खर्चा बढ़ गया है उसके हिसाब से भी पुरानी रेटों को कायम नहीं रक्खा जा सकता और उनमें जल्दी रिडक्शन हो जाना चाहिये, इसमें दो रायें नहीं हैं। परन्तु इस प्रगतिशील बिल को देखते हैं तो उनको रिलीफ पहुंचाने में हिन्डरेन्सेज आने वाली बात मालूम पड़ती है।

श्री मानसिंह महार—ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर, सदन में कोरम नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—आप स्पीच में इन्टरेस्ट नहीं ले रहे मालूम होते हैं।

श्री माथुर—कोरम है साहब।

श्री महार—नहीं है साहब। आप गिन लीजिये। गिनती हम भी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—घंटी बजाई जावे।

श्री माथुर—19 are present, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—तो जारी रक्खें आप अपनी स्पीच। १६ का कोरम होता है।

रावत श्री शम्भुसिंह—तो यह जो बिल हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ है यह किसानों को राहत पहुँचाने में बाधक है, सहायक नहीं है और हम नहीं चाहते कि उनको राहत पहुँचाने में एक दिन की भी बाधा उपस्थित हो। यह इसके वर्डिंग से स्पष्ट हो जाता है :

" When any district or other local area: " लोकल एरिया क्या है ? हम तो कहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को लिया जावे और उनको इन्टेरिम रिलीफ जल्दी मिल जावे। लोकल एरिया पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने में बाधक है।

[रावत श्री शम्भुसिंह]

इसी प्रकार से आगे लिखा है :

"The State Government may order..."

यह 'मे' क्या है ? इसमें भी सरकार को क्या कोई सन्देह है ? इसमें 'मे' की जगह 'मस्ट' होना चाहिये और 'मस्ट' नहीं तो 'शैल' तो होना ही चाहिए।

"interim relief to be given to the tenants thereof on such conditions;" तो 'कन्डीशन्स' यह क्या बात है ? इसमें साफ होना चाहिए कि इमीजिएटली ५० पर्सेन्ट रिडक्शन लगान में तो हो ही जावेगा जब तक कि यह सैटलमेन्ट ऑपरेशन खत्म नहीं हो जावे। तो यह शब्द 'कन्डीश्नल' रखना भुलावे में रखने की बात है। यह अच्छी बात नहीं है!

इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बिल को आज तुरन्त ही स्थगित करके इसे रिड्राफ्ट किया जावे और हमारे मित्रों का यह इरादा है कि इसमें कुछ इस प्रकार का संशोधन तो अवश्य आ जावे कि ५० पर्सेन्ट रिडक्शन तो तुरन्त ही हो जावे। इसलिए यह जो अप्रगतिशील, किसानों को मिलने वाली राहत में बाधा पहुँचाने वाला ड्राफ्ट है इसको या तो रिड्राफ्ट करके या स्थगित करके, संशोधित रूप में यहां लाया जावे ताकि यह तुरन्त किसानों को राहत देने की शक्ल अख्तियार कर सके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको आज स्थगित कर दिया जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब यह विधान सभा अपने अन्तिम अधिवेशन में गुजर रही है और नये चुनाव हमारे सामने आ रहे हैं उस समय आज ऐसा कानून लाया जाता है जिसको कि मैं काले सांप से भी अधिक विषैला मानता हूँ।

(हंसी एवं करतल-ध्वनि)

उपाध्यक्ष जी, मैं इस कानून का घोर विरोध करता हूँ। मेरे विरोध करने के खास मुद्दे हैं। कुछ लोग इस कानून को, शायद है, इस वजह से विरोध न करें कि चुनावों में लोग हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे लेकिन मैं इस बात से नहीं डरता। मैं तो वास्तविकता की तरफ जाता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि चुनाव जीतना या हारना, सिद्धान्तों की अगर हत्या...

श्री मथुरादास माथुर—हियर, हियर।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) होती है उससे, खास महत्व नहीं रखता है। मैं यह मानता हूँ कि इस प्रकार के बार बार हमारी सरकार कानून पास करती है, वह कानून सैटलमेन्ट के जो सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों की हत्या करता है। मैं यह मानता हूँ कि आज के युग में जो सैटलमेंट के कानून हैं, सैटलमेंट की और चीजें हैं उनको बता कर हमारी सरकार

[श्री मानसिंह महार]

उनकी कब्र खोद रहो है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूँगा कि आप तो सैटलमेंट के ज्ञाता हैं और आप इससे इन्कार नहीं करेंगे। मैं तो यह मानता हूँ कि यह कानून एक ऐसा कानून है जो आम चुनावों के बाद लागू किया जाय तो सरकार के बारे में शंका कम होती है, लेकिन आज जब आम चुनावों के मैदान में तैयार हो रहे हैं उस समय सरकार ऐसे भयंकर हथियार अपने हाथ में लेना चाहती है। हमारी सरकार यह चाहती है कि लोग गांवों में जाकर काश्तकारों को इस तरह से गुमराह करें कि तुम्हारे को इस प्रकार की रियायत दे दी जावेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मैं डिटेल में जिक्र करूं उसके पहले दो बातों का निवेदन करना चाहता हूं।

मैंने पिछले कई दफा यह बात कही है कि राजस्थान में, खास तौर पर जयपुर डिविजन में सैटलमेन्ट की रेट्स जो हैं वे दूसरे डिविजनों के मुकाबले में बहुत अधिक हैं। यह मेरी मान्यता है कि जयपुर डिविजन की सैटलमेन्ट की दरों को ७५ पर्सेन्ट से रिड्यूस करना चाहिए, तब ही जयपुर डिविजन, कोटा डिविजन, जोधपुर डिविजन, उदयपुर डिविजन और बीकानेर डिविजन के लेवल पर आ सकता है। यह मेरी मान्यता है और यह निश्चित मान्यता है। जयपुर डिविजन से मेरा मतलब फोर्मर जयपुर स्टेट से है, अलवर, भरतपुर में कम हो तो मुझे मालूम नहीं है, मेरा फोर्मर जयपुर स्टेट से मतलब है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी सरकार को सारे राजस्थान के लिए एक यूनिफोर्म स्केल तय करना चाहिए। हमारी सरकार को यह तय करना चाहिए कि हर जमीन का ५) रु० से अधिक लगान नहीं रखना चाहिए और उसी हिसाब से लगान की दरों को जमीन की किस्म के माफिक कम करना चाहिए और बारह आनी चाही हाइयेस्ट की दरें निर्धारित कर देनी चाहिए। जैसे जैसे जमीन के हिसाब से रेट कम होती है तो कम करना चाहिए। अगर सरकार इस प्रकार की न्यायपूर्वक बात करती है तो उसका नतीजा यह होगा कि जयपुर डिविजन में ८० परसेन्ट सैटलमेन्ट दर घट जावेगी और दूसरे डिविजनों में भी कहीं मुमकिन है १० परसेन्ट और कहीं ५ परसेन्ट का फर्क आवेगा। लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। आज जयपुर डिविजन के किसान लगान की दरों से बन्धे हुए हैं, उनकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। आज से दो वर्ष पूर्व ऐसी बात कहते तो मुझे कहा जाता कि तुम तो जागीरदार हो, जागीरों के गांवों की हिफाजत करना है इसलिए कहते हो, लेकिन आज मेरे सामने वैसी समस्या नहीं है? मुझे जागीर दिये ही २॥ वर्ष हो गये, पर्सनल लाभ भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता की ओर जाना है। अगर सरकार किसानों का भला चाहती है, जैसा इस कानून से दिखाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि मेरे सुझाव को मन्जूर करें। आज के जमाने में कोई चीज़ नहीं जो इस बात को रोक सके कि किसानों पर लैंड रेवेन्यू का कमसे कम बोझा हो। लैंड रेन्ट का कमसे कम बोझ होने का मतलब यह नहीं होता है, उपाध्यक्षजी, की जयपुर डिविजन में ६) १०) बीघा का लगान लागू हो और कोटा व उदयपुर में २) ३) रु० चाही जमीन का लगान हो। मैंने यहां तक सुन रखा है उपाध्यक्ष महोदय, कुंभलगढ़ तहसील में है जो राजस्थान की सबसे उपजाऊ जमीन है, जिसका अपने अपने खुद के सैटलमेंट कमिश्नर के टाइम में सैटलमेंट किया है, उस राजस्थान के सबसे उपजाऊ इलाके में, जहां उस जमीन में

[श्री मानसिंह महार]

३० मन पक्की मक्का होती है, ३० मन गेहूं होता है, वहां ५) ६) रु० लगान तय किया है। एक तरफ आप यह फरमाते हैं कि मेरे पडोस में आमेर तहसील का बासा नामक एक गांव है, ताज्जुब करिये उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां २५) रु० प्रति बीघा लगान मौजूद है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आप फरमायेंगे जवाब के अन्दर, हमारे वित्त मन्त्री महोदय फरमायेंगे कि ऐसे गांवों का भला करने के लिए ही यह कानून ला रहे हैं, या हम किन गांवों में भला करेंगे। बहुत मुमकिन है, आप डीडवाना क्षेत्र में रियायत दे देंगे, बहुत मुमकिन है आप बूंदी के इलाके में काफी रियायत दे देंगे और फिर भी और कमी कर दी जावेगी। क्या बड़ी बात है, मन्त्री जहां से रिटर्न हों वहां लगान माफ भी हो जाय तो क्या बडी बात है ?

(कुछ सदस्यों द्वारा शोरगुल)

मुझे डिस्टर्ब करते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन वास्तविकता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज जब मुख्य मन्त्री भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि एक वातावरण बना कर चुनाव में जाना चाहिए, निष्पक्षता से काम करना चाहिए और सरकारी अफसर को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, तो मैं खुश हो रहा था कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान वे बातें कर रहा है जो इंगलैंड के चुनावों में पाई जाती हैं। अगर मुख्य मन्त्रीजी होते तो उनसे निवेदन करता कि निष्पक्षता का नमूना दिखाते तो इस चीज़ को चुनावों तक स्थगित रखते। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसको पास कर दिया जावेगा तो अगले चुनावों में इसका दुरुपयोग होगा। अगर किसानों को राहत देना है तो मेरे सुझावों को मानिये। आप यह कहना चाहते हैं कि जमीनों का लगान ज्यादा है उसको कम करते हैं, उससे सब जनों को यह राहत मिलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की एक मिशाल और दूं।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार की एक मिशाल और दूंगा।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—फाइनल पासिंग स्टेज है, कन्सीडरेशन स्टेज नहीं है इसलिए इसमें बिल्कुल ब्रीफ ही बोलें।

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल ब्रीफ ही है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—मिसाल–विसाल की जरूरत नहीं है।

श्री मानसिंह महार—मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी की मिसाल नहीं दूं तो और क्या करूं? जमुआ-रामगढ़ तहसील के अन्दर अचरौल एक ठिकाना था, वहां १८) रु० प्रति बीघा लगान तय किया गया। जब हम इस सदन में चिल्लाए तो सरकार की न्याय प्रियता का नमूना प्रस्तुत करता हूं, यह कहा गया कि रिसैटिलमेंट करेंगे पूरी जमुआ रामगढ़ तहसील का और उपाध्यक्ष महोदय, उस रिसैटिलमेंट का हमारे समक्ष क्या रूप आया वह एक देखने की बात है। रिसैटिलमेंट हुआ तो १८) रु० के बजाय ९) रु० कर दिये उस जमुआ–रामगढ़ तहसील में जिसके अन्दर कोई कुआ नहीं, कोई नहर नहीं है जिससे पानी आये। उस इलाके में जहां १३–१४ इंच बारिश होती है उस इलाके के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

(घंटी)

उसमें रियायत की गई। हमसे कहा जाता है कि हमें रियायत दी गई। इसी सदन में राजस्व मन्त्री ने यह फरमाया था कि जमुआ–रामगढ़ में रेन्ट रेट्स ५० पर्सेन्ट कर दिया है। सुनने वालों को महसूस होता है कि पचास पर्सेन्ट रिडक्शन हो गया तो इससे अधिक क्या हो सकता है? रुपये में आठ आना हो गया, काश्तकार और क्या चाहेगा, लेकिन अगर काश्तकार पर बोझ एक रुपये के बजाय पांच रुपये का लदा हुआ था और पांच में से केवल ढ़ाई कर दिया तो भी बोझ ढ़ाई गुना तो रहा है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि अगर सरकार सही मायने में काश्तकारों को राहत पहुंचाना चाहती है, सरकार न्याय करना चाहती है, सरकार लैन्ड रेवेन्यू एमेंडमेंट बिल को चुनाव स्टन्ट नहीं करना चाहती है, तो सरकार को यह चाहिये कि इसके अन्दर जो सरकार को पॉवर्स दिये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे हैं जिनको यूज़र्प (usurp) करने की बात है। सरकार ने जो बात पॉवर्स को यूज़र्प करने की रखी है यह बात सही ढंग से चाहते हैं तो कोई प्रोसीजर रखा जाय। आप यह कह दें कि काम नहीं चलता, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करूंगा...

(घंटी)

मैं बिल्कुल पढ़कर सुना रहा हूं। इसके वर्डिंग्स आप देखिये, इंग्लिश में कैसे डिफेक्टिव है :

"the State Government may order interim relief to be given to the tenants thereof on such conditions as it may deem fit.

'On such conditions as it may deem fit.' एक तो यह चीज देख लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय। दूसरा इसके अन्दर है :

[श्री मानसिंह महार]

"when any district or other local area is ordered to be brought under re-settlement under sub-section (2) section 176 the State Government may, in its discretion, also order that it shall not be necessary for the settlement Officer to carry out the economic survey required by section 148."

इकोनोमिक सर्वे की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं। सरकार को किसी पर लगान की कमी करना है तो कोई सिद्धान्त नहीं। सैटिल्ड को अनसैटल्ड करना सरकार का एक ही लक्ष्य होगा और वह अनसैटल्ड इसी बूते पर किया जायगा कि साहब फलां इलाके के अन्दर तो अपोज़िशन के कन्डीडेट को वोटर्स सहायता दे रहे हैं। उस इलाके में हमको हमारे कांग्रेसी केन्डीडेट की मदद करना है तो राजस्व विभाग से एक विज्ञप्ति कराई जायगी कि फलां फलां तहसील के फलां फलां गांव में इन्टेरिम रिलीफ के तौर पर आठ आने, रुपये में चार आने छूट दी जाती है। यह बात होगी। किसान लोग भोले हैं। अभी हमारे यहां की जनता इंगलैंड की जनता जैसी तो है नहीं कि स्वेज जैसे मसले पर लेबर पार्टी ने वहां की गवर्नमेंट का विरोध किया और डटकर विरोध किया और उस विरोध का नतीजा हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इंग्लैंड और फ्रान्स को स्वेज से अपनी फौजें हटानी पड़ीं। हम अभी उस स्टेज पर पहुंचे नहीं हैं। हमारा सत्तारूढ़ दल हम लोगों को उस स्टेज पर पहुंचने देना नहीं चाहता। हमारा सत्तारूढ़ दल तो यह चाहता है कि हमारी कुर्सियां टिकी रहें। हम हंगरी कादार सरकार की तरह से डटे रहें (घंटी) और हंगरी में सच्चा प्रजातन्त्र लाने वाले नाज जैसे आदमी विरोधी पक्ष में हैं उनको इन्टर्नेशनल लॉज़ को बलाये ताक रखकर हराने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है तो उनको चाहिये कि नाज की तरह यूज़र्प करना पड़े. उठाकर ले भागना पड़े, तो कोई बात नहीं है। यह एक ऐसी चीज है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके अन्दर राजस्थान में, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप तो सैटिलमेंट के ज्ञाता हैं, विद्वान् हैं, राजस्थान के उस इलाके का सैटिलमेंट किया है कि जहां के काश्तकार आज भी आपकी प्रशंसा करते हैं, हम जयपुर वाले दबे जा रहे हैं। उनकी कोई रियायत होगी नहीं। रियायत होगी तो टोंक के इलाके में होगी जहां कि ऑलरेडी ५) रु० बीघे का लगान है। जमुआ-रामगढ में ६ रु० बीघे का लगान है, २५) रु० आमेर में लगान है। वहां के लिए कहते हैं तो जवाब मिलता है कि वहां पर १० वर्ष पूरे होने वाले हैं यानि एक साल के बाद में १० साल पूरे हो जायेंगे और सैटिलमेंट अपने आप होगा। Things will take its own course लगान डाउन हो जायगा। डाउन हो जायगा तो फिर नौबत नहीं आने वाली है।

(घंटी)

तो इस प्रकार की बातें प्रस्तुत होती हैं। आज अन्तिम अधिवेशन के वक्त पर चुनाव स्टन्ट सदन में आता है तो मुझे कड़े से कड़ा विरोध करना पड़ता है। मैं यह कहूंगा, एक बार फिर कहूंगा कि हमारी यह फासिस्ट सरकार है। फासिस्ट ही नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि यह फासिस्ट ही नहीं हिटलर और नाजी सरकार के गन्दे तरीके हैं जिनको सरकार चुनाव के समय में

[श्री मानसिंह महार]

प्रयोग में लाती है। मैं यह कहूंगा कि यह कानून पास हो जायगा तो चुनाव ईमानदारी से नहीं होंगे, यह मैं इस सरकार को चुनौती के साथ कह सकता हूं। हम शायद बाद में यह कारनामे सुनायेंगे कि इस कानून के तहत में तीन रुपये बीघे के रेन्ट में रिडक्शन करके डेढ़ कर दिया जायगा बीस रुपये के बीघे के गांव को वैसे का वैसा ही रख दिया गया। वह चीज हम प्रस्तुत करेंगे। हम यह सारी बात बतायेंगे। अगर इस तरह का एकतन्त्रीय शासन बना दिया गया तो यह मतोरें को स्पोट आपस में ही लड़ झगड़ कर फटेगी और फट कर फिर वही फासिस्ट हिटलर शाही और नाजी शाही आयेगी। इसलिये मैं कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप से अपील करूंगा कि वह इस प्रकार की बातें करने में माहिर हैं, इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, उनसे कहूंगा कि तीन महीने के लिये क्यों मजबूर करते हैं सरकार को गलत कार्यवाही करने के लिये। तीन महीने के बाद इसको लाइये तो हम स्वागत करेंगे।

(घंटी)

इन्टेरियम रिलीफ क्या, राजस्थान में जनरल रिलीफ होनी चाहिये जो कि जयपुर डिवीजन में जरूर आना चाहिये...

श्री मथुरादास माथुर—In your Constiteney particularly.

श्री मानसिंह महार—क्योंकि वहां पर लगान बहुत ऊंचा है। आप (श्री मथुरा दास माथुर) जैसे नेता जहां मौजूद थे वहां कम करवा लिया लेकिन जालोर से आये मित्र की दृष्टि से देखें क्योंकि उनकी आमदनी कम हो गई होगी। लेकिन हम चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं कि जयपुर वालों को भी आपकी लाइन पर आने दिया जाय। जयपुर वालों पर ही सभी बोझ क्यों लादा जा रहा है? राजधानी बनाई गई तो इसका मतलब यह नहीं है जयपुर को और तरह से कुचला जाय, जयपुर की सर्विसेज़ को कुचला जाय।

(घंटी)

मैं यह चन्द शब्द कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के प्रत्येक समझदार व्यक्ति, न्याय-प्रिय व्यक्ति से यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम तीन महीनों के लिये मत पास करें और अगर पास करते हैं तो इसके अमल में लाते वक्त प्रत्येक तहसील का...

श्री मथुरादास माथुर—आपकी कॉन्स्टीटुएन्सी का ख्याल रखेंगे।

श्री मानसिंह महार—मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी, आप बेफिक्र रहें। एन वक्त पर मैं नोमीनेशन दाखिल करूंगा कि यह सर्प्राइज़ कहां से आ कूदा?

(हंसी)

[श्री मानसिंह महार]

आपको मौका नहीं दूंगा कि मैं जमुआ-रामगढ़ से खड़ा होऊंगा या आमेर से, या डीड़वाने से या टोंक से। आप बेफिक्र रहिये। टक्कर लूंगा तो किसी बड़े से ही टक्कर लूंगा। छोटे मोटे से टक्कर नहीं लूंगा...

(हंसी)

अगर मेरे खड़े होने से वहां की जनता को लाभ होगा तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, चाहे चुनाव ही हार जाऊं लेकिन उस इलाके के आदमियों को लाख दो लाख का फायदा हो जायगा तो उसको मैं अधिक महत्व दूंगा।

(घंटी)

इसलिये आप इस बात की चिन्ता मत कीजिये और मेरे इलाके के लिये कभी सदन में या बाहर कभी शिकायत भी नहीं आयेगी। यदि मैं शिकायत करूंगा तो दूसरे मित्रों के लिये करूंगा या आपही के तबके के उन लोगों के लिये करूंगा जिनको आप चुनाव में हराना चाहते हैं। आपकी अन्डर हैन्ड पोलिसी कुछ और चल रही है। जिन्होंने आपके खिलाफ मत दिये हैं उनको आप हैरान करना चाहते हैं उनके लिये मैं कहूंगा, मेरी चिन्ता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर सदन में जो बहस हो रही है मैं अदब से अर्ज करना चाहूंगा कि जो मेम्बर्स इस बिल पर बोले हैं उनमें एक तो जमुआ-रामगढ़ से आने वाले साथी हैं और दूसरे दांता-रामगढ़ के साथी हैं। उन्होंने जो भाषण दिये उनको सुनकर मैंने यह महसूस किया कि उन्होंने उसे पढ़ा नहीं है। पुराने बिल को एक साथ रख कर उन्होने इसे नहीं पढ़ा। इधर के एक साथी ने भी विरोध किया लेकिन वह विरोध नहीं समर्थन ही था इसलिये उनके बारे में न कह कर मैं इन दो साथियों के भाषण पर जो इस अहमियत के बिल पर उन्होंने प्रकाश डाला है उस बारे में कुछ कहूंगा।

वैसे मैं दो दिन से देख रहा हूं कि उधर के साथियों को इलेक्शन जॉडिस हो गया है...

श्री मानसिंह महार—आपको टिकट-फोबिया हो गया है।

श्री मथुरादास माथुर—इसलिये वे हरेक चीज को चुनाव के पीलेपन से ही देखते हैं और चुनाव का भय उन पर छाया हुआ है। यदि कोई किसानों को राहत देने का सवाल पेश

[श्री मथुरादास माथुर]

होता है तो उनको चुनाव का खतरा दिखता है और वे समझते हैं कि किसानों को राहत क्यों दी जा रही है ? क्योंकि उनको खतरा है कि किसान उनका साथ नहीं देंगे। मैं कहूंगा कि बिल पेश नहीं भी किया जाता तो भी आपको खतरा होता, क्योंकि सरकार ने पहले से ही किसानों को लैंड रेवेन्यु एक्ट के अंतर्गत सुविधा दी है। उनको आप पढ़ें। उस एक्ट की १७६ वीं धारा को शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। धारा १७६ के पहले हिस्से में यह कहा गया है कि यदि पास के इलाके के अन्दर सैटलमेन्ट रेट में फर्क है, जैसे एक गांव में सैटलमेन्ट द्वारा रेट २ रु० बीघा लगाई गई है और उसी के पास के गांव में बारह आना फी बीघा रेट लगाई गई है और ये दोनों गांव एक दूसरे की सीमा से जुड़े हुए हैं और एक ही तहसील में हैं या एक ही इलाके में या एक ही पटवार सेक्टर में हैं और उनमें जुदा जुदा लगान की दर है, क्योंकि एक गांव जागीर के इलाके में था और दूसरा खालसे में था और एक में तीसरा और चौथा बांटा का लगान लिया जाता था और खालसे में था उसमें २ रु० फी बीघा हिसाब से दर कायम हुई और फिर राजस्थान सरकार ने चौथा बांटा कायम किया और उसके बाद छठा बांटा कायम किया और उसके बाद में जो सैटलमेन्ट हुआ उसमें छठे बांटे की रेट से दर मुकर्रर हुई, वहां २ रु० बीघा के बजाय १२ आना बीघा या एक रुपया बीघा की दर हुई। इस तरह से दोनों जगहों के पास पास होने पर भी एक खालसे में थी और दूसरी जागीर में थी इसलिये एक जगह २ रु० बीघा और दूसरी में बारह आना बीघा लगान लिया जाता है। इस कारण से लोगों में असंतोष है तो उसको दूर करना चाहिये और दर को एक समान करना चाहिये। एक तरह की लगान की दर करने के लिये दो ही रास्ते हैं कि या तो रिसैटलमेन्ट हो या फैसला कर दिया जाय। सैटलमेन्ट हुए ३ या ४ साल हुए हैं। रिसैटलमेन्ट के लिये सरकार के पास पूरे अधिकार होने चाहिये और अधिकार होने के बाद भी उसमें समय लगता है, क्योंकि जमीन का इकोनोमिक सर्वे करना पड़ता है और फिर से पैमायश करनी पड़ती है उसमें समय लगता है। अधिक नहीं तो दो, तीन या चार साल इसमें लग जाते हैं। इतने समय तक लोगों में असंतोष रहता क्योंकि एक जगह २ रु० की दर से लगान लिया जाता है और दूसरी जगह बारह आना पड़ता है तो लोगों में असंतोष होना स्वाभाविक है। चुनाव फोबिया और चुनाव जॉन्डिस पैदा होते हैं। ऐसा समझने वालों को जानना चाहिये कि इससे कई दिन पहले हमने कानून पास किया है उसमें हमने अधिकार दिया है कि सरकार रिसैटलमेन्ट कर सकती है। उसमें लिखा है; "176-A. Interim relief during settlement operations—(1) when any district or other local area is ordered to be brought under resettlement under sub-section (1) of section 142 or under sub-section (2) of section 176, the State Government may order interim relief."... वह सब-सेक्शन (२) या (१) में है जो अर्ज किया। पास पास के गांवों में दर एक जगह से दूसरी जगह कम हो जाय या सैटलमेन्ट के द्वारा आस पास के इलाके में इतना विरोधाभास हो कि उससे लोगों में असंतोष हो तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सैटलमेंट या रिसैटलमेंट करा सकती है और इन्टेरिम रिलीफ दे सकती है। इसलिये इन्टेरिम रिलीफ का प्रश्न आज पैदा हुआ और रिलीफ मिली है। लेकिन हुआ क्या है कि वे केसेज़ रह गये, जहां पर एक

Page No 106

[श्री मथुरादास माथुर]

इलाका, पूरा इलाका या एक तहसील समझ लीजिये, मिसाल के तौर पर धौलपुर तहसील है, वहां पर १० साल गुजर गये, सैटलमेंट जारी हुए और उसके अनुसार एक तरह की रेट चल रही है। अब अगर वहां पर रिसैटलमेन्ट की जरूरत महसूस होती है तो उसके लिये सरकार ऑर्डर देगी और उसके लिये नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। यदि सैटलमेंट या रिसैटलमेन्ट का ऑर्डर दिया है वहां की जमीन पर बाढ़ आ गई या और किसी वजह से रिसैटलमेन्ट की जरूरत पड़ी तो उसमें देरी कम होनी चाहिये। लेकिन उनके लिये सरकार को अधिकार नहीं है। किसी जगह पर नेचुरल रिसैटलमेन्ट हो रहा है क्योंकि वहां पहले नहीं हुआ है तो उसके लिये क्लॉज़ १४२ और क्लॉज़ १७६ के अंतर्गत रीसैटलमेन्ट का आर्डर दिया जा सकता है। क्लॉजेज़ १४२ और १७६ के अन्तर्गत रीसैटलमेन्ट होते समय इन्टेरिम रिलीफ देने का कोई प्रोविजन पहले नहीं था, इसलिये इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा यह बढ़ाया गया है। जनरल क्लॉजेज़ एक्ट के साथ में यह चीज नहीं डाली गई है इसलिये यह संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। मेरे लायक दोस्त जो उधर बैठे हैं उनके भाषण हुए। उनके भाषण में दर्द भरी आवाज थी। चुनाव सिर पर आ रहे हैं, सरकार किसानों को राहत दे रही है और जो राहत किसानों को मिल रही है उसके कारण उनके तबके को खतरा होगा, ऐसी उनकी आवाज थी। मेरी उनके साथ सहानुभूति है ....

श्री मानसिंह महार—धन्यवाद।

श्री मथुरादास माथुर—उनको फायदा होता हो तो मैं इमदाद दे सकता हूं लेकिन जहां पर सैटलमेंट की रेट पास के एरिया से ज्यादा है और उनसे हम उसी पुरानी रेट से लगान लेते रहें तो यह उनके साथ ज्यादती होगी। आपने यह भी आवाज उठाई है कि जिनको हम माफ करना चाहेंगे उनको माफ कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिद्धांत के अनुसार जिनको माफ करना वाजिब होगा उनको माफ भी करना होगा। एक यह भी समय आयगा जब लगान बिल्कुल ही नहीं लिया जायगा। हो सकता है कि वह समय हमारे और आपके देखने में आ जाय।

श्री मानसिंह महार—ऐसा समय जरूर आ जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर—हमारी उम्र में और हमारे रहते रहते आयेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि इससे सरकार को आर्बिट्रेरी पॉवर्स नहीं दी जा रही है। बल्कि पहले जो लेन्ड रेवेन्यू एक्ट पास हुआ है उसमें ही यह पॉवर दे दी है। उस एक्ट की धारा १४२ के अन्तर्गत सैटलमेन्ट और रिसैटलमेंट कराया जा रहा है, उसमें राहत देने का सवाल है। इसमें आपके लिये खतरे की कोई बात नहीं है।

कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सैटलमेन्ट हुये लेकिन रेंट रेट्स हाई मुकर्रर हो गई और उसके कई कारण हैं। यदि उधर बैठने वाले पुराने जागीरदार एम. एल. एज. की जमीन का सैटल-

[श्री मथुरादास माथुर]

मेन्ट हुआ, उस समय उन्होंने कर्मचारियों पर असर डाल कर अपने हक में कार्यवाही करवाली है, ऐसी कई अपीलें रेवेन्यूबोर्ड में हुई हैं। उन्होंने ऐसा इसलिये किया कि उनको शायद मुआवजा ढाई मिले। रेवेन्यू बोर्ड के सामने ऐसे कई केसेज़ आये हैं। मैं कोई इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं। बहुत सी रेवेन्यू बोर्ड के सामने अपीलें हुई हैं, उन पर केसेज़ भी लड़ते हैं, और उन पर फैसले भी हुए हैं। अपना कम्पेन्सेशन ज्यादा करने के लिए, बहुतों ने अपना रेंट बढ़वा लिया है। अब तो कम्पेन्सेशन भी मिल गया है। यह जो बिल है, उसके लागू हो जाने से किसानों का लगान कम होगा, उनको इससे फायदा मिलेगा। वैसे मैं उनके भय को मानता हूँ, उनका डर जो है, उसको मैं समझता हूँ। माननीय सदस्य इसको काला सांप कह रहे हैं, यह उनके लिए काला सांप होगा, क्यों कि उन्होंने किसानों के ऊपर ज्यादा लगान बढ़ा कर बहुत वर्षों तक उनका शोषण किया है। यह उन लोगों के लिए काला सांप होगा, पर यह किसानों के लिए काला सांप नहीं है, उनके लिए यह अमृत की बूंद है। वे किसान आज बहुत परेशान हैं, उनके लिए यह अमृत की बूंद है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज जो इस कानून में दी गई है, कोई नई चीज नहीं है। हमने पहले पहल राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल पास किया है, उसको ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं। जो इसमें हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को इन्टेरिम रिलीफ देने का हक हो जायगा और वह भी On such Conditions at it may deem fit. गवर्नमेंट जो कुछ भी इन्टेरिम रिलीफ फिट डीम करेगी, यहां फिट का मतलब सिर्फ २० परसेन्ट रिडक्शन का, १० परसेन्ट रिडक्शन का ही नहीं है, वह ५ परसेन्ट भी रिडक्शन कर सकती है। इसके आगे दिया गया है कि रिसेटलमेंट-में गवर्नमेंट अपना डिस्क्रीशन एक्सरसाइज़ करेगी On the recommendation of the Settlement Officers, on the recommendation of the Revenue Board and through all proper channel, जो इसके लिए जरूरी है। यह नहीं होगा कि रामगढ़ से आने वालों के साथ रियायत करदे और लैंड रेवेन्यू में ५० परसेन्ट रिडक्शन कर दे। यह उनके हाथ में नहीं है। मैं आपको बताऊं कि प्रजातन्त्र की हुकूमत इस प्रकार नहीं चल सकती, इसका उनको ज्ञान होना चाहिए। इसका उनको ज्ञान होना चाहिए कि वे इस प्रकार का कार्य प्रजातन्त्र के युग में नहीं करा सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल किसानों के लिए लाभप्रद होगा और उनको इससे राहत मिलेगी।

इन थोड़े लफ्जों के साथ, मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल को आने वाले इलेक्शन की दृष्टि से देखने की चेष्टा न करें बल्कि इस दृष्टि से देखें कि यह बिल किसानों के लिए राहत देने वाला होगा और इससे उनको इमदाद मिलेगी। इसलिए इस बिल को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष—श्री नाथूराम जी मिर्धा बोलेंगे।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के समक्ष है, वह किसानों को रिलीफ देने वाला तो होगा ही, लेकिन इसमें मुझे कुछ और दृष्टिकोण सरकार का दिखता है। मैं समझता हूँ कि जो भी प्रयत्न मानव, प्राणी को सुविधा देने वाला हो, उसमें सब किसानों का ख्याल रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले किसान को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें तो उचित होगा और मानवता के लिये सहृदयता पूर्ण व्यवस्था होगी। किसान कड़ी धूप में, जेठ के महीने में हल चलाता है और जब तेज जाड़ा पड़ता है उस समय भी शीत को सहन कर अपनी क्यारियां करता है और उनको पानी देता है। वह इतने कष्ट सहन करता है कि उनको देखकर मेरी आत्मा में तो यह ख्याल पैदा होता है कि उनसे बिल्कुल भी टैक्स न लिया जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा। उनसे चाहे आप जितना भी टैक्स वसूल कर लीजिये जो किसान स्वयं खेती नहीं करते हैं, स्वयं कष्ट भोगते हुये खेती नहीं करते हैं बल्कि उनके सबटिनेन्ट खेती करते हैं, वे तो सिर्फ जमीन इकट्ठी कर लेते हैं, उनसे चाहे आप जितना टैक्स ले लीजिये.....

श्री मथुरादास माथुर—आप इसको पढ़ कर नहीं आये हैं। यह सब-टिनेन्ट्स के लिए नहीं है।

श्री रूपनारानायण शास्त्री—मैं समझ रहा हूं। आप मेरी बात सुन तो लीजिये।

मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि उनके लिए यह सब सुविधायें दी जायें जो स्वयं खेती करते हैं, तो उचित कहा जा सकता है। परन्तु इस बिल के उपस्थित होने पर इस समय उन किसानों को क्या फायदा होगा? क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जिस समय इससे किसानों को फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इस साल का टैक्स तो ले भी लिया गया है। जब दूसरी फसल उगाई जायगी, उस समय किसानों को टैक्स देना पड़ेगा और उस समय दूसरी असेम्बली आ जायगी, दूसरा बिल आ जायगा। तो यह केवल चुनाव स्टन्ट कहा जा सकता है और चुनाव स्टंट इसलिए कहा जा सकता है कि अगर आप किसानों के लिये कुछ करते हैं तो वह आप सब के लिये करें। हर जिले के किसानों के लिये करें। अगर आप कुछ रुपया किसानों पर छोड़ें तो वह सबके ऊपर छोड़ें। अगर आप सब पर दो आना रुपया छोड़ते हैं, तो उसका कुछ औचित्य हो सकता है। सीकर जिले में रहने वाले किसानों के ऊपर, जयपुर में रहने वाले किसानों के ऊपर और इधर उधर रहने वाले किसानों के ऊपर छोड़ते हैं तो उसका कुछ औचित्य हो सकता है, लेकिन जहां आप चाहें वहां छोड़ें और जहां नहीं चाहें वहां नहीं छोड़ें किसी जिले में आप छोड़ दें और किसी जिले में न छोड़ें तो यह अन्याय कहा जा सकता है, यह पक्षपात कहा जा सकता है और

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

स्वार्थ सिद्धि के लिये यह चीज हो सकती है। इसलिये यह इस प्रकार होना चाहिये कि सब किसानों को इतनी राहत दे दी जाय, इसके लिये इसमें विवरण हो तो यह किसानों के लिये हितकर बिल कहा जा सकता है। ऐसा नहीं होता है, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां कि आप सदस्यता करते हैं, या जहां पर लोग आपको वोट देंगे, उन आदमियों को आप बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के यह छूट दे देंगे, लैन्ड रेवेन्यू में रिडक्शन कर देंगे और जहां पर आपको वोट देने वाले नहीं हैं वहां आप बढ़ा देंगे और या वहां जैसा है वैसा रहने देंगे। इससे क्या होगा कि एक तरफ तो किसानों में संतोष होगा और दूसरी तरफ किसानों में असन्तोष होगा। एक तरफ के किसानों में यह भावना होगी कि क्योंकि किसानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था इसलिए उनको इतना देना पड़ रहा है। इस दृष्टिकोण से तमाम किसान कांग्रेस को ही वोट दें, यह बिल प्रस्तावित किया जा रहा है। यदि ऐसा न हो तो यह निर्णय नहीं हो सकता कि किसने किसको वोट दिया था। जहां कांग्रेस के केन्डीडेट जीत जाएं, वहां उनको इस प्रकार की सुविधा दें, यह मेरे ख्याल में, अन्याय होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि निर्दोष आदमियों को इससे नुक्सान हो। इसलिये जब कि यह सरकार खत्म होने वाली है, इस बिल को उपस्थित करने की क्या आवश्यकता है, इस बिल को प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है ? यदि ऐसा बिल लाना है तो मैं कहता हूं कि इस बिल को इस रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिये था कि विस्तृत राजस्थान में किसानों के ऊपर जो कुछ भी टैक्स है, उसमें चार आना, दो आना छूट दी जायगी। तो कोई विषमता नहीं होती, उससे कोई मनो-मालिन्य नहीं होता, उससे कोई निरंकुशता नहीं होती। यदि हम किसी एरिया के किसानों को यह सुविधा दे दें और किसी एरिया के किसानों को यह सुविधा न दें, या जहां चाहेंगे, वहां यह होगा और जहां न चाहेंगे वहां न होगा तो यह कोई न्यायसिद्ध बात न होगी। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यद्यपि मैं चाहता हूं कि किसानों को रियायत मिले, लेकिन उस रियायत का रूप यह होगा कि जो किसानों को टैक्स देना पड़ता है, उसमें दो आना, चार आना छूट दी जाय। तो यह तमाम किसानों के लिये अच्छा होगा, अन्यथा यह पक्षपातपूर्ण चीज होगी।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा हूं कि सब किसानों को यह राहत मिले। अगर जहां आप चाहें वहां दें, जहां नहीं चाहें वहां नहीं दें तो यह न्यायपूर्ण बात नहीं होगी।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष—अब रिप्लाई के लिए समय देना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की कन्सीडरेशन स्टेज तो निकल चुकी है। इस बिल के पारित होते वक्त ये बोल सकते हैं। फिर भी, जो उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था दें, वैसा ही होना चाहिये। वैसे यह डिस्कशन क्लॉज़ होना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—यह पारित होने की स्टेज है।

श्री भैरूं सिंह—उपाध्यक्ष जी, स्पीकर साहब ने यह व्यवस्था दे दी है कि जिस बिल में अमेंडमेंट न हो, उसका थर्ड स्टेज में विरोध किया जा सकता है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष — कन्सीडरेशन की स्टेज तो निकल चुकी है। अब यह पारित होने की स्टेज है, उस पर यह बोल रहे हैं।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—अब आप अपनी व्यवस्था फरमा दें।

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री जगतसिंह झाला भाषण करेंगे।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—इनके बाद में मैं जवाब दूंगा।

श्री जगतसिंह झाला—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सिलसिले में चर्चा चल रही है, इसके सम्बन्ध में मुझे भी कुछ निवेदन करना है। जो बिल का मूलभूत सिद्धान्त है, उससे मेरा विरोध नहीं है। काश्तकारों का हांसिल कम करने का जहां तक सवाल है उससे मैं सहमत हूं और यह हांसिल कम कर दिया जाय। इससे किसी को कोई विरोध नहीं है। मेरा केवल विरोध यह है कि आपने यह बिल ऐसे समय में रखा है जब कि राजस्थान असेम्बली समाप्त हो रही है, नये चुनाव होने वाले हैं, इस समय पर इस बिल का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए मुझे निवेदन करना है कि काश्तकारों के ऊपर जो हांसिल है, उसको कम करने के लिए यदि आपको कानून बनाना है, यदि उनको इन्टेरिम रिलीफ देने के लिए कोई कार्यवाही करनी है तो यह अच्छा काम है। अभी जो सैटलमेंट हुआ है, कई जगह अभी तक तो नहीं भी हुआ है, इसके साथ ही कई जगह रिसैटलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जैसा कि एक सदस्य ने फरमाया कि कई जगह तो इन्टेरिम हांसिल कम लगाया जा सकता है और कहीं पर ज्यादा हो सकता है। तो जो किसानों को रिलीफ देना है, हांसिल कम करना है, उससे हम सहमत हैं लेकिन यह ऐसे समय में रखा गया है जब कि चुनाव आ रहे हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि इन्टेरिम रिलीफ किसानों को मिले, यह ठीक है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा होगा कि जिन कॉन्स्टिट्यूएन्सी से सरकारी सदस्य आयेंगे, वहां पर हांसिल कम करने का प्रयत्न किया जायगा और जहां से हम लोग खड़े होंगे वहां पर यह बात लागू नहीं होगी। ऐसे ही विकास कार्यों में हुआ है।

इसलिये मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि इसको यदि दो-तीन महीनों बाद रखा जाय तो कोई नुक्सान नहीं होगा। अभी तो हांसिल ले लिया गया है, तीन महीने बाद आगे नसती

[श्री जगतसिंह झाला]

होने वाली है तो इसको अभी पास करने से इन्टेरिम रिलीफ क्या मिलेगा, यह तो आप आम चुनावों में रिलीफ लेना चाहते हैं, आपको अधिक से अधिक वोट मिलें, आपको इससे फायदा हो, इसलिए आप यह अभी पास करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

वैसे हम तो यह चाहते हैं कि हासिल बिलकुल माफ कर दिया जाय और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लागू कर दिया जाय।

(श्री मथुरादास माथुर बैठे ही बैठे कहने पर 'ब्रजसुन्दर')

श्री भैंरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय ने हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी को 'ब्रजसुन्दर' कह कर उनकी थोड़ी इन्सल्ट की है।

(हंसी)

श्री मथुरादास माथुर—मैं 'माननीय बृजसुन्दरजी' कहता हूं।

(हंसी)

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्यों ने इस बिल को अच्छी तरह पढ़ लिया होता तो उनको ये शंकाएं पैदा नहीं होतीं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह बिल किसानों के वोट लेने के लिए पास किया जा रहा है, वैसे तो हर एक अच्छे कार्य के लिए जो कि जनता के हित के लिये किया जाता है, कहा जा सकता है कि यह अधिक वोट प्राप्त करने के लिये पास किया जा रहा है, लैंड रेवेन्यू बिल के लिए भी कहा जा सकता है कि यह जनता के अधिक वोट प्राप्त करने के लिए किया गया है, किसानों के हित के, आम जनता के हित के जितने कानून पास किये गये हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि ये सब वोट हासिल करने के लिए पास किये गये हैं, तो इसका जवाब तो मैं देना नहीं चाहता। सभी जानते हैं कि जनता की भलाई के कानून पास करने वालों को जनता चाहती है और जनता की भलाई के कानून पास करने के लिए ही हम यहां आये हैं। जो जनता की भलाई के कार्य करेगा जनता उनको चाहेगी और उनको ज्यादा वोट देगी।

इसके मुतल्लिक मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि दफा १७६ जो लैंड रेवेन्यू बिल की है उसमें यह प्रोविज़न है कि रिसैटलमेंट के लिये ऑर्डर किया जाय किन्हीं खास हालात में तो गवर्नमेन्ट को अधिकार दिया गया है कि उस सूरत में इन्टेरिम रिलीफ दे सकती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि नेचुरल कोर्स में सेक्शन १४२ के तहत में रिसैटलमेंट कराया जाय, कोई कहीं ज्यादती की गई हो वहां रिसैटलमेंट कराना आवश्यक हो, वहां इन्टेरिम रिलीफ नहीं देना यह कानून में

[श्री बृजसुंदर शर्मा]

एक बड़ी भारी खामी थी, उसको दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है। इसके अन्दर सदन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

एक बात यह कही गई कि यह इतनी देर से क्यों लाया गया है, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जून, सन् १६५६ में लैंड रेवेन्यू एक्ट पास हुआ है और जहां रिसैटलमेंट चालू हो वहां देर ज्यादा लग जायगी, इसलिये यह रिलीफ देने के लिये कर रहे हैं, न कि वोट लेने की मंशा से किया जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन इसे सर्व सम्मति से स्वीकार करे। जहां तक उसूलों का सवाल है वहां तक तो सभी माननीय सदस्यों ने इसे स्वीकार किया है। पर दरअसल उन्होंने तो यह रवैया अख्त्यार कर लिया है कि जो अच्छा कार्य किया जाय उसे भी बुरा बताया जाय और जो कार्य न किया जाय उसे भी बुरा बताया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1956, be passed.

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(विराम)

दी राजस्थान एक्साइज़ (सेकण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६, श्री अमृतलाल यादव।

दी राजस्थान एक्साइज़ (सेकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, १६५६ (विचार-विमर्श)

श्री अमृतलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एक्साइज़ (सेकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, इसके मुतल्लिक मेरा एक मोशन है।

श्री नाथूराम मिर्धा—नोटिस कहां है ?

श्री मानसिंह महार—नोटिस वहां मौजूद है, "That the Rajasthan Excise (Second Amendment) Bill, 1956, be circulated for eliciting public opinion."

श्री बृजसुन्दर शर्मा— Where is the notice ?

इसका नोटिस कहां है ?

श्री मानसिंह महार—कांग्रेस पार्टी के मन्त्री और हमारे मन्त्री महोदय कानून कायदे नहीं जानते हैं। मेरा यह मोशन है उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री भैंरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, उनको रूल्स तो बता दीजिये, उनको जानकारी नहीं है।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—मैं एक ऐसे इलाके से चुन कर आ रहा हूं उपाध्यक्ष जी, कि जहां पर की जनता शायद राजस्थान में सबसे ज्यादा इल्लिसिट डिस्टिलिशन से बहुत परेशान है। मैं यह समझता हूं कि मेरे इलाके के जितने मीणों के गांव हैं, उनके अन्दर इल्लिसिट डिस्टिलिशन से आपस में कहीं स्त्री पुरुष में कहीं बाप बेटे में और कहीं भाई-भाई में आपस में शराब के मामलों में लड़ाइयां हो जाती हैं। इसका असर मेरे इलाके में जितना है उतना शायद कहीं नहीं है। कांग्रेस के चीफ व्हिप महोदय बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, पर मैं उनको निवेदन कर दूं कि मैं जन्म से शराब का विरोधी रहा हूं, मैंने आज तक शराब अपने मुंह नहीं लगाई है, चाहे महात्मा जी के चेलों में से बड़ों बड़ों ने इसका उपयोग किया होगा, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे इलाके में मेजोरिटी ओफ वोटर्स मीणों हैं, इसलिये इस कानून में जितनी दिलचस्पी रखने का हक मैं रखता हूं उतना ही मन्त्री महोदय भी रखते हैं क्योंकि उनके तबके में भी यह चीज बहुत बढ़ी हुई है, इसलिये मैं समझता हूं कुछ लोग माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गलत समझे हैं, तबका कौनसा, तबके से मेरा मतलब मन्त्रियों से नहीं, जैसा मेरे राजपूत भाइयों में शराब प्रचलित है उसी तरह उनके जाति भाइयों में भी शराब ज्यादा प्रचलित है।

यह कानून आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इस कानून की बहुत दिनों से आवश्यकता महसूस करता था, पर एक्साइज़ के कानून में अमेंडमेंट लाकर इस प्रकार छोटा सा हेर फेर करके यह बिल मन्त्री महोदय ने रखा है इसको मैं नाकाफी समझता हूँ। मैंने इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट करने के लिए कहा है, उसका बहुत संक्षेप में मैं कारण बताता हूं। मैं यह समझता हूँ कि इस सदन के अन्दर तो हमारा ५ वर्ष का तजुर्बा भी रहा है कि सत्तारूढ़ दल आंख मीचकर अपनी मेजोरिटी का दुरुपयोग करता है। सत्तारूढ़ दल कभी यह नहीं सोचता है कि पब्लिक का वास्तव में किस बात से भला है। मैं जानता हूं कि अगर मैं इसके अन्दर कानून को और भी अधिक सख्त बनाने का सुझाव देता तो भी वही बात होती, वही तोड़ फोड़, वही तोड़ मरोड़ होती जैसा अभी मैंने एक ऐसी सीधी बात कही उस पर कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने की। यदि बाहर होते तो कहते कि बात तो सही है लेकिन अन्दर सदमें में कहा गया किचुनाव का फोबिया है। मैं

[श्री मानसिंह महार]

यह कहूंगा कि यह चुनाव का फोबिया नहीं है। आज आप विरोधी दल के महत्व को नहीं समझते हैं यह हमारा दुर्भाग्य है, इसलिए चाहें वे बातें कटु सत्य ही हों लेकिन हम कहते हैं और हमें कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है, कई बातें कटु होते हुए भी कहनी पड़ती हैं और सीधे रास्ते ले जाने की गति पर आ जाती है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करता था कि यह कानून जो इसके अन्दर माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है, मैं यह चाहता हूं कि इसको इससे भी बहुत सख्त किया जावे। मैं निश्चय जानता हूं कि मैं कुछ भी सुझाव रखूं, कितना भी वाजिब सुझाव रखूं फिर भी मेरे विरोधी दल में होने के कारण उसको कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि राजस्थान में शराबखोरी यदि बन्द करनी है, यदि सरकार को बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से शराब की भट्टियों को पकड़ना है तो हमें वह तरीका अपनाना चाहिये जो जनता जनार्दन के लिए हितकर हो। मैं यह मानकर चलता हूँ कि कांग्रेस सरकार जो आज है वह राजस्थान में शराब बन्दी को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब हुई है। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूँ। यह कोई चुनाव का स्टन्ट नहीं है, न कोई आपका है न मेरा है। यह तो वास्तविक बात है। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि शराब का इल्लिसिट डिस्टीलेशन जितना रियासतों के समय में हो रहा था उससे आज १० हजार गुना ज्यादा हो रहा है। आज घर घर में शराब की भट्टियें आपको मिलेंगी। आज मैं आपको भट्टियों का तरीका बताता हूं।

एक माननीय सदस्य—आपके घर में है या नहीं ?

श्री मानसिंह महार—मेरे घर में नहीं है, मगर आपके घर में तो है, मैं बता सकता हूँ मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष, कि इसका कारण क्या है? हमें इसका कारण देखना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि सख्त सजा से कोई काम नहीं होता। आज गांव गांव में एक्साइज़ के इन्सपेक्टरों के पैसे बन्धे हुए हैं। फी भट्टी के कहीं पर उनको ५) रु० कहीं पर १० रु० घर बैठे मिल जाते हैं। जिन गांवों से रुपया बन्धा है वहां से महीने के महीने रुपये उनके पास आ जाते हैं। अगर १० घरों में शराब निकाली जाती है तो वहां से महीने के अन्त में एक्साइज़ इन्सपेक्टर के घर पर ५० रु० पहुंच जाते हैं। जिन गांवों में यह रुटीन है वहां पर चाहे १० हजार बोतलें निकाल लेते हैं, वहां पर कोई रेड (raid) नहीं होती। अगर उन गांवों में किसी वजह से रकम नहीं पहुंचती है तो उसके यहां पर रेड कर दी जाती है। मैं गांव में रहता हूँ और आप शहरों में रहते हैं। गांवों का तजुर्बा आपको कम है। आपका अधिकांश समय शहरों में बीतता है, गांवों से चुनकर आ जावें तो क्या? गांवों में रहने वाले ही गांवों की स्थिति को जानते हैं।

आज जयपुर शहर में बड़े बड़े ऑफिसरों में, क्या कहूं मैं पर्सनल रिलेशन्स में जाना नहीं चाहता इसलिये यहीं तक रहता हूं, इतना पैसा जाता है जिसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन

Page No 115

[श्री मानसिंह महार]

अगर आप जयपुर के चार दरवाजे हैं, चारों दरवाजों पर आज ही आप उन एन्ट्रेन्सेज़ पर प्रबन्ध कर दीजिये आपको मालूम हो जावेगा कि गांवों से कितने पेट्रोल के टिन आते हैं उनमें ६० प्रतिशत शराब के टिन आपको मिलेंगे। लेकिन यह करे कौन ? वे उन्हीं गांवों से आते हैं जिनसे रुपया आता है। मैं गांवों के बहुत नाम बता सकता हूँ जिनसे रुपये आते हैं और शराब निकलती है। आप मेरे साथ इस वक्त चलिये, मैं आपको शराब की भट्टियें पकड़वाता हूं। आपकी हिम्मत होनी चाहिये चले कौन ? आपमें दम हो तब न। मैं यह कहूंगा कि होता क्या है कि इन्सपेक्टर लोग यह कहते हैं कि हमने फलां गांव में रेड दी मगर शराब मिली नहीं। मिले कैसे ? होता क्या है (घन्टी) कि एक एक गांव में ५० भट्टियें निकलती हैं, मगर होता क्या है, उपाध्यक्ष, महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की मिसाल देने की आवश्यकता क्यों प्रतीत होती है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्सपेक्टर लोग यह कहते हैं कि हम हर गांव में रेड करते हैं मगर शराब की भट्टियें पकड़ी नहीं जाती हैं। मैं यह कहूँगा कि जिनसे पैसा उनको आता है उनको रेड से पहले वे लोग इत्तिला दे देते हैं और इससे वे सचेत हो जाते हैं। जब वे सचेत हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का सामान वे लोग वहां नहीं रखना चाहते हैं और जब एक्साइज़ वाले रेड देने के लिये जाते हैं तो जो भट्टियों का सामान होता है वह सब उस घर में से निकाल कर कूए में डाल दिया जाता है और मटकों को कूओं में पानी से ढ़क देते हैं। परसों रेड होगी तो आज वे सब अपना प्रबन्ध कर लेते हैं और जब वे अपना सारा प्रबन्ध कर लेते हैं तो उसके बाद रेड होती है। फिर जब रेड होती है तो कहने को यह कहा जाता है कि रेड की गई मगर शराब पकड़ी नहीं गई। मैं यह कहूंगा माननीय उपाध्यक्ष, शराब पकड़ी कैसे जा सकती है, पहले तो आप उनको इत्तला दे देते हो और वे सब अपना इन्तजाम कर लेते हैं, उसके बाद आप उनके वहां पर रेड देते हैं। यह कहां पर पकड़ी जाती है, यह भी मैं बता देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, जहां पर एक्साइज़ इन्पेक्टर को पैसे नहीं मिलते या नाराजगी होती है, उनके लिये क्या किया जाता है ? उनके लिये यह सजा रखी गई है, वह बहुत कम है और मैं तो यह कहूंगा कि ६ महीनों के बजाय उनको ५ वर्ष के कारा-वास की सजा होनी चाहिये। आज क्या होता है कि अगर किसी एक्साइज़ इन्सपेक्टर से झगड़ा हो गया तो वह उससे बदला लेने की भावना से क्या करते हैं कि किसी भी बदमाश को ५ रुपये देकर शिकायत कराते हैं और वह भी रात के समय......

श्री उपाध्यक्ष—इसमें इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री मानसिंह महार—यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें क्या खामियें रह गई हैं उन पर कहें।

श्री मानसिंह महार—तो दूसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा था वह यह है कि...

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, समय हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपको और बोलना है, कितना समय लगेगा ?

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस पर अभी बहुत बोलना है । यह तो बहुत इम्पोर्टेन्ट मसला है और मेरा तो यह खास सब्जेक्ट है । मुझे १० वर्ष हो गये हैं, मैं इस पर बोलना चाहता था, अब मुझे अवसर मिला है । मुझे १० वर्षों का तजुर्बा है, उसको मैं आपके सामने अर्ज करूंगा । पहले हमारा दुर्भाग्य था कि विरोधी दल के नेता इसके आडे आ जाते थे और अब की बार वे भी यहां नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और जैसा कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में है कल शनिवार को भी सेशन ११ बजे से होगा और आज जो काम रह गया है उसके खत्म होने पर छुट्टी हो जावेगी ।

(सदन की कार्यवाही ५ बजे सायंकाल, दिनांक ८. १२. ५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—७ दिसम्बर, १९५६ ।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर देखिये)

Rules of allotment of M. L. As' Quarters.

1. These rules may be called the "Residential Accommodation (Jaipur) Rules, 1956 for the members of the Rajasthan Legislative Assembly."

2. These Rules will come into force with immediate effect.

3. These Rules apply to the allotment of the residences specified in the schedule attached hereto (Appendix 'B') to the members of the Rajasthan Legislative Assembly.

4. The allotting authority may from time to time add any residence to, or remove any residence from any part of the schedule or change the classification of any residence specified in the schedule (Appendix B) with the approval of the Govt.

5. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) 'Class' in relation to a residence means that class of that residence as for the time being specified in the schedule;

(b) 'Family' includes only the wife, children, step children, parents, brothers their wives and sisters ordinarily residing with, and wholly dependent on an officer;

(c) 'Subletting' includes hiring of acommodation with an allottee with or without payment of rent but does not include a casual guest;

(d) 'Allotting authority' means the House Committee or any person duly authorised by the House Committee.

6. The family quarters as per appendix 'B' are primarily meant for the occupation of the members of the Rajasthan Legislative Assembly, but if vacant and not required by such members the allotting authority may temporarily allot them for a period not exceeding one month to a Govt. servant not below the rank of a gazetted officer or a member of legislature of other State.'

Page No 118

7. Every member who desires to have an allotment made shall submit an application in the prescribed form (Appendix A) to the allotting authority.

8. Applications when received shall be entered into a Register to be maintained by the allotting authority.

9. Allotments shall be made in accordance with the priority of the receipt of application. In case more applications than one are received on the same date, allotment shall be made by drawing lots, provided that applicants staying with their families will have preference over those staying single.

10. Notwithstanding anything contained in these rules, no member who owns a house in Jaipur whether in his own name or in the name of his wife or children or who generally resides in Jaipur for purposes other than the Assembly work shall be allotted a quarter under these Rules unless it is proved to the satisfaction of the allotting authority in the former case that such house was leased out atleast six months before the date of application and that the member is unable for reasons boyond his control to take vacant possession of the house or that having regard to his status, it is manifestly adequeate to his requirements or for any other impelling reasons justifying allotment of a quarter.

11. If a member fails to accept the allotment of a quarter within 3 days after the date of allotment or fails to occupy it within five days—

(a) He shall go down to the bottom of the list of his category.

(b) The quarter in question shall be re-allotted.

12. The allotment shall be effective from the date of accptance and shall continue until:—

(a) It is cancelled or is deemed to be cancelled under these rules,

(b) It is surrendered by the member concerned.

(c) The member concerned ceases to occupy the residence,

13. Members to whom residence have been allotted may, with the approval of the allotting authority, change them within the same class.

14. A member may at any time surrender an allotment made to him under these rules, 15 days notice in cases of allotments for more than a month will be necessary. If for any reason a member is unable to give due notice as prescribed above, he should inform the allotting authority of the circumstances under which due notice could not be given.

15. No member shall sublet a residence allotted to him or any portion thereof or any of the outhouses appurtenant thereto.

16. If a member sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the outhouses appurtenant thereto in contravention of these rules, he shall without prejudice to any other action that may be taken against him be charged double the standard rent of the residence for the period of such sub-letting.

17. A member to whom a residence has been allotted shall be personally responsible for the rent thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture or services provided therein by the Govt. during the period for which the residence has been and remains allotted to him.

18. A member to whom a residence has been allotted shall be required when he enters into occupation of and when he vacates the residence to sign an inventory of the fitures and fittings.

19. Before occupation of the quarters, the allottees shall execute a contract inter-alia:--

(a) that he agrees to pay to Govt. dues pertaining to such occupation by deduction from his salary, T. A. or D. A. Bills as the case may be;

(b) that he will not sublet or share the quarter or part of it with any person other than members of his family;

(c) that he agrees to abide by the rules formulated from time to time in respect of sanitation, maintenance and proper preservation of quarters allotted to him.

Page No 120

20. The quarters will remain in the possession and supervision of the Caretaker, Government Hostel, Jaipur till they are regularly allotted under these rules. He will submit a fortnightly report of quarters vacant to the allotting authority regularly on 1st and 15th of every month.

21. Rent will be charged from the members who have been allotted these quarters at the rates mentoined in Scheduled D by deduction from their emoluments.

APPENDIX 'A'

FORM OF APPLICATION FOR GOVERNMENT ACCOMODATION FOR RESIDENTIAL PURPOSES.

—

To,

....

....

I hereby apply for Government residential accommodation:-

(1) Name.

(2) Constituency.

(3) Pay.

(4) Allowances, if any.

(5) Number of adults and children in the family (indicating relationship to the applicant)

(6) State whether you have house property in Jaipur.

Signature.................

Date........................

APPENDIX 'B'

SCHEDULE

B-Class.

S, No.	Description of the building.	Remarks-
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
& so on.		
C. Class.		
(1)		
(2)		
(3)		
......		

APPENDIX 'C'

I..hereby agree to the allotment of Bungalow No. B/C No............subject to the following conditions:-

(a) That I shall pay to the Govt. dues pertaining to such occupation by deducation from my-salary, T. A. or D. A. Bills, as the case may be,

(b) that I shall not sub-let or share the quarter or part of it with any person other than members of my family;

that I shall abide by the rules formulated from time to time in respect of sanitation, maintenance and proper preservation of quarters allotted to me.

APPENDIX 'D'

S. No.	Description of the building.	Capital cost of the building.	Standard rent at 5 per-cent of the capital cost of the building.
1.	'B' Type quarters.	Rs. 22,000/-	Rs. 91/10/-
2.	'C' -do-	Rs. 13,700/-	Rs. 57/-/-

Note—Rent will be chargeable as follows-

		B. Type Qrs-	C. Type Q
(a)	Not less than 3 months at a stretch.	Rs. 91/10/-	Rs. 57/-
(b)	Less than 3 months but not less than 1 month	Rs. 137/7/-	Rs. 85/8/-
(c)	Less than a month.	Rs. 6/- perday	Rs. 4/- per day.

Rent at the appropriate rate would be payable for notice period also if an accupant gives notice of surrendering allotment prematurely and the house remains unoccupied during the period of notice.

2. Light & water and other services, if any, would be charged extra at normal rates.

3. Furniture, if available, will be provided upto a maximum limit of worth Rs. 1, 500/- in respect of 'B' type quarters and Rs. 1,000/- in respect of 'C' type.quarters and will be charged at 1 per cent of the cost of furniture supplied.

शुद्धि—पत्र

कार्य—विवरण दिनांक ७ दिसम्बर, १९५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
३०२	७,१५,१८, व २१	श्री ब्देपाल त्यागी	श्री वेदपाल त्यागी
३११	६ व १२	श्री रामचंद चोधरा	श्री रामचन्द्र चौधरी
	८ व ११	,, ,,	,, ,,
(c)	१६	(प्रति पक्ष नेत)	(प्रतिपक्ष नेता)
	२४	के मातनीय सदस्यों	के माननीय सदस्यों
३१५	७	Shri, Arjan Dass	Shri Arjan Dass
३३३	४	ओर पलिस के	और पुलिस के
३५७	२	(श्री मोहनलाल सुखाड़िय)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
३७१	८	वे अज भी	वे आज भी
३८४	१२	कुछ माननीय सस्दय	कुछ माननीय सदस्य